चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 07 अगस्त– 13 अगस्त 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अग्निपथ पर नीतीश

सरोज सिंह

बिहार में बहार है, अब नीतीश कुमार है. 20 माह पुरानी महागठबंधन सरकार के नाटकीय अंत के बाद सियासी गलियारों में यह जुमला एक बार फिर जोर-शोर से गूंज रहा है. नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने के बाद अब सूबे की जनता सिर्फ दो चेहरों पर टकटकी लगाए है, जिसमें पहले हैं नीतीश कुमार और दूसरे नरेंद्र मोदी. महागठबंधन के महाझगड़े ने लगभग एक महीने तक सूबे को हर लिहाज से पंगु बनाकर रख दिया था. हालांकि इस सरकार के पतन की पटकथा ट्वंटी-ट्वंटी अंदाज में दिल्ली और गुरुग्राम में लिखी गई, पर इसे अमलीजामा राजगीर और पटना में पहनाया गया. खैर महागठबंधन की सरकार का अंत हुआ और बिहार में एनडीए की सरकार बन गई. सरकार ने 108 के मुकाबले 131 मतों से विश्वास मत भी हासिल कर लिया. इस दौरान लगाए गए आरोपों और दिन-रात चली जुबानी जंग को पूरे देश ने देखा और सुना, इसलिए हम उस ओर विस्तार से नहीं जाएंगे. इसके बावजूद जिस तरह बिहार में महागठबंधन का प्रयोग असफल हुआ और नीतीश कुमार ने भाजपा से 17 साल पुरानी दोस्ती की किताब एक बार फिर खोली, उससे राजनीति की यह बात चरितार्थ होती दिखी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है. राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई स्थायी दुश्मन.

अब लाख टके का सवाल यह है कि पिछले 20 महीनों में ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं, जिसके कारण नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से मोहभंग हो गया और उन्हें भाजपा से हाथ मिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा. अगर हम तेजस्वी प्रकरण को केंद्र में रखकर इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो बिहार में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम को आधे-अधूरे परिदृश्य में ही देख और समझ पाएंगे. अगर संपूर्ण पटकथा को समझना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार के उस बयान पर गौर करना होगा, जो उन्होंने शपथ लेने के ठीक बाद दिया. उन्होंने कहा, 'न्याय के साथ विकास हमारी सरकार की ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन की भी प्राथमिकता है. सूबे के विकास के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं. बिहार के विकास के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, मैं करूंगा.' दरअसल लालू-राबड़ी के लंबे शासन को उखाड़कर जब 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी सरकार बनाई थी, तब भी उन्होंने विकास के प्रति अपना समर्पण-भाव प्रकट किया था. पांच साल के पहले कार्यकाल में उन्होंने अथक परिश्रम कर बिहार को फिर से पटरी पर लाने का कारनामा कर दिखाया. नीतीश इसके बाद सुशासन बाबू बन गए और देश व दुनिया के लोग यह देखकर दंग रह गए कि बिहार जैसा बीमारू राज्य भी एक मजबूत हाथों में जाकर कितना बदल सकता है.

दुर्भाग्यवश अपने दूसरे कार्यकाल में नीतीश को उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि केंद्र और राज्य की राजनीतिक दुविधा ने बिहार के विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया था. गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय फलक पर धमाकेदार एंट्री ने नीतीश को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया. नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा और लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन का प्रयोग किया. प्रयोग सफल रहा और नीतीश कुमार एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री बन गए. नीतीश कुमार की असली पीड़ा यहीं से शुरू हुई. विकास के जिस एजेंडे को वे आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उस पर सहयोगी दल ब्रेक लगाने लगे. इस दौरान बेवजह हस्तक्षेप के कारण बड़े प्रशासनिक तबादले प्रभावित हुए या फिर हो ही नहीं पाए. फलस्वरूप जिलों का विकास पूरी तरह से ठप होने लगा. सचिवालय से लेकर समाहरणालयों तक में अधिकारियों की दुविधा ने बिहार में विकास का चक्का जाम कर दिया. किसकी सुनें और किसकी नहीं, इसका फैसला करना भी अधिकारियों के लिए मुश्किल हो गया था. नीतीश के शराबबंदी के फैसले से कुछ महीनों तक तो उनकी छवि निखरी, लेकिन थानों की मिलीभगत से बिहार में शराब की तस्करी जारी रही. इससे आम लोगों के दिलों में नीतीश के काम करने के तौर-तरीकों पर सवाल उठने लगे, लेकिन वे राजनीतिक कारणों से खामोशी ओढ़े रहे. नीतीश समझने लगे कि जब तक प्रशासनिक तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक शराब पर पूरी तरह से रोक संभव नहीं है. शराबबंदी में लिकेज के बाद नीतीश कुमार अपने (शेष पृष्ठ 2 पर)

नीतीश के उपप्रधानमंत्री बनने का आधा सफ़र तय

महागठबंधन बरकरार रखने के दावे धरे-के-धरे रह गए और भाजपा ने नीतीश कुमार को अपने पाले में करते हुए बिहार में एनडीए की सरकार बना ली. नीतीश कुमार को अपने पाले में कर भाजपा व संघ ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है. यहां यह बताना जरूरी है कि भाजपा व संघ को इस मुकाम तक पहुंचने में नीतीश कुमार से विचार-विमर्श के लंबे दौर से गुजरना पड़ा. पाठकों को याद होगा कि चौथी दुनिया ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं. जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इस दिशा में आधा सफर तय कर लिया है. बताया जा रहा है कि भाजपा व संघ यह चाहती थी कि बिहार में जद (यू) के साथ सरकार बने, पर उसका नेतृत्व नीतीश कुमार की बजाय कोई और करे. नीतीश कुमार को लेकर उनका प्लान था कि वे नरेंद्र मोदी सरकार में बतौर उपप्रधानमंत्री कार्य करें. इस खबर को चौथी दुनिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. अब बिहार में नई सरकार बनने के बाद जद (यू) के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इस टर्म में बिहार में ही रहने की इच्छा जताई थी. उनका कहना था कि जब अगली बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तब उसमें वे अहम जिम्मेदारी निभाएंगे. इस लिहाज से जद (यू) के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने उपप्रधानमंत्री बनने की दिशा में अपना आधा सफर तय कर लिया है. अब वे भाजपा के साथ हैं और बिहार में अपने बचे हुए साढ़े तीन साल के कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने के बाद केंद्र की सत्ता में धमाकेदार एंट्री करेंगे. दरअसल नीतीश कुमार को अपने पाले में कर भाजपा व संघ ने न केवल महागठबंधन के प्रयोग को असफल कर दिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया कि 2019 में नरेंद्र मोदी के आगे अब कोई बड़े कद का नेता नहीं बचा है. देश में नीतीश कुमार ही अकेले ऐसे नेता थे, जो नरेंद्र मोदी के 2019 के मिशन को ब्रेक लगा सकते थे. नीतीश कुमार के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर एक राय बनने भी लगी थी. भाजपा व संघ के नेताओं ने आगामी संकट को भांप लिया था और तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आना है. इसके बाद सुनियोजित तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया. राहुल गांधी आज भले ही कह रहे हैं कि उन्हें चार महीने पहले पता था कि नीतीश क्या करने वाले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार के कांग्रेसी उन्हें बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के पल-पल की जानकारी दे रहे थे. इन खबरों को सुनकर वे भी हतप्रभ थे. हद तो तब हो गई जब लालू भी यह नहीं समझ पाए कि भाजपा अचानक जद (यू) के साथ मिलकर सरकार बना लेगी. ■

3 योगी ने अपने ही मत्थे फोड़ लिया ठीकरा

5 क्या फ़र्ज़ी डिग्री बांट रहा है बीएचयू?

6 आतंकी घटनाओं में दम तोड़ते नागरिक

7 नफ़रत फैलाने की साज़िश है फेक न्यूज़

अग्निपथ पर नीतीश

पृष्ठ 1 का शेष

विकास के एजेंडे को मिशन मोड में आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि जनता के बीच उनकी साख पर कोई बट्टा न लगे. लेकिन दिक्कत यह होने लगी कि आधारभूत संरचना के लगभग सभी विभाग राजद कोटे में होने से नीतीश राजनीतिक कारणों से उन विभागों में ज्यादा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे. दिक्कत तब और बढ़ गई, जब नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए खजाने के द्वार बंद कर दिए. सूबे की कई विकास योजनाएं धन के अभाव में दम तोड़ने लगीं. बिहार के मंत्रियों को दिल्ली में धन के बजाय केवल आश्वासन मिल रहा था. सड़क व सिंचाई की योजनाओं को धन का टोटा खाने लगा. नतीजा यह हुआ कि विकास योजनाओं पर दोहरी मार पड़ गई. एक तो पैसे का टोटा और दूसरी तरफ बेहतर प्लानिंग का अभाव. धीरे-धीरे नीतीश कुमार को यह अहसास होने लगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोग के बिना अब उनके विकास के एजेंडे को पंख नहीं लग सकता. नीतीश कुमार को आभास हो गया कि अगर ऐसा चलता रहा, तो उनकी विकास पुरुष की छवि को गहरा धक्का लग सकता है. लिहाजा नीतीश कुमार अब इस दुविधा से निकलने का बहाना ढूंढने लगे. सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार जब एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली गए थे, उसी दरम्यान गुरुग्राम में उनकी अमित शाह से गोपनीय मुलाकात हुई. उसी मुलाकात में सारे गिले-शिकवे मिट गए और नई पटकथा लिखने की तैयारी शुरू कर दी गई. हालांकि बाद में दोनों तरफ से इस तरह की किसी भी मुलाकात का खंडन किया गया. कहा गया कि ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, लेकिन ताबड़तोड़ बदलते सियासी घटनाक्रमों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इस मुलाकात की सच्चाई क्या थी? खैर नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और फिर राष्ट्रपति चुनाव ने जद(यू) और भाजपा के साथ चलने का रास्ता तैयार कर दिया और इसके बाद जो कुछ हुआ, वह सबके सामने है.

विश्वास मत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि विकास और केवल विकास ही उनका एजेंडा है और आगे सभी इसे महसूस भी करेंगे. न्याय के साथ विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही सभी से अपील करता हूं कि वे बिहार को संवारने में अपना सहयोग दें. नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि जिस तरीके से यह नई सरकार बनी है, उसकी बुनियाद विकास पर टिकी है. 1990 के बाद यह पहला मौका है, जब केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है. अब यह बहाना भी नहीं चलेगा कि केंद्र में दूसरी गठबंधन की सरकार है, इसलिए राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. नरेंद्र मोदी की छवि भी विकास करने वाले नेता की है और नीतीश कुमार भी उसी मिजाज के हैं इसलिए अब अगर-मगर की गुंजाइश नहीं है. बिहार को स्पेशल पैकेज की बात हो या फिर स्पेशल स्टेटस की, इनमें से कम-से-कम एक तो नीतीश कुमार को हासिल करना ही होगा. केंद्र के सहयोग से राजीव गांधी शहरी आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे आदि कई महत्वपूर्ण योजनाएं सूबे में चल रही हैं. अब लोगों को उम्मीद बंधी है कि इन योजनाओं को नई गति मिलेगी और सूबे की सूरत संवरेगी. गंगा पर बनने वाले मेगा पुलों का काम भी धीमा हो जाने से उत्तर बिहार के लोगों को समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है. अब उम्मीद है कि इस दिशा में भी तेजी से काम होंगे. बरौनी रिफाइनरी से जुड़े दो बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा कराना भी नीतीश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अब केंद्र सरकार का सहयोग मिलना तय है. ये प्रोजेक्ट पूरे होने से बिहार में रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे. नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषणों में उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने का वादा किया था, उसका भी अब टेस्ट होना है. बिहार में दो नए एम्स खोलने का वादा भी नरेंद्र मोदी ने किया था. पहले तो यह कहा जा रहा था कि इसके लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा. यही बात केंद्रीय स्कूलों के खोलने पर भी लागू है. सूबे में लंबे समय से कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ है और न ही कोई बड़ा कारखाना लगा है. कारोबार से जुड़े संगठनों ने नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि अपनी नई पारी में वे उद्योग-धंधों के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करें तथा ऐसा माहौल बनाएं ताकि देश के बाहर से भी लोग यहां निवेश कर सकें. परीक्षाओं में कदाचार के कलंक धोने का भी अब वक्त आ गया है. स्कूल व कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधरे और रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा मिले, अब ऐसी उम्मीद सूबे की जनता नीतीश सरकार से कर रही है. कहा जाए तो यह एक अग्निपथ है, जिसपर नीतीश कुमार को अब साढ़े तीन साल चलना है. उन्हें इस दौरान विकास की ऐसी कहानी लिखनी होगी, जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में लिखी थी. अगर जनता उन्हें सुशासन बाबू और विकास पुरुष के रूप में जानती है, तो इस छवि के पीछे उनकी मेहनत और कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छाशक्ति थी. एक बार फिर वही चुनौती नीतीश कुमार के सामने है. उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपना ही रिकार्ड तोड़ेंगे और जनता की उम्मीदों को बरकरार रखेंगे. उन्होंने महागठबंधन तोड़कर रातोंरात बिहार में एनडीए की सरकार बनवाई है. इसे सही ठहराने के लिए नीतीश कुमार को विकास कार्यों के लिए हद से भी गुजर जाना होगा, तभी इस नई सरकार और दोस्ती की सार्थकता है, नहीं तो फिर महागठबंधन में ही क्या दिक्कत थी? ■

सीबीआई छापे से शुरू हुआ मतभेद

5 जुलाई : रेलवे की संपत्ति को ठेके पर देने के मामले में लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी व तेजस्वी यादव पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की. कार्रवाई की तैयारी.

7 जुलाई : लालू के पटना समेत बारह ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी. अगले दिन बेटी मीसा और दामाद शैलेश के तीन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी.

9 जुलाई : राजगीर से नीतीश कुमार लौटे. तेजस्वी पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा. जमीन लिखाने के मामले में ईडी ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी मांगी.

10 जुलाई : नीतीश ने फोन पर लालू यादव से बातचीत की. राजद विधायकों की बैठक में तेजस्वी के इस्तीफा नहीं देने का निर्णय. प्रवक्ताओं की बयानबाजी हुई तेज.

11 जुलाई : नीतीश ने जिन पर आरोप लगे हैं, उनलोगों को जनता और मीडिया के सामने तथ्य पेश करने को कहा. चार दिनों में स्थिति स्पष्ट करने का दिया फरमान.

12 जुलाई : नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से बातचीत की. नहीं निकला महागठबंधन बचाने का कोई कारगर फॉर्मूला.

14 जुलाई : लालू ने कहा कि हम किसी की गीदड़भभकी से डरने वाले नहीं हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने नीतीश से बातचीत की और लालू से मिले.

16 जुलाई : लालू और नीतीश के बीच सुलह कराने की शरद यादव और शिवानंद तिवारी की कोशिश बेकार. गठबंधन पर मंडराने लगा खतरा.

18 जुलाई : कैबिनेट के बाद तेजस्वी ने नीतीश को दी सफाई. मुख्यमंत्री ने कुछ और बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा. महागठबंधन में सुलह के लगने लगे कयास.

19 जुलाई : दिल्ली में सोनिया गांधी ने जद (यू) नेता शरद यादव से मुलाकात की. वहीं पटना में अशोक चौधरी जद (यू) और राजद के शीर्ष नेताओं के बीच संपर्क बनाए रखे.

21 जुलाई : राजद प्रमुख ने कहा कि महागठबंधन में सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा है. जद(यू) के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि गठबंधन पर नीतीश फैसला करेंगे.

22 जुलाई : नीतीश ने दिल्ली में राहुल गांधी से तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा की. राहुल ने कहा, बातचीत से निकले समस्या का समाधान.

24 जुलाई : दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले तेजस्वी. अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई. सोनिया की तरफ से नहीं मिला कोई आश्वासन.

25 जुलाई : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद नीतीश शाम को पटना लौटे. बयान दिया महागठबंधन बचाना सामूहिक जिम्मेवारी.

लालू परिवार को लेकर मोदी ने किए बड़े खुलासे

11 अप्रैल : बिहटा में शराब फैक्ट्री निवेश घोटाला उजागर किया.
13 अप्रैल : काम के एवज में जमीन और प्रॉपर्टी दान घोटाले का पर्दाफाश.
21 अप्रैल : डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का नाम बदलकर लारा (ला-लालू, रा-राबड़ी) प्रोजेक्ट प्रा.लि. का पर्दाफाश
22 अप्रैल : डिलाइट मार्केटिंग, एके इनफोसिस्टम की तर्ज पर तीसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का पर्दाफाश
24 अप्रैल : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एबी एक्सपोर्ट में 98 फीसद शेयर का पर्दाफाश
03 मई : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा महज पांच लाख रुपए के निवेश से 115 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बनने पर सवाल
05 मई : पेट्रोल पंप आवंटन एवं जमीन लीज हेराफेरी का पर्दाफाश
12 मई : दिल्ली में 100 करोड़ रुपए की लागत से लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की मुखौटा कंपनियों का पर्दाफाश
14 मई : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुरेंद्र जैन व वीरेंद्र जैन, शराब कारोबारी ओम प्रकाश कत्याल और अशोक कुमार बंथिया द्वारा करोड़ों रुपए की जमीन और पूरी कंपनी लालू परिवार को सौंपने पर सवाल
16 मई : एक और हवाला ऑपरेटर विवेक नागपाल की कंपनी केएचके होल्डिंग लिमिटेड द्वारा लालू कुनबे को करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन सौंपने का पर्दाफाश
17 मई : स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव द्वारा औरंगाबाद में अपने नाम से खरीदी गई करोड़ों की 45 डिस्मिल जमीन को घोषणापत्र में छिपाने का आरोप.
29 मई : यह भी आरोप लगा कि पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव व वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी से भी को-ऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन लालू परिवार ने लिखवा ली.
30 मई : लालू पर रेलमंत्री रहते एमपीएमएलए को कोऑपरेटिव सोसायटी के पांच प्लॉट 207, 208, 209, 210 और 211 पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया.
31 मई : लालू को एमपी-एमएलए कोऑपरेटिव सोसायटी की आवासीय भू-खंड के ध्यावसायिक दोहन करने का जिम्मेदार ठहराया गया.
06 जून : पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा खटाल में काम करने वाले नौकर ललन चौधरी से संपत्ति दान लेने का पर्दाफाश
14 जून : लालू कुनबे को जमीन देने वाले खटाल कर्मी ललन चौधरी के विधानपरिषद में चपरासी होने का पर्दाफाश
04 जुलाई : लालू सरकार में मंत्री रहे बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी द्वारा तेजप्रताप यादव को पौने चार वर्ष की उम्र में 13 एकड़ जमीन दिए जाने का पर्दाफाश.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 23
07 अगस्त- 13 अगस्त 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

सरकारी वकीलों की भर्ती में फंस गई योगी सरकार, सरक लिए असली कारिंदे

योगी ने अपने ही मत्थे फोड़ लिया ठीकरा

- सरकार का पक्ष लेने के बजाय अपनी साधने में लगे महाधिवक्ता
- चुप्पी साधे चतुर चाल चलने और समझने में लगे हैं क़ानून मंत्री
- 'वकील-लूट' में नेता, महाधिवक्ता, जज और नौकरशाह सब शरीक
- हाईकोर्ट ने कहा सरकारी वकील का पद रेवड़ी नहीं, कि बांट दिया

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में कुछ अर्सा पहले 'खाट-लूट' की घटना हुई थी, उसी तरह यूपी में अभी 'वकील-लूट' मची हुई है. योगी सरकार ने पिछले दिनों जिस तरह सरकारी वकीलों की नियुक्ति की, वह इतना तूल पकड़ गया है कि उसमें नेता, नौकरशाह, जज, विधिक-पदाधिकारी सब कूद पड़े हैं. सबको अपनी-अपनी पड़ी है. नियुक्ति की पहली लिस्ट के कर्ताधर्ता सुविधा-शुल्क लेकर नेपथ्य में चले गए हैं और जो नेपथ्य से सक्रिय थे, वे मंच पर प्रहसन खेल रहे हैं. उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह अदालत में सरकार का पक्ष रखने के बजाय सरकार की खाट खड़ी करने में लगे हैं. उनकी मंशा है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मसले में इतना रायता फैल जाए कि सरकार उन्हीं के हाथ में नियुक्ति का अधिकार दे दे, फिर उनकी बल्ले-बल्ले हो जाए. नियुक्ति प्रसंग में जज भी खूब रुचि ले रहे हैं, क्योंकि जज-आश्रित भी खासी संख्या में सरकारी वकीलों की लिस्ट में घुसपैठ बनाए हुए हैं. न वकीलों को योग्यता और अनुभव से कोई लेना-देना है और न जजों को. सरकार को भी इस बात की कतई चिंता नहीं कि योग्य वकीलों के बगैर प्रदेश सरकार कानूनी मसले कैसे निपटाएगी! योगी सरकार को अपनी सरकार की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं, सुनील बंसल अशोक कटारिया जैसे लोगों को अपने संगठन की प्रतिष्ठा की फिक्र नहीं और महाधिवक्ता को अपनी गंभीर जिम्मेदारियों की प्रतिष्ठा बचाए रखने का कोई आग्रह नहीं. सरकारी वकीलों की नियुक्ति के प्रकरण में संगठन के बंसलवादी-कारिंदों ने प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक को अप्रासंगिक बना दिया. उनकी इतनी ही प्राथमिकता रह गई है कि उनके जो भी लोग लिस्ट में जगह बना लें, उनका अहोभाग्य...

सरकारी वकीलों की नियुक्ति की जब पहली लिस्ट जारी हुई और उस पर बवाल मचा तो प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कहा कि नियुक्तियों की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. उनसे कोई सलाह-मशविरा नहीं लिया गया. यह उनका आधिकारिक बयान था, जो सार्वजनिक जगत से होता हुआ अदालत तक पहुंचा. अदालत तक पहुंचते-पहुंचते महाधिवक्ता के बयान में इतनी तब्दीली जरूर आई कि उनसे बस टेलीफोन पर अनुमोदन लिया गया था. कोर्ट ने भी उनसे यह नहीं पूछा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया से दूर रहने और कोई जानकारी नहीं होने के बावजूद उनके दो दर्जन से भी अधिक लोग नियुक्ति की लिस्ट में शुमार कैसे हो गए! हाईकोर्ट में केवल महाधिवक्ता ही बुलाए गए थे, लिहाजा कानून मंत्री को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उनके दर्जनभर लोग लिस्ट में जगह कैसे पा गए! कानून मंत्री ने भी कहा था कि नियुक्ति के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता. उसी तरह कई मौजूदा और निवर्तमान जजों के भी रिश्तेदार सरकारी वकील बने जिनकी योग्यता पर कोई इसलिए सवाल नहीं उठाता क्योंकि वे जज-आश्रित हैं.

सरकारी वकीलों की नियुक्ति के मसले पर फौरन ही एक जनहित याचिका दाखिल होती है और न्यायालय उस पर सुनवाई का त्वरित फैसला लेता है. इस शीघ्रातिशीघ्रता में याचिका दाखिल करने वाले वकील महेंद्र सिंह पवार से यह नहीं पूछा जा सका कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए वे खुद भी आवेदक तो नहीं थे? यदि यह सवाल पूछा जाता और यदि जवाब हां में आता तो जनहित याचिका स्वीकृति के पहले ही ढेर हो जाती. खैर, यह नौबत ही नहीं आने दी गई. याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह शिकायत रखी कि वकीलों की सूची प्रमुख सचिव न्याय ने तैयार की और उसे मुख्यमंत्री के पास भेजा. मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से लिस्ट जारी हुई, लेकिन महाधिवक्ता और प्रदेश के कानून मंत्री की इसमें कोई भूमिका नहीं रखी गई. याचिकाकर्ता ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति-सूची पर आपत्ति जताई और उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के विभिन्न कानूनी मामलों की पैरवी क्या ऐसे ही वकील करेंगे? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस शिव कुमार सिंह ने सरकार से पूछा कि कानून मंत्री के पास नियुक्ति की फाइल क्यों नहीं भेजी गई? इसकी वजह क्या थी? बिना मूल्यांकन के सरकारी वकीलों को कैसे चुना गया? हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी वकीलों के पद जनहित से जुड़े दायित्व के पद हैं, लिहाजा इन्हें रेवड़ियों की तरह नहीं बांटना चाहिए. हाईकोर्ट फिर महाधिवक्ता के मसले पर आ गया और सरकार से पूछा कि महाधिवक्ता के सामने पैनल रखने और उनकी अनुमति लेने में क्या बाधा थी? महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने अदालत से कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया गया था, केवल टेलीफोन पर उनसे अनुमोदन लिया गया. बहरहाल, अदालत की अपनी कानून प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सरकार को यह भी कह दिया गया है कि वह चाहे तो लिस्ट में संशोधन कर ले.

सरकारी वकीलों की जब नियुक्ति हुई थी तब 'चौथी दुनिया' ने उन वकीलों के नाम प्रकाशित किए थे, जो समाजवादी पार्टी के सरकारी वकील थे, या समाजवादी पार्टी के सक्रिय समर्थक थे. इस बार 'चौथी दुनिया' अखबार उन नामों को प्रकाशित कर रहा है, जो यूपी के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के अंतरंग हैं या उनके साथ रहे हैं. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के लोगों के नाम का जिक्र इसलिए जरूरी है, क्योंकि वे यह आधिकारिक तौर पर कह चुके हैं कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में वे कुछ नहीं जानते. नियुक्ति प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय में जब महाधिवक्ता तलब किए गए थे, तब भी उन्होंने क्षेत्रीय प्रचारक शिवनारायण के समक्ष यही कहा था कि उन्हें नियुक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता.

नव-नियुक्त सरकारी वकीलों की लिस्ट में शुमार शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्य स्थाई अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल), रामप्रताप सिंह चौहान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता (एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल), अमरेंद्र प्रताप सिंह अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता (एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल), राजेश तिवारी स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) शिखा सिन्हा स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), उदयवीर सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), आनंद कुमार सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), रणविजय सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), कुलदीप सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), देवी प्रसाद सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), राजेश कुमार सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), अनुपमा सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), आशुतोष सिंह स्थाई अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल), जयवर्धन सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), संजय कुमार सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), सोमा रानी वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), वीरेंद्र सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), दीपक कुमार सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), संतोष कुमार सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), शिशिर सिंह चौहान वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), धीरज राज सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), सभाजीत सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर), श्याम बहादुर सिंह वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर) और अंशुमान वर्मा वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर) प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की सिफारिश पर ही चयनित सूची में शामिल हुए हैं. वकील बिरादरी के लोग यह जानकारी देते हुए कहते हैं कि इनके अलावा और भी कई लोग हैं जो महाधिवक्ता के 'कोटे' से सरकारी वकील बने हैं.

अब जज-आश्रितों का भी ब्यौरा देखते चलें. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण के भाई विनय भूषण को मुख्य स्थाई अधिवक्ता (द्वितीय) बनाया गया. विनय भूषण समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपर मुख्य स्थाई अधिवता थे. योगी सरकार ने इन्हें तरक्की देकर स्थाई अधिवक्ता नियुक्त कर दिया. इसी तरह जस्टिस बीके नारायण के बेटे एनके सिन्हा नारायण और बहू आनंदी के नारायण दोनों को सरकारी वकील (शेष पृष्ठ 4 पर)

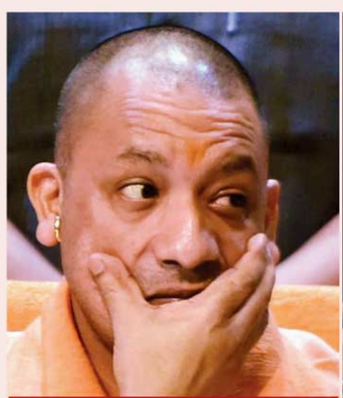

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ : ठीकरा अपने मत्थे

क़ानून मंत्री बृजेश पाठक : चतुर चुप्पी

प्रमुख सचिव की करतूतें उजागर करने वाले को मिल रही हैं धमकियां

जजों के बेटों और नाते-रिश्तेदारों को सरकारी वकील नियुक्त कर खुद जज बन जाने वाले कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले वकील सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव को मुहिम बंद करने या जान से हाथ धोने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं. सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने ही सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया में कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय की करतूतों का पूरा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा था. इसकी प्रतिलिपि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजी गई थी. पीएमओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले की गहराई से जांच कराने को कहा है. अपने ज्ञापन में सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने साफ-साफ लिखा है कि विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय पद का दुरुपयोग कर और विधार्इ संस्थाओं को अनुचित लाभ देकर हाईकोर्ट के जज बने हैं. पांडेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को अपनी तरक्की का जरिया बनाया. नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों की पूरी तरह अनदेखी की. प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय ने जानते हुए भी 49 ऐसे वकीलों को सरकारी वकील की नियुक्ति लिस्ट में रखा जिनका नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) में दर्ज नहीं है और वे हाईकोर्ट में वकालत करने के योग्य नहीं हैं. रंगनाथ पांडेय ने खुद जज बनने के लिए सारी सीमाएं लांघीं. हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों की लिस्ट में रंगनाथ पांडेय ने अनुचित लाभ लेने के इरादे से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदारों को शामिल किया और उसके एवज में जज का पद पा लिया. अधिकाधिक लोगों को उपकृत कर उसका लाभ लेने के लिए रंगनाथ पांडेय ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वकीलों और पदाधिकारियों को सरकारी वकील बनवा दिया. सरकारी वकीलों की लिस्ट में ऐसे भी कई वकील हैं, जो प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में सीधा हस्तक्षेप कर सरकारी वकीलों की विवादास्पद नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने की अपील की गई है, ताकि न्याय प्रणाली की शुचिता बरकरार रह सके. मिल रही धमकियों के बारे में सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय द्वारा जज-आश्रितों को सरकारी वकील नियुक्त करने पर उन्हें 'पुरस्कार' में जज बना दिए जाने के मसले में उन्होंने आरटीआई के तहत भी सवाल पूछे हैं. इसके बाद ही उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुईं. श्रीवास्तव ने कहा कि उन जजों के बारे में जानना जरूरी है, जिन जजों ने रंगनाथ पांडेय को जज बनाने की अनुशंसा की है. जज बनाने के लिए दो जजों की अनुशंसा आवश्यक होती है. श्रीवास्तव ने कहा कि जिन जजों ने रंगनाथ पांडेय को जज बनाने की अनुशंसा की है, उनके आश्रितों को पांडेय ने जरूर सरकारी वकील नियुक्त किया होगा.

सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया किस स्तर तक अनैतिक रास्ते पर चली कि कार्यरत और रिटायर्ड जजों के बेटों और सगे-सम्बन्धियों को सरकारी वकील की लिस्ट में शामिल कर विधि विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय जज बन गए, यह रिश्वतखोरी की नायाब घटना है. आपको याद दिलाते चलें कि कुछ ही अर्सा पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (अब सुप्रीमकोर्ट में पदस्थापित) ठीवाई चंद्रचूड़ ने जजों के बेटों, सालों और अन्य नाते-रिश्तेदारों को जज बनाने की सिफारिश की थी. 'चौथी दुनिया' में रिश्तेदारों की पूरी लिस्ट प्रकाशित होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया और जजों की नियुक्ति रोक दी गई. सरकारी वकीलों की नियुक्ति में फिर वही धंधा अपनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया. प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय इस उपकार के रिश्वती-एवज में जज बना दिए गए. जज बनाने वाली सिफारिशी लिस्ट में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी का नाम भी शुमार था, जो पीएमओ के हस्तक्षेप से रुक गया था. अब योगी सरकार ने उन्हीं नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अपर महाधिववता बना कर केसरीनाथ त्रिपाठी को उपकृत कर दिया है. सरकारी उपकार प्राप्त करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहेब भोसले भी शामिल हैं, जिनके बेटे करन दिलीप भोसले को अखिलेश सरकार ने नियुक्त किया था और योगी सरकार ने भी उसे जारी रखने की 'अनुकंपा' कर दी. करन भोसले महाराष्ट्र और गोवा हाईकोर्ट के रजिस्टर्ड वकील हैं और वहां की बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण के भाई विनय भूषण को भी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया है. ऐसे उदाहरण कई हैं. ■

योगी ने अपने ही मत्थे फोड़ लिया ठीकरा

पृष्ठ 3 का शेष

नियुक्त कर दिया गया. इनके अलावा जस्टिस केडी शाही के बेटे विनोद कुमार शाही को अपर महाधिवक्ता बनाया गया है. जस्टिस आरडी शुक्ला के रिश्तेदार राहुल शुक्ला अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस एएन त्रिवेदी के रिश्तेदार अभिनव त्रिवेदी अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस रंगनाथ पांडेय के रिश्तेदार देवेश चंद्र पाठक अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस शबीहुल हसनैन के रिश्तेदार कमर हसन रिजवी अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस एसएन शुक्ला के रिश्तेदार विवेक कुमार शुक्ला अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस अभिनव उपाध्याय के रिश्तेदार अनिल कुमार चौबे अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता, जस्टिस रितुराज अवस्थी के रिश्तेदार प्रत्यूष त्रिपाठी स्थाई अधिवक्ता और जस्टिस राघवेंद्र कुमार के पुत्र कुमार आयुष वाद-धारक (ब्रीफ-होल्डर) नियुक्त किए गए हैं. सरकारी वकीलों की नियुक्ति से सरकार की साख इतनी गिर गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों परिसरों (इलाहाबाद और लखनऊ) में जजों के रिश्तेदारों को जज-आश्रित कह कर खुलेआम संबोधित किया जा रहा है और कटाक्ष हो रहे हैं.

रिश्वतखोरी और पैरवी इस कदर हुई कि जिसकी जितनी औकात थी उतनी 'लूट' कर ले गया. भाजपा लीगल सेल के कुलदीप पति त्रिपाठी सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए संगठन की तरफ से लिस्ट बनाने के काम में लगे थे और खुद अपर महाधिवक्ता बन बैठे. 2001 बैच के वकील को इतना महत्वपूर्ण पद देते हुए न सरकार को कोई झिझक आई और न संगठन को कोई झेंप महसूस हुई. इसी तरह अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारी जेके सिन्हा की जूनियर ज्योति सिक्का को भी अपर महाधिवक्ता बनाने में सरकार को कोई हिचक नहीं हुई.

सुनील बंसल : सब कुछ करके चले नेपथ्य में

महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह : नियुक्ति के बाद अपने सहयोगियों के साथ खुशियां बांटते

आपको याद दिलाते चलें कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए योग्य वकीलों की लिस्ट बनाने का जिम्मा प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संभाली थी. उनका साथ दे रहे थे उन्हीं की टीम के खास सदस्य अशोक कटारिया. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से अलग से लिस्ट बनाई जा रही थी. अधिवक्ता परिषद की तरफ से भी योग्य वकीलों की लिस्ट बनाई जा रही थी. दूसरी तरफ कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय भी रंगीन खिचड़ी पका रहे थे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. लेकिन नियुक्ति के बाद जो लिस्ट बाहर आई उसने संगठन, संघ, परिषद और प्रमुख सचिव सबकी पोल खोल कर रख दी. यह उजागर हुआ कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में पैरवी और घूसखोरी जम कर चली जिसका परिणाम यह हुआ कि संगठन और सरकार की प्रतिष्ठा को ताक पर रख कर तमाम पैरवी-पुत्रों, जज-आश्रितों, मंत्री और महाधिवक्ता के गुट के लोगों और समाजवादी सरकार के समय के अधिकांश सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त कर दिया गया. योग्यता का मापदंड बहुत पीछे छूट गया. सुनील बंसल और अशोक कटारिया की सिफारिश पर 50 से अधिक ऐसे वकीलों की नियुक्ति की गई जो घोषित सपाई हैं. सरकारी वकीलों की लिस्ट में जजों के बेटे और नाते-रिश्तेदारों को शामिल कर कानून विभाग के प्रमुख सचिव रंगनाथ पांडेय खुद जज बन गए और बड़ी बुद्धिमानी से नेपथ्य में चले गए.

आपको बता दें कि अधिवक्ता परिषद ने 34 वकीलों के नाम भेजे थे, लेकिन उसमें महज आठ वकीलों को नियुक्ति मिली. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 109 नाम भेजे, लेकिन उनमें मात्र 34 नाम चयनित हुए. संघ और परिषद पर महाधिवक्ता ही हावी रहे, जिन्होंने अपने दर्जनों लोगों को सरकारी वकील के विभिन्न पदों पर आसीन करा दिया. जो बचा उससे प्रदेश के मंत्री को संतोष करना पड़ा.

सपा सरकार में मंत्री रहे शिवाकांत ओझा के बेटे सत्यांशु ओझा समेत तमाम सपाई सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त कर दिया गया है. योगी सरकार ने दो सौ से अधिक सरकारी वकील नियुक्त किए, जिनमें 79 नाम ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी ही नहीं है कि वे नाम किसके कहने पर सूची में जोड़े गए. प्रदेश सरकार ने जिन 201 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की उनमें करीब 50 वकीलों के सपाई होने की पुष्टि हो चुकी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के पद पर नियुक्त 21 सरकारी वकीलों में सपा सरकार के समय से तैनात अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता राहुल शुक्ला, अभिनव एन. त्रिपाठी, देवेश पाठक, पंकज नाथ, कमर हसन रिजवी, सत्यांशु ओझा और विवेक शुक्ला को योगी सरकार ने भी जारी रखा. स्टैंडिंग काउंसिल के 49 पदों पर भी सपा सरकार के समय से तैनात 15 सरकारी वकीलों को फिर से जारी रखा गया है. इनमें हिमांशु शेखर, शोभित मोहन शुक्ला, नीरज चौरसिया, मनु दीक्षित और केके शुक्ला के नाम प्रमुख हैं. ब्रीफ होल्डर के पद पर नियुक्त हुए 107 सरकारी वकीलों में से 21 सपाई वकीलों को जारी रखा गया है. सरकारी वकीलों की नियुक्ति में जजों के रिश्तेदारों का भी भाजपा सरकार ने खास ध्यान रखा है.

इस नियुक्ति में सपा सरकार के तमाम वकीलों को जगह मिलने और भाजपा समर्थित वकीलों को खारिज किए जाने के कारण वकील समुदाय में काफी नाराजगी है. इन नियुक्तियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी नाराज है. लेकिन इस नाराजगी का कोई प्रभाव न तो बंसल पर पड़ा है और न योगी सरकार पर. संघ ने प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को तलब कर अपनी नाराजगी जताई और इतिश्री कर ली. इस मसले पर संघ ने न तो मुख्यमंत्री से बात की और न प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल से कोई पूछताछ की. नाराज वकीलों ने भी भाजपा के प्रदेश व क्षेत्रीय कार्यालय और संघ के भारती-भवन दफ्तर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई. संघ की ओर से तलब किए गए महाधिवक्ता ने भारती-भवन जाकर इस नियुक्ति में उनका कोई हाथ न होने की कसमें खाईं और उन्होंने संघ पदाधिकारियों के समक्ष यह स्वीकार किया कि सूची बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है और न न्याय विभाग ने सूची जारी करने से पहले उनसे कोई राय ही ली. बड़े पैमाने पर सपाई विचारधारा के वकीलों को सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की वजहों का महाधिवक्ता कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.

भाजपा सरकार में सरकारी वकीलों की नियुक्ति सुनियोजित घोटाले से कम नहीं है. सरकार ने ऐसे लोगों को भी सरकारी वकील नियुक्त कर दिया, जो आधिकारिक तौर पर वकील नहीं हैं. स्पष्ट है कि रिश्वतखोरी और गुटबाजी में सारे नैतिक मापदंडों को ताक पर रख दिया गया. जिन वकीलों को सरकारी वकील बनाया गया, उनमें से कई तथाकथित वकीलों के नाम हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एडवोकेट ऑन रोल (एओआर) में दर्ज ही नहीं हैं. खबर है कि बगैर एओआर वाले नवनियुक्त सरकारी वकीलों की संख्या भी 50 से अधिक है. इनमें गिरीश तिवारी, प्रवीण कुमार शुक्ला, शशि भूषण मिश्र, दिवाकर सिंह, वीरेंद्र तिवारी, दिलीप पाठक जैसे लोगों के नाम शामिल हैं. विडंबना यह है कि बगैर एओआर वाले वकीलों की संख्या 50 से अधिक है, लेकिन केवल दर्जनभर वकीलों को ही ज्वाइन करने से रोका गया. हाईकोर्ट में वकालत करने की पहली शर्त ही होती है कि उसका नाम एओआर सूची में दर्ज है या नहीं. सरकारी वकीलों की नियुक्ति इतनी अफरातफरी में की गई कि एक-एक वकील के नाम कई-कई जगहों पर दर्ज कर दिए गए. पांच सरकारी वकीलों के नाम दो जगह पाए गए हैं. इनमें अनिल कुमार चौबे, प्रत्यूश त्रिपाठी, सोमेश सिंह, राजाराम पांडेय और श्याम बहादुर सिंह के नाम दो या दो से अधिक जगह पर दर्ज पाए गए. सूची के पेज नंबर तीन पर ब्रीफ होल्डर (सिविल) की श्रेणी में पांच सरकारी वकीलों के नाम ही गायब पाए गए हैं.

आपको पिछली बार भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा सपाई वकीलों को बड़े-बड़े सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाने और भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की पूरी तरह अनदेखी किए जाने के खिलाफ नव-नियुक्त सरकारी वकील व रामजन्म भूमि मुकदमे से जुड़ी वकील रंजना अग्निहोत्री ने सरकारी वकील के पद से इस्तीफा दे दिया. रंजना अग्निहोत्री ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सीधा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा भेज दिया था. भाजपा की प्रदेश मीडिया प्रभारी रह चुकीं अनीता अग्रवाल ने भी सरकारी वकील के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देने से इंकार कर दिया. अधिवक्ता परिषद की डॉ. दीप्ति त्रिपाठी ने भी परिषद के वकीलों और महिला वकीलों की अनदेखी किए जाने के कारण सरकारी वकील का पद अस्वीकार कर दिया है. रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि सपा कार्यकाल के अधिकांश सरकारी वकीलों को फिर से नियुक्त किया जाना भाजपा के प्रतिबद्ध वकीलों के साथ सीधा-सीधा अन्याय है. हाईकोर्ट में प्रैक्टिस न करने वालों को भी सरकारी वकील बना दिया जाना अनैतिकता का चरम है. अनीता अग्रवाल ने कहा कि वे भाजपा से पिछले 30 साल से जुड़ी हैं. उनकी उपेक्षा कर उनसे काफी जूनियर वकीलों को अपर महाधिवक्ता बना दिया गया है. ऐसे में वह स्टैंडिग काउंसिल के पद पर कार्य नहीं कर सकतीं. ■

और योगी से नहीं मिले संघ के नेता

महाधिवक्ता की नियुक्ति से लेकर सरकारी वकीलों की नियुक्ति तक की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सिफारिशों को नजरअंदाज किए जाने को लेकर संघ में बेहद नाराजगी है. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह को संघ के लखनऊ मुख्यालय में बुला कर फटकार लगाई जा चुकी है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ के राजेंद्र नगर स्थित मुख्यालय 'भारती-भवन' गए तो संघ के क्षेत्रीय प्रचारक शिवनारायण ने योगी से मुलाकात नहीं की. योगी संघ के अन्य पदाधिकारियों से मिल कर वापस आ गए. संघ, संगठन और सरकार के गलियारे में इस बात की खूब चर्चा रही. इसके पहले भी संघ हिन्दू युवा वाहिनी के समानांतर रूप से पांव पसारने की गतिविधियों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुका है. हिन्दू युवा वाहिनी के गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दायरे से बाहर निकल कर पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में फैलने की कवायदों पर संघ नाराज है. संघ विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के योगी आदित्यनाथ के कदम पर भी सवाल उठा चुका है. ■

महाधिवक्ता पर भी इसी तरह उहापोह में फंसी रही थी योगी सरकार

जिस तरह सरकारी वकीलों की नियुक्ति चर्चा और विवादों में है, उसी तरह प्रदेश का महाधिवक्ता चुनने में भी तमाम किस्म की सियासी नौटंकियां हुई थीं. प्रदेश सरकार का उहापोही चरित्र महाधिवक्ता के चयन में ही उजागर हो गया था. कभी शशि प्रकाश सिंह यूपी के महाधिवक्ता बनाए जा रहे थे तो कभी महेश चतुर्वेदी. अंदर-अंदर राघवेंद्र सिंह भी लगे थे और उन्होंने सुनील बंसल को पकड़ रखा था. एक समय तो यह भी आया, जब राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ही प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे. 27 मार्च 2017 को यह फैसला हुआ और कहा गया कि 28 मार्च को इसकी बाकायदा घोषणा होगी. तमाम अखबारों में शशि प्रकाश सिंह के महाधिवक्ता बनने की खबरें और उनकी तस्वीरें भी छप गईं. लेकिन सरकार ने औपचारिक घोषणा नहीं की. शशि प्रकाश सिंह को संघ का समर्थन प्राप्त था. वे संघ के अनुषांगिक संगठन अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और परिषद की यूपी इकाई के अध्यक्ष रहे हैं. लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति में भी संघ की नहीं चली. विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे पूर्व सांसद राघवेंद्र सिंह को पार्टी ने विधायकी का टिकट नहीं दिया था. सुनील बंसल ने इसके एवज में उन्हें प्रदेश का महाधिवक्ता बनाने में भूमिका अदा की. इसीलिए अधिवक्ता जगत में चर्चा है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति सुनील बंसल और राघवेंद्र सिंह की आपसी समझदारी से हुई है. महाधिवक्ता पद के लिए कतार में खड़े महेश चतुर्वेदी और रमेश कुमार सिंह जैसे वरिष्ठों को अपर महाधिवक्ता का पद लेकर संतुष्ट होना पड़ा. महेश चतुर्वेदी बसपा सरकार में भी मुख्य स्थाई अधिवक्ता थे. रमेश सिंह राजनाथ सिंह के शासनकाल में भी प्रदेश के अपर महाधिवक्ता थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या फ़र्ज़ी डिग्री बांट रहा है बीएचयू?

सुरेश त्रिवेदी

क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बीएड की फ़र्ज़ी डिग्रियां बांट रहा है? अगर बीएड कोर्स को मान्यता देने वाली संस्था 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद' (एनसीटीई) के मानकों और दिशा निर्देशों पर यकीन करें, तो यह बात सच ही लगती है. लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र का मामला होने के कारण मामूली बातों पर जबरदस्त हाय-तौबा मचाने वाले जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं. यही नहीं, एनसीटीई ने भी बीएचयू अफसरों की इस मनमानी के खिलाफ कागज़ी घोड़े दौड़ाकर चुप्पी साध ली है.

दरअसल, बीएचयू में बीएड कोर्स चलाने के लिए वर्ष 1997 में एनसीटीई द्वारा अनुमति दी गई थी. शुरुआत में बीएचयू को कमच्छा (वाराणसी) परिसर में 180 फ्री एवं रेगुलर सीटों हेतु मान्यता मिली. बाद में वर्ष 2006 में यूनिवर्सिटी प्रशासन के आग्रह पर 100 और सीटों पर भर्ती करने की मंज़ूरी दे दी गई. यह मंज़ूरी भी बीएचयू के कमच्छा स्थित मुख्य कैंपस के लिए ही थी. लेकिन मिर्ज़ापुर जिले के बरकच्छा में यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 'राजीव गांधी दक्षिणी परिसर' खुल जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बढ़ी हुई सीटों को मनमाने तरीके से वहां ट्रांसफर कर दिया. नतीजा यह हुआ कि मिर्ज़ापुर जनपद स्थित बीएचयू के साउथ कैंपस में भी बीएड की कक्षाएं चलने लगीं. यही नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अतिरिक्त मान्यता वाली सी सीटों के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए इन्हे 'फ्री एंड रेगुलर' सीट से स्ववित्त पोषित (सेल्फ फाइनेंस) योजना में बदल दिया.

सूत्रों का कहना है कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम की आड़ में राजीव गांधी साउथ कैंपस में इन सीटों पर दाखिले के लिए छात्रों से 30-30 हज़ार रुपए की अतिरिक्त वसूली की गई. हद तो तब हो गई जब बीएचयू प्रशासन ने कुल स्वीकृत 280 सीटों के मुकाबले कई शिक्षा सत्रों में इससे दो गुना बीएड छात्रों की भर्ती कर ली. बताया जाता है कि पिछले एक दशक में बीएचयू प्रशासन पेड सीट के नाम पर बीएड छात्रों से चार करोड़ से ज़्यादा के रकम की वसूली कर चुका है. बीएड छात्रों से लूट का यह सिलसिला आज भी जारी है. स्वीकृत सीट से ज्यादा पर जिन छात्रों का नामांकन दर्ज कराया गया, उन्हें दी गई डिग्रियों की वैधता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है.

हालांकि एनसीटीई ने बीएड कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं. लेकिन इसके बावजूद कुछ रसूखदार संस्थान कैसे इन दिशा निर्देशों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं, बीएचयू इसका जीता-जगता

एक समान मामले में एनसीटीई का दोतरफा रवैया

है रानी की बात ये है कि बीएचयू के मामले में जानबूझ कर आंखें मूंद लेने वाले एनसीटीई ने दूसरे संस्थानों की ऐसी ही गतिविधियों पर अपनी नज़रे टेढी कर ली है. ताज़ा उदाहरण दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का है. बताया जाता है कि इस विश्वविद्यालय में बगैर मान्यता के बीएड पाठ्यक्रम चलाया जा रहा था. इस बारे में जब शिकायत की गई, तो एनसीटीई ने सीधी कार्रवाई करते हुए वहां अवैध रूप से चल रहे पाठ्यक्रम को तत्काल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए. 16 अगस्त 2014 को इस सम्बन्ध में एनसीटीई, नई दिल्ली के सदस्य सचिव द्वारा जारी पत्र में यह भी साफ़ कहा गया कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा इस अवधि में छात्रों को जारी की गई बीएड की डिग्रियां अवैध होंगी. स्पष्ट है कि ये डिग्रियां नौकरियों के लिए मान्य नहीं होंगी. दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में एनसीटीई द्वारा उठाया गया यह कठोर कदम बीएचयू के मामले में नदारद है. एनसीटीई निदेशक के चार-चार पत्रों पर कार्रवाई तो दूर उनका कोई जवाब तक न देने वाले बीएचयू प्रशासन पर शिक्षा परिषद की चुप्पी संदेह पैदा करने वाली है. कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के कारण एनसीटीई के अधिकारी संभवतः इस मामले में बीएचयू से सीधा पंगा नहीं लेना चाहते. इसीलिए वे बार-बार जांच और कार्रवाई का जिम्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति पर ही डालने की कवायद में लगे हुए हैं. ■

उदाहरण है. एनसीटीई एक्ट-1993 के अनुसार, कोई भी शैक्षणिक संस्थान एनसीटीई की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने परिसर में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं कर सकता. एनसीटीई की मंज़ूरी के बिना कोर्स संचालित करने वाले किसी संस्थान को सीटों की संख्या बढ़ाने या फिर उनके स्वरूप जैसे, फ्री सीट से पेड सीट में परिवर्तन करने का भी अधिकार नहीं है. एक्ट में इसके लिए भी स्पष्ट प्रावधान है कि बीएड कोर्स संचालित करने वाले शैक्षिक संस्थान एनसीटीई की अनुमति के बिना कॉलेज के लोकेशन में भी बदलाव नहीं कर सकते. एक्ट में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि इन नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों द्वारा संचालित कोर्स अवैध माने जाएंगे और इनकी डिग्री के आधार पर छात्रों को नौकरी नहीं मिल सकेगी.

इन तमाम प्रावधानों के बावजूद बीएचयू प्रशासन नियमों की धज्जियों उड़ा रहा है. सीटों की प्रकृति में मनचाहा बदलाव कर (फ्री सीट से पेड सीट) छात्रों से मनमानी रकम ऐंठते हुए वाराणसी की जगह पड़ोस के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकच्छा में बिना अनुमति के बीएड की कक्षाएं चलाई जा रही हैं. बीएचयू प्रशासन की इस गैर-कानूनी गतिविधि को लेकर पिछले चार सालों में एनसीटीई के निदेशक को दर्ज़नो शिकायतें भेजी जा चुकी हैं. लेकिन एनसीटीई इन शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के बजाय कागज़ी खानापूर्ति में जुटा हुआ है. ऐसे ही एक शिकायतकर्ता एडवोकेट केशव कुमार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए परिषद के क्षेत्रीय निदेशक (जयपुर) ने मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी को इस मामले की जांच कराने तथा न्यायसंगत निर्णय लेने के निर्देश दिए. मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच में भी पाया गया कि बीएचयू द्वारा मिर्ज़ापुर के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में बीएड की कक्षाएं चलाई जा रही हैं. इसके बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं हुई. हालांकि जुलाई 2014 में एनसीटीई द्वारा बीएचयू के कुलपति को लिखा गया कि बीएचयू के संरक्षण में राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में चलाई जा रही बीएड की कक्षाएं सरकारी प्रावधानों के विरुद्ध हैं. कुलपति को यह भी निर्देशित किया गया कि वह पूरे मामले की जांच कर एक पखवारे के भीतर एनसीटीई को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि बीएचयू के कुलपति ने एनसीटीई निदेशक के इस निर्देश की भी पूरी तरह से अनदेखी कर दी और बीएड के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का सिलसिला वहां आज भी जारी है.

एक तथ्य यह भी है कि एनसीटीई की वेबसाइट पर उपलब्ध बीएड कोर्स की मान्यता सूची में बीएचयू के राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकच्छा, मिर्ज़ापुर का कहीं नाम नहीं है. इस सूची में सिर्फ और सिर्फ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का ही नाम दर्ज़ है. एनसीटीई ने 26 अप्रैल 2017 को बीएचयू के कुलपति को पुनः पत्र लिखकर मामले की जांच करने तथा उन्हें तथ्यों से अवगत कराने को कहा है. लेकिन अंदेशा यही है कि इस पत्र का अंजाम भी पहले के पत्रों जैसा ही होगा. इस बीच राजीव गांधी दक्षिणी परिसर मिर्ज़ापुर में बीएड पाठ्यक्रम के नए सत्र के लिए छात्रों के प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है.

बीएचयू के सैकड़ों बीएड छात्र राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में बीएड कोर्स की मान्यता और डिग्री की वैधता को लेकर जब-तब धरना प्रदर्शन करते रहते हैं. लेकिन हर बार बीएचयू प्रशासन उन्हें डरा-धमका कर या फिर कुछ समझा कर चुप करा देता है. बहरहाल, छात्रों के सामने सवाल यह नहीं है कि बीएचयू और एनसीटीई के बीच चल रही इस रस्साकशी में किसकी शह या मात होती है. उनके सामने यक्ष-प्रश्न यह है कि लाखों रुपए खर्च करके हासिल की गई उनकी बीएड की डिग्री के आधार पर उन्हें नौकरी मिल पाएगी या नहीं. इससे बड़ा एक नैतिक सवाल यह भी है कि महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित मूल्यों और उच्च आदर्शों की बुनियाद पर खड़ी बीएचयू क्या सचमुच फ़र्ज़ी डिग्रियां बांट रही है. इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ बीएचयू प्रशासन ही दे सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रायगढ़ ज़िले में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर कंपनियों का कब्ज़ा

विकास की आस में ज़मीन भी गई

छत्तीसगढ़, झारखंड और ओड़ीशा जैसे पिछड़े राज्यों में सरकारें विकास के नाम पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रही हैं, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही बयां करते हैं. यहां विकास तो दूर, आदिवासियों की जमीन और प्राकृतिक संसाधन भी छीने जा रहे हैं. ये एमओयू प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगपतियों की लूट के लिए सरकार द्वारा जारी सहमति-पत्र मात्र बनकर रह गए हैं.

चंदन राय

भारत को चमत्कारों का देश यूं ही नहीं कहा जाता है. यहां संतराम पैकारा जैसा दिहाड़ी मजदूर भी करोड़ों रुपयों की जमीन एक झटके में खरीद सकता है. कह सकते हैं कि अगर स्थितियां सामान्य होतीं, तो यह खबर सुर्खियों में रहती, लेकिन मामला एक मशहूर उद्योगपति जिंदल से जुड़ा है. इसलिए न खबर पर कहीं चर्चा होनी थी, न हुई. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीन हड़पने की कंपनियों में होड़ मची है. रायगढ़ जिले में भेनगारी गांव के निवासी अर्जुन सिंह मांझी को ही ले लीजिए. 2009 में अपने घर के छत की मरम्मत के लिए उन्हें कुछ रुपयों की जरूरत थी. उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक एकड़ जमीन महेश पटेल को बेच दी और बाकी जमीन पर खेती करने लगे. मार्च 2012 में उन्हें फिर कुछ जमीन बेचने की जरूरत पड़ी. जब उन्होंने खरीदने वाले को जमीन के कागजात दिखाए, तो उसने कहा कि यह जमीन उनके नाम पर नहीं है. हुआ यूं कि महेश पटेल ने जमीन खरीदते समय कुछ अन्य कागजों पर भी उनसे साइन करा लिए थे. बाद में उसने मांझी की साढ़े सात एकड़ जमीन टीएनएम एनर्जी को बेच दी. टीएनएम एनर्जी नजदीक के गांव खोखरोमा में 600 मेगावाट की कोल बिजली परियोजना लगा रही है. 2012 से 2017 के दौरान अर्जुन मांझी जैसे सैकड़ों किसानों की 700 एकड़ जमीन टीएनएम एनर्जी और महावीर कोल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने हड़प ली है. आदिवासियों से यह जमीन कभी जोर-जबरदस्ती से ली गई, तो कभी झांसे में लेकर, कभी फर्जी हस्ताक्षर करा लिए गए तो कभी सरपंच को मिलाकर जमीन लिखा ली गई. कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जहां कंपनियों ने अपने इम्प्लाई के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़प ली. रायगढ़ जिले के घरगोड़ा तहसील में भेनगारी, खोखरोमा, नवापाड़ा टेंडा और कटांगड़ी गांव के किसान अपनी जमीन वापस लेने के लिए आज इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.

आदिवासी इलाकों में पंचायत एक्ट, 1996 के अनुसार, रायगढ़ जैसे इलाकों में, जहां 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी है, ग्राम सभा की सहमति के बिना उनकी जमीन किसी भी गैर आदिवासी को न तो हस्तांतरित की जा सकती है और न ही बेची जा सकती है. लेकिन रायगढ़ में आप किसी भी आदिवासी से मिलें, वह बाहरी लोगों या निजी कंपनियों द्वारा जमीन हड़प लिए जाने की एक अलग ही कहानी आपको सुनाएगा. इन क्षेत्रों में कितने ऐसे मामले

सामने आए हैं, जिनमें कंपनियों के कारिंदों ने डरा-धमकाकर जमीन हथिया ली है. वहीं कुछ किसान बताते हैं कि उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से जमीन की काफी कम कीमत दी गई.

रायगढ़, कोबरा, सरगुजा और धर्मजयगढ़ जिलों में सभी खनन और पावर एनर्जी कंपनियां इन्हीं तरीकों से आदिवासियों की जमीन छीन रही हैं. रायगढ़ के एक स्थानीय वकील बताते हैं कि छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड की धारा 170 बी के तहत सैकड़ों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. कई मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस सौंप दी गई है. अब चार गांवों के सैकड़ों किसान इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. खोखरोमा गांव की सरपंच पार्विती मांझी कहती हैं कि हम अब तक बहुत सहते रहे हैं. हमें कंपनियों और बाहरी लोगों ने बार-बार ठगा है. अब हम इन कंपनियों को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं. सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि अगर आदिवासियों ने कंपनियों के खिलाफ जमीन हथियाने के केस में जीत हासिल कर ली, तो आगे वे ऐसा करने से डरेंगी.

2009 से 2015 तक कुनकुनी गांव के आदिवासियों की 300 एकड़ से अधिक जमीन बिलासपुर स्थित रियल इस्टेट फर्म सप्तर्षि इंफ्राटेकने अपने नाम हस्तांतरित करा ली. ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन को सप्तर्षि इंफ्रा ने आगे खनन कंपनियों को बेच दिया. पिछले साल कुनकुनी के निवासी जयलाल रथिया ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जोर-जबरदस्ती से हथियाई गई आदिवासियों की जमीन वापस दिए जाने को लेकर एक याचिका दायर की थी. मार्च 16, 2017 को असामान्य परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई. उनके बेटे आनंदराम रथिया कहते हैं कि यह स्वाभाविक मौत नहीं थी. जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह मामला उठा, तब अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग ने 9 मई को निर्देश दिया कि कुनकुनी ग्राम की जमीन आदिवासियों को वापस दी जाए और फ्रॉड कर जमीन हथियाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाए. कुछ माह पूर्व अमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी घरगोड़ा गांव में आदिवासियों की जमीन हथियाने को लेकर अधिकारियों से जांच की मांग की थी.

14 जून को सैकड़ों आदिवासियों ने जमीन के कागजों के साथ रायगढ़ स्थित (अनुसूचित-जाति, जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित) विशेष थाने में प्रदर्शन किया. उन्होंने थाने में मौजूद पुलिस अधिकारियों को हथियाई गई जमीन के असली कागजात भी दिखाए. इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने से पूर्व प्राथमिक जांच करने का फैसला किया. 25-26 जून को कुछ पुलिस ने भेनगारी और नवापाड़ा टेंडा गांव में कैम्प कर ग्रामीणों की शिकायतें दर्ज कीं. ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने उनके कहे अनुसार बयान दर्ज नहीं किया और न ही कंपनियों के खिलाफ कुछ लिखा. 9 एकड़ जमीन के मालिक जयंतीलाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस से कहा कि हमें किस कागज पर साइन करने के लिए कहा गया, हमें नहीं पता. हां, बाद में पता चला कि मेरी सात एकड़ जमीन टीएनएम एनर्जी कंपनी के पास चली गई.

अब बात करते हैं संतराम पैकारा की, जिनका जिक्र पूर्व में किया गया. संतराम रायगढ़ स्थित जिंदल कंपनी में दिहाड़ी मजदूरी करते थे. 2008 में उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी. मार्च 2014 में रायगढ़ जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि इस जमीन की खरीद तो दो आदिवासियों के नाम पर हैं, लेकिन वास्तविक कब्जा किसी और कंपनी का है. जिंदल पावर ने रायगढ़ जिले के तामनार क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर आदिवासियों की 108 एकड़ जमीन हथिया ली है. अगस्त 2009 में संतराम की भी अचानक असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई. इसके बाद जिंदल कंपनी ने उनकी पत्नी सुशीला पैकारा को नौकरी का आश्वासन देकर डेथ सर्टिफिकेट भी अपने कब्जे में ले लिया. जिंदल ने 39 एकड़ जमीन संतराम के नाम पर सरसमल, तामनार, रामपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में ली थी. ऐसे कितने ही संतराम के नाम पर कंपनियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है. विकास के उजियारे की आस में आदिवासियों की उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ठाकुरता का इस्तीफ़ा: चौथे स्तम्भ पर हमला

राजस्व खुफ़िया निदेशालय का मानना हैं कि सरकारी प्रोत्साहन राशि की बंदरबांट के लिए बनी कंपनियों के इस मकड़जाल में ज़्यादातर कंपनियों का नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के पास ही है. मजे की बात यह है कि इन कंपनियों ने आपस में ही डायमंड, जड़ाऊ स्वर्णाभूषणों आदि की खरीद-फरोख्त की और एक तरह से फ़र्ज़ी आयात-निर्यात दिखाकर बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को चपत लगाई. अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में इसे 'सर्कुलर ट्रेडिंग' कहा जाता है.

सुरेश त्रिवेदी

करंट अफेयर्स की नामी पत्रिका इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के सम्पादक परंजय गुहा ठाकुरता ने पिछले दिनों एकाएक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. श्री ठाकुरता न केवल खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी गिनती ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों में की जाती है, जो आर्थिक मामलो की गहरी समझ रखते हैं. ठाकुरता का इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से इस्तीफा इन दिनों मीडिया जगत में सुर्खियां बटोर रहा हैं. कहा तो यह जा रहा हैं कि ठाकुरता की रुखसती के पीछे इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी उनकी वे दो रिपोर्ट्स हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी समझे जाने वाले उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के कारनामों का खुलासा करने के मकसद से लिखी थी. लेकिन उन रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था जिसका खुलासा होते ही कई बड़े कॉर्पोरेट घरानो की आर्थिक सत्ता के शक्ति-केंद्र एकाएक इतने विचलित हो गए कि वे लोकतंत्र के चौथे खम्भे की स्वतंत्रता पर हमो करने को व्यग्र हो उठे. नतीज़तन ठाकुरता जैसे कलम के निर्भीक सिपाही को आनन-फानन बेदखल होना पड़ा. आइए इसका ज़ायज़ा लेते हैं:-

इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के जनवरी 2017 के अंक में परंजय गुहा ठाकुरता ने एक लेख छापा, जिसमे यह खुलासा किया गया था कि अडानी ग्रुप ने 2003-2004 और 2004-2005 में डायमंड तथा सोने के जड़ाऊ गहनों के आयत-निर्यात के जरिए तकरीबन एक हज़ार करोड़ रुपए की कर चोरी की है. लेख के मुताबिक़ वर्ष 2003-2004 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ प्रोत्साहन- योजनाएं शुरू की. विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा घोषित इन योजनाओं में ड्यूटी फ्री क्रेडिट एंटाइटलमेंट (डीएफसीई) और टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) प्रमुख थीं. इन योजनाओं के लिए केवल स्टेटस होल्डर कंपनियों को पात्र माना गया. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुसार स्टेटस होल्डर वे कंपनियां हैं, जिनका सालाना निर्यात कारोबार पच्चीस करोड़ से अधिक हो. साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि इन कंपनियों के निर्यात में 2002-2003 के मुकाबले 2003-2004 में कम से कम पच्चीस प्रतिशत की क्रमोत्तर बढ़ोतरी हो. इन कंपनियों को डीएफसीई योजना में उनके बढ़े हुए निर्यात के 10 प्रतिशत के बराबर तथा टीपीएस योजना में 5 से 15 प्रतिशत तक वित्तीय लाभ देने का प्रावधान था. जाहिर हैं कि दोनों योजनाएं काफी आकर्षक थीं. लिहाज़ा सरकारी योजनाओं के जरिए, दम तोड़ रहे निर्यात-आयात कारोबार का रंग चोखा करने के लिए अडानी समेत कई औद्योगिक घराने इस धंधे में कूद पड़े. कहा जाता हैं कि सरकारी पैसे की लूट के लिए अडानी एक्सपोर्ट्स, जिसका निर्यात कारोबार वर्ष 2002-2003 में लगभग 377 करोड़ था, पहले हिंदुजा एक्सपोर्ट्स, आदित्य कॉर्पेक्स, मिडेक्स ओवरसीज, बगड़िया ब्रदर्स और जयंत एग्रो के साथ मिलकर एक गठजोड़ बनाया. बाद में इसमें देश विदेश की चालीस से अधिक दूसरी कंपनियों को शामिल कर लिया. इनमें से ज्यादातर कंपनियां हांगकांग, दुबई, शारजाह और सिंगापुर की बताई जाती हैं.

राजस्व खुफिया निदेशालय का मानना हैं कि सरकारी प्रोत्साहन राशि की बंदरबांट के लिए बनी कंपनियों के इस मकड़जाल में ज़्यादातर कंपनियों का नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के पास ही है. मजे की बात यह है कि इन कंपनियों ने आपस में ही डायमंड, जड़ाऊ स्वर्णाभूषणों आदि की खरीद-फरोख्त की और एक तरह से फ़र्ज़ी आयात-निर्यात दिखाकर बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने को चपत लगाई. अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में इसे 'सर्कुलर ट्रेडिंग' कहा जाता है.

इस सर्कुलर ट्रेडिंग के बहाने क्या-क्या कारनामे किए गए यह जानना और दिलचस्प है. राजस्व खुफ़िया निदेशालय का कहना है कि अडानी ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों ने आयातित किए गए माल के बिलों को काफी बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया. हीरों को बिना तराशे उनकी क्वालिटी में फ़र्ज़ी बढ़ोतरी दर्ज़ की. एक ही माल को बार-बार आपस में खरीदा बेचा और अपना टर्न ओवर बढ़ाया. दुबई से सोने की छड़ें आयात कीं, उन्हें मोटे जड़ाऊ गहनों में बदलकर वापस भेजा और बाद में इन गहनों को गलाकर फिर छड़ों के रूप में भारत आयात कर लिया. अडानी एक्सपोर्ट्स ने एक और करिश्मा किया. उसने अनगढ़ कच्चे हीरों का भारी निर्यात दिखाया, जबकि भारत परम्परागत रूप से कच्चे हीरों का निर्यातक देश नहीं है. अडानी ग्रुप पर सरकारी मेहरबानी का नतीजा यह रहा कि 2002-03 में महज़ 377 करोड़ का निर्यात कारोबार करने वाली इस कंपनी का निर्यात अगले साल यानि 2003-04 में 11 गुना बढ़कर 4657 करोड़ और 2004-05 में उछलकर 10,808 करोड़ तक पहुंच गया. तकरीबन यही हाल हिंदुजा एक्सपोर्ट्स, आदित्य कॉर्पेक्स समेत दूसरी कंपनियों का भी रहा. विदेश व्यापार निदेशालय को जैसे ही लगा कि सरकारी सहायता की बड़े पैमाने पर लूट शुरू हो गई है, उसने दोनों प्रोत्साहन योजनाओं पर रोक लगा दी. निदेशालय के इस फैसले के खिलाफ कुछ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज़ कर दी. अनुमान यह है कि इस बीच अडानी ग्रुप कस्टम ड्यूटी और प्रोत्साहन राशि को मिलाकर सरकार को लगभग एक हज़ार करोड़ का चूना लगाने में कामयाब रहा.

इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे दूसरे लेख में परंजय गुहा ठाकुरता ने और गंभीर आरोप लगाए. ठाकुरता ने दावा किया कि अडानी पावर को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के नियमो में बदलाव किए और इस तरह अडानी ग्रुप को पांच सौ करोड़ का कस्टम रिफंड देने का रास्ता साफ़ कर दिया.

दरअसल, अडानी पावर लिमिटेड के मुंद्रा सेज़ स्थित पावर हाउस के लिए इंडोनेशिया से कोयला आयात किया जाता है. नियमो के मुताबिक़, इस कोयले पर कस्टम शुल्क नहीं लिया जाता. लेकिन अगर पावर हाउस में उत्पादित बिजली सेज़ के बाहर नागरिक क्षेत्र को बेची जाती है, तो पावर हाउस को कस्टम ड्यूटी की छूट नहीं दी जाएगी. अडानी पावर मुंद्रा एसईजेड में उत्पादित बिजली बाहर खुले बाज़ार में भी बेचता हैं, इसलिए वह कस्टम छूट का कानूनन हकदार नहीं है. लेकिन सरकार ने अडानी ग्रुप को फायदा पहचाने के लिए अगस्त 2016 में सेज नियमो में ही बदलाव कर दिया. सरकार के इस फैसले के बाद अडानी पावर ने 506 करोड़ के कस्टम ड्यूटी रिफंड का दावा पेश कर दिया. जब यह मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा, तो वहां भी अडानी ग्रुप ने ताल ठोक कर कह दिया कि वह आयातित कोयले पर चुकाई गई कस्टम ड्यूटी के आधार पर ही रिफंड की मांग कर रहा है. जबकि इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे ठाकुरता के लेख में किए गए दावे के अनुसार, यह कस्टम शुल्क अडानी पावर लिमिटेड द्वारा आज तक अदा ही नहीं किया गया है.

इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के इस सनसनीखेज़ खुलासे के बाद अडानी घराना तिलमिला उठा और उसने पत्रिका के सम्पादक, प्रकाशकों के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया. पर्दे के पीछे कुछ और भी जोर आज़माइश हुई. नतीज़तन, इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के सम्पादक परंजय गुहा ठाकुरता की छुट्टी हो गई.■

यूं गए ठाकुरता...

परंजय गुहा ठाकुरता का इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली से जाना मीडिया जगत के लिए एक दु:स्वप्न जैसा है. 'चौथी दुनिया' से हुई एक ख़ास बातचीत में उन्होंने बताया- 'समीक्षा ट्रस्ट की 16 जुलाई को हुई बैठक में मुझे बुलाया गया. इस बैठक में ट्रस्ट के चेयरमैन दीपक नायर, मैनेजिंग ट्रस्टी डीएन घोष समेत इतिहासकार रोमिला थापर, दीपांकर गुप्ता, राजीव भार्गव, शशि मेनन जैसे सभी ट्रस्टी शामिल थे. बैठक में ट्रस्टियों ने इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में अडानी ग्रुप के खिलाफ छपे लेखों पर अपनी नाराज़गी जताई. ट्रस्टियों ने इस पर भी आपत्ति की कि मैंने ट्रस्ट की अनुमति लिए बगैर अडानी के कानूनी नोटिस का जवाब कैसे सार्वजनिक कर दिया. मेरे माफी मांगने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए. ट्रस्टियों ने दोनों लेखों को फ़ौरन मैगज़ीन की वेबसाइट से हटाने को कहा. यह भी कहा कि इन लेखों के हटने के बाद ही आप कमरे से बाहर जाएंगे. मैंने वहीं से ऑफिस के सहयोगियों को फोन कर दोनों रिपोर्ट्स वेबसाइट से हटवा दी.

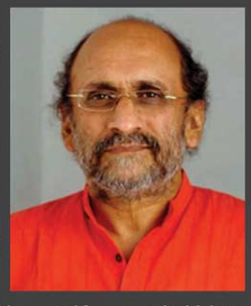

मेरे बार-बार यह कहने पर कि मैगज़ीन में छपी दोनों खबरों से सम्बन्धित सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं. वित्त मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय ने आज तक इन ख़बरों में दिए तथ्यों का खंडन नहीं किया हैं. दूसरा यह कि यह कानूनी नोटिस सिर्फ हमें डराने- दबाने के लिए है. मेरी इस सफाई से भी ट्रस्टीज नहीं पसीजे और उन्होंने साफ़ कहा कि हमारा आप पर अब विश्वास नहीं रहा. ट्रस्ट की तरफ से यह भी निर्देश दिए गए कि उसकी अनुमति कि बगैर इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में मेरे नाम से आगे कोई लेख नहीं छपेगा. बस यह हद थी. यह चौथे खम्भे पर सीधा हमला था और इसके बाद मैंने वहीं अपना इस्तीफा सौंप दिया.' ■

घाटी में नागरिकों की मौत में 164 फीसदी की बढ़ोतरी

आतंकी घटनाओं में दम तोड़ते नागरिक

चौथी दुनिया ब्यूरो

अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले ने आंतकवाद की घटनाओं में होने वाली नागरिक मौतों को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि मारे गए सभी लोग कश्मीर से बाहर के थे, लेकिन फिर भी इस घटना ने घाटी में आंतकवाद की घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों की संख्या में इजाफा तो कर ही दिया है. 10 जुलाई की रात 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत से पहले, 30 जून 2017 को आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले एक वर्षों के दौरान कश्मीर में आंतकवाद के कारण होने वाली नागरिकों को मौतों में 164 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली स्थित एक संस्था इंस्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट द्वारा संचालित दक्षिण एशियाई आतंकवाद पोर्टल के द्वारा कश्मीर में आंतकी घटनाओं से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल के दौरान कश्मीर में आंतकी गतिविधियों में 45 फीसदी की वृद्धि हुई है और इनमें मरने वाले नागरिकों की संख्या में 164 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015-16 में नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और आतंकवादियों को मिलाकर कुल 216 लोगों की मौत हुई थी, जो संख्या 2016-17 में बढ़कर 313 हो गई. पिछले पांच वर्षों में यह साल-दर-साल की उच्चतम वृद्धि है. केवल नागरिकों की मौत की बात करें, तो 2015-16 में आंतकी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2016-17 में 37 लोग आंतक का शिकार हुए. इसी अवधि के दौरान आंतकवादियों की मौत में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है. वर्ष 2016-17 में पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 178 आतंकी मारे गए हैं.

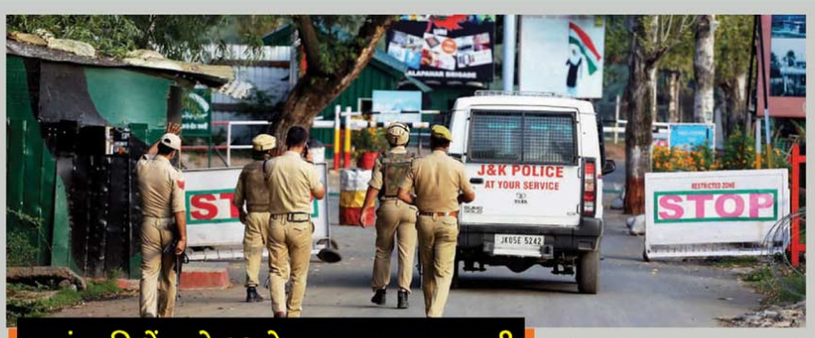

आतंक की भेंट चढ़े 60 से ज्यादा अमरनाथ यात्री

पिछले 10 सालों से अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी. लेकिन 10 जुलाई को आतंकियों द्वारा एक यात्री बस पर किए गए हमले में 7 लोगों की मौत ने फिर से पुराने जख्म को हरा कर दिया है. अमरनाथ यात्रा सबसे पहले सन 2000 में आंतक के निशाने पर आई थी, जब पहलगाम बेस कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था. इस हमले में श्रद्धालुओं, पुलिस के जवान और स्थानीय नागरिकों को मिलाकर 30 लोग मारे गए थे और 60 से ज्यादा घायल हुए थे. इसके अगले ही साल फिर से एक यात्री कैम्प पर आतंकियों ने दो हथगोले फेंके, जिसमें 12 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए थे. फिर जुलाई 2002 में भी आतंकियों ने जम्मू के पास यात्रियों पर हथगोला फेंका और गोलियां चलाईं, जिसमें दो यात्री मारे गए और दो घायल हुए. इसके एक महीने बाद ही 06 अगस्त 2002 को अमरनाथ यात्रियों के एक कैम्प पर आतंकियों ने हमला किया. इस हमले में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और तीस अन्य लोग घायल हुए. इसके बाद चार वर्षों तक अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही. लेकिन 2006 में आतंकियों ने फिर से एक बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया और इस हमले में एक श्रद्धालु की मौत हो गई. अब 10 साल बाद फिर से अमरनाथ यात्रा पर आतंक के बादल मंडराए हैं.■

2016 को सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी को मार गिराया था. इसके बाद पूरे जम्मू-कश्मीर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहा. गौर करने वाली बात ये भी है कि बुरहान की बरसी पर जब घाटी में किसी अनहोनी की आशंका को लेकर सेना पूरी तरह से चौकसी बनाए हुए थी, उसी समय 8 जुलाई, 2017 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने वानी को श्रद्धांजलि अर्पित की. शरीफ ने ये भी कहा कि वानी की मौत ने कश्मीर घाटी में आजादी के संघर्ष में एक नई भावना को जगाया है. इससे साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह से कश्मीर में आंतक को हवा दे रहा है. हालांकि सुरक्षा और राजनयिक मोर्चे दोनों के लिहाज से वैश्विक मंच पर भारत को आतंकवाद के खिलाफ सफलता मिली है और पाकिस्तान ने मुंह की खाई है. 27 जून 2017 को वाशिंगटन-डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मोदी की बैठक से पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन को विश्व आतंकवादी घोषित किया. सैयद सलाहुद्दीन संयुक्त जिहाद परिषद का नेतृत्व करता है, जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत-विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिए एक सहायक संगठन है. यह संगठन पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर से भारत में आंतक फैलाने का काम करता है. पिछले साल 2 जनवरी को पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायु सेना के बेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड सैयद सलाहुद्दीन ही था.■

नफ़रत फैलाने की साज़िश है फेक न्यूज़

एक तरफ सरकारें फेक न्यूज़ की महामारी से लड़ने का उपाय सोच रही हैं, वहीं सरकारें फेक न्यूज़ से लड़ने की आड़ में प्रेस की आज़ादी कुचल रही हैं. सरकारों के लिए फेक न्यूज़ एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है. मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और अब आपने देखा सरकारी तंत्र के लोग यानि अफसरशाही भी नकली ख़बरों का जाल बिछा रही है. इसी मार्च में वाशिंगटन में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनियाभर में प्रेस की आज़ादी पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है. उसने फेक न्यूज़ से लड़ने के नाम पर सरकारों की हरकत पर भी चिंता ज़ाहिर की. संस्था का मानना है कि फेक न्यूज़ तानाशाहों के लिए वरदान है. जब से ट्रंप ने सीएनएन को फेक न्यूज़ कहा है, दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों को मीडिया पर लगाम कसने का बहाना मिल गया है.

रवीश कुमार

क्या आप फेक न्यूज़ से सावधान हैं? दुनियाभर में फेक न्यूज़ लोकतंत्र का गला घोंटने और तानाशाहों की मौज का ज़रिया बन गया है. राजधानी से लेकर ज़िला स्तर तक फेक न्यूज़ गढ़ने और फैलाने में एक पूरा तंत्र विकसित हो चुका है. यही नहीं संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी फेक न्यूज़ दे रहे हैं. कमज़ोर हो चुका मीडिया उनके सामने सही तथ्यों को रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है. पहले पन्ने पर राष्ट्र प्रमुख का बयान छपता है जिसमें फेक जानकारी होती और जब गलती पकड़ी जाती है, तो फिर वही अखबार अगले दिन उसी स्पेस में छापने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने झूठा बयान दिया है. मीडिया, पत्रकार और पाठक दर्शक के लिए पता लगाना बहुत जोखिम का काम हो गया है कि न्यूज़ असली है या नकली. पूरी दुनिया में इस बीमारी से लड़ने पर विचार हो रहा है. फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए.

इसी मार्च में अमेरिका में विपक्षी दल डेमोक्रेट के सांसदों ने फेक न्यूज़ के विरोध में एक बिल पेश किया. जिसमें कहा गया कि हालत यह हो गई कि अब जनता को राष्ट्रपति और उनके प्रवक्ताओं से ही फेक न्यूज़ मिल रही है. ट्रंप के शपथ के समय व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्पाइसर ने बयान दिया था कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी शपथ ग्रहण समारोह में चलकर इतने लोग आए और इसे पूरी दुनिया में देखा जाय. इसमें तथ्य नहीं है. ट्रंप ने कहा कि कोई दस, साढ़े दस लाख लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी. भारत में तो नेता कब से एक लाख की रैली को दस लाख बताते रहे हैं, मगर अमेरिका में लोगों ने चुनौती दे दी कि प्रवक्ता और राष्ट्रपति ने भीड़ की गिनती कैसे कर ली. इसलिए सदन से प्रस्ताव पास करने का अनुरोध किया गया कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता फेक न्यूज़ जारी न करें. यह बिल वहां की कमेटी ऑफ़ ज्यूडिशियरी में भेज दिया गया है.

आई फोन और आई पैड बनाने वाली एप्पल कंपनी के प्रमुख टिम कूक ने एक ब्रिटिश अखबार से कहा है कि फेक न्यूज़ लोगों के दिमाग़ की हत्या कर रहा है. उनके जैसी कंपनी को ऐसा कोई ज़रिया विकसित करना होगा, जिससे नकली ख़बरों को छांटा जा सके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित न हो. ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में टिम कूक ने सरकारों से भी कहा कि वे फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए सूचना अभियान चलाएं.

पूरी दुनिया में सरकारों, संगठनों और विश्वविद्यालयों में फेक न्यूज़ को लेकर चर्चा हो रही है. भारत में अंग्रेज़ी के कुछ वेबसाइट ने फेक न्यूज़ से लड़ने का प्रयास शुरू किया है. अल्ट न्यूज डॉट इन, इंडिया स्पेंड, बूम, होएक्स स्लेयर, हिंदी में मीडिया विजिल हिन्दी में बहुत कम प्रयास हैं. फिलिपिन्स में फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या बन गई है. वहां के राष्ट्रपति पर आरोप है कि वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए फेक न्यूज़ को खूब प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसके बाद भी वहां कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ से लड़ने की बहस छेड़ दी है.

22 जून 2017 के फिलस्टार डॉट कॉम पर छपी ख़बर के अनुसार फिलिपिन्स के सिनेटर जोयल विलानुयेवा ने एक बिल पेश किया कि नकली ख़बरों के फैलते संसार से चिंता हो रही है. मीडिया के अलग-अलग माध्यमों में फेक न्यूज़ छप रही हैं और उन्हें फैलाया जा रहा है. इसलिए उन पर जुर्माना होना चाहिए. सिनेट बिल 1942 उस बिल का नाम है, जिसमें फेक न्यूज़ फैलाने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी भारी जुर्माने या सज़ा की वकालत की गई है. इसमें एक से पांच साल की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है. इसमें ये भर कहा गया है कि अगर कोई मीडिया हाउस फेक न्यूज़ फैलाता है, तो उसे बीस साल की सज़ा हो.

फिलिपिन्स के पत्रकारों ने कहा कि फेक न्यूज़ रोकने के लिए अवश्य कुछ किया जाना चाहिए. मगर बिल में जो प्रावधान हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं. सिनेटर का कहना है कि हम फेक न्यूज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं. यह लोगों को भीड़ में बदल रही है. फिलिपिन्स में ही एक साल पहले 24 नवंबर 2016 को फिलिपिन्स यूनिवर्सिटी ने फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए एक ऑनलाइन चैनल टीवीयूपी लांच कर दिया था. मीडिया फेक न्यूज़ फैला रहा है. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और अब आपने देखा सरकारी तंत्र के लोग यानि अफसरशाही भी नकली ख़बरों का जाल बिछा रही है. इसी मार्च में वाशिंगटन में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने दुनियाभर में प्रेस की आज़ादी पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, तो उसने फेक न्यूज़ से लड़ने के नाम पर सरकारों की हरकत पर भी चिंता ज़ाहिर की. संस्था का मानना है कि फेक न्यूज़ तानाशाहों के लिए वरदान है. जब से ट्रंप ने सीएनएन को फेक न्यूज़ कहा है, दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों को मीडिया पर लगाम कसने का बहाना मिल गया है.

टर्की के राष्ट्रपति एरदोगन ने फेक न्यूज़ से लड़ने के नाम पर कई पत्रकारों को जेल भेज दिया. कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ट्रंप ठीक कहते हैं कि मीडिया अराजकतावादी है. उन्होंने कंबोडिया में काम कर रहे विदेशी मीडिया को शांति और

एक भोजपूरी फिल्म का दृश्य, जिसे पश्चिम बंगाल के दंगों के दौरान की तस्वीर बताकर प्रचारित किया गया.

आई फोन और आई पैड बनाने वाली एप्पल कंपनी के प्रमुख टिम कूक ने एक ब्रिटिश अख़बार से कहा है कि फेक न्यूज़ लोगों के दिमाग़ की हत्या कर रहा है. उनके जैसी कंपनी को ऐसा कोई ज़रिया विकसित करना होगा, जिससे नकली ख़बरों को छांटा जा सके और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित न हो. ब्रिटिश अख़बार को दिए इंटरव्यू में टिम कूक ने सरकारों से भी कहा कि वे फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए सूचना अभियान चलाएं. पूरी दुनिया में सरकारों, संगठनों और विश्वविद्यालयों में फेक न्यूज़ को लेकर चर्चा हो रही है. भारत में अंग्रेज़ी के कुछ वेबसाइट ने फेक न्यूज़ से लड़ने का प्रयास शुरू किया है. अल्ट न्यूज डॉट इन, इंडिया स्पेंड, बूम, होएक्स स्लेयर, हिंदी में मीडिया विजिल हिन्दी में बहुत कम प्रयास हैं. फिलिपिन्स में फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या बन गई है. वहां के राष्ट्रपति पर आरोप है कि वो सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए फेक न्यूज़ को खूब प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसके बाद भी वहां कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ से लड़ने की बहस छेड़ दी है.

यूनिवर्सिटी के कार्यकारी निदेशक ने बयान दिया था कि इसके ज़रिये वे उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन में फैले ख़बरों के कबाड़ का विकल्प तैयार हो सकेगा. ताकि नागरिकों के पास असली लेख, असली ख़बर जानने के अवसर उपलब्ध रहें. भारत में क्या हो रहा है. रिसर्च के दौरान एक और बात सामने आई.

एक तरफ सरकारें फेक न्यूज़ की महामारी से लड़ने का उपाय सोच रही हैं, वहीं सरकारें फेक न्यूज़ से लड़ने की आड़ में प्रेस की आज़ादी कुचल रही हैं. सरकारों के लिए फेक न्यूज़ एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है. स्थायित्व के लिए ख़तरा बता दिया. रूस में भी फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है. ब्रिटेन की संसद की खेल मीडिया और संस्कृति कमेटी जांच कर रही है कि लोकतंत्र पर फेक न्यूज़ का क्या असर पड़ता है.

इस तरह आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटने और अपनी कुर्सी परमानेंट करने के लिए सरकारें फेक न्यूज़ का दोतरफा लाभ उठा रही हैं. एक तरफ सरकार फेक न्यूज़ फैला रही हैं, दूसरा उससे लड़ने के नाम पर उन पत्रकारों का गला घोंट दे रही हैं, जिनसे मामूली चूक हो जाती है. ग़लती हो जाने और फेक न्यूज़ में भारी अंतर है. तानाशाहों के लिए फेक न्यूज़ से लड़ना प्रोपेगेंडा का नया हथियार है. किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस बात से भी होना चाहिए कि उसके दौर में आज़ाद मीडिया था या गोदी मीडिया था. इसी 4 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक समिति ने बयान जारी कर कहा था कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मीडिया को झूठा बता रहे हैं या फिर उसे विपक्ष करार दे रहे हैं. जबकि सरकारों का काम है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माहौल को बनाए रखे. फेक न्यूज़ के बहाने एक नए किस्म का सेंसरशिप आ रहा है. आलोचनात्मक चिंतन को दबाया जा रहा है.

इजिप्ट और टर्की में कई पत्रकार मामूली चूक को फेक न्यूज़ बताकर जेल भेज दिए गए. फेक न्यूज़ की तरह टीवी में फेक डिबेट भी हो रहा है. जैसे आपने देखा होगा, अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर सवाल यह नहीं था कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इसकी जगह कई और दूसरे सवाल पैदा कर दिए गए. इस तरह सवाल को शिफ्ट कर देना फेक डिबेट का काम होता है. फेक न्यूज़ आपके जानने के अधिकार पर हमला है. आप हर महीने पांच सौ से हज़ार रुपए तक न्यूज़ पर खर्च करते हैं. इसमें अख़बार, चैनल और डेटा पैक का खर्चा शामिल है. क्या आप फेक न्यूज़ के लिए भी पैसा दे रहे हैं. फेक न्यूज़ ने राजनीति को भी जटिल बना दिया है.

फेक न्यूज़ के ज़रिए ताकतवर दल कम ताकतवर दल को बर्बाद कर देता है. इस खेल में कम संसाधन वाले दल फेक न्यूज़ की जाल में फंस जाते हैं. बड़े दलों के आईटी सेल या समर्थक फेक न्यूज़ फैलाने में लगे रहते हैं. अब एक दल दूसरे दल के फेक न्यूज़ को पकड़ने के लिए टीम बना रहा है. फ्रांस के चुनाव में नेशनल फ्रंट ने फेक न्यूज़ अलर्ट टीम का गठन किया था. जल्दी ही भारत के दलों को भी फेक न्यूज़ अलर्ट टीम का गठन करना पड़ेगा. अभी हर दल के पास फेक न्यूज़ बनाने की ही सुविधा नहीं है. कमज़ोर दल मारे जाएंगे.

जहां कहीं भी चुनाव आते हैं, फेक न्यूज़ की भरमार हो जाती है. पिछले साल इटली में जनमत संग्रह हुआ तो वहां फेसबुक पर जो स्टोरी शेयर हुईं, उनमें से आधी नकली थीं. यूरोपियन यूनियन ने तो रूस से आने वाले फेक न्यूज़ का सामना करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसका नाम है, इस्ट स्टार्टकॉम टास्क फोर्स. फ्रांस और नीदरलैंड में हुए चुनाव के लिए इस टास्क फोर्स को काफी पैसा और संसाधन दिया गया, ताकि वह रूस के प्रोपेगेंडा को रोक सके. रूस पर आरोप है कि वह फेक न्यूज़ पर काफी पैसा खर्च करता है. आपने देखा कि फेक न्यूज़ को लेकर कूटनीतिक युद्ध भी छिड़ा हुआ है. फेक न्यूज़ का एक बड़ा काम है, नकली ख़बरों के ज़रिए नफरत फैलाना, हिंसा के लिए उकसाना.

इसी जुलाई महीने में जर्मनी की संसद ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार अगर किसी सोशल मीडिया नेटवर्क ने नफ़रत फैलाने वाली सामग्री 24 घंटे के भीतर नहीं हटाई, तो 50 मिलियन यूरो तक का जुर्माना लग सकता है. इस कानून को लेकर भी चिंता है कि कहीं यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने का ज़रिया न बन जाए. जर्मन जस्टिस मिनिस्टर ने कहा है कि इंटरनेट पर जंगल का कानून चल रहा है, उसी को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया है.

रॉयटर की इस ख़बर में ये भी था कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क ने इस कानून पर चिंता जताते हुए कहा था कि ऐसी संदिग्ध सामग्री को हटाने के लिए दुनियाभर में 3000 लोगों की टीम बनाएंगे. अभी 4500 लोगों की टीम पोस्ट की समीक्षा कर रही है. आप सोच सकते हैं कि जब एक नेटवर्क को नफ़रत फैलाने वाली सामग्री पकड़ने में हज़ारों लोग तैनात करने पड़ रहे हैं, तो इस वक्त दुनिया में फेक न्यूज़ कितनी बड़ी समस्या होगी. न्यूज़ रूम में अब हर मसले को कवर करने के लिए रिपोर्टर की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है. आप जिन एंकरों को देखकर स्टार समझते हैं, दरअसल वो पत्रकारिता के संकट के जीते जागते प्रतीक हैं. ख़ाली न्यूज़ रूम में फेक न्यूज़ का भूत नहीं घूमेगा तो कहां घूमेगा.

पश्चिम बंगाल में आसनसोल के बीजेपी आईटी सेल के सचिव तरुण सेनगुप्ता को कथित रूप से फेक फोटो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. तरुण ने रामनवमी के दौरान एक फेक वीडियो अपलोड किया था कि एक मुस्लिम पुलिस अफसर हिन्दू आदमी को मार रहा है. इस वीडियो के साथ आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की गई थी. उन पर गैर ज़मानती धाराएं लगाई गई हैं. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि पुराने वीडियो को लेकर गिरफ्तारी हुई है और ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए किया गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर फेक तस्वीरें जारी कर तनाव बढ़ा रहे हैं. ■

(लेखक जाने माने टीवी पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस युक्त भाजपा

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

भाजपा पूरे देश में अपने क़दम जमाने की कोशिश कर रही है और एक तरह से उसने कांग्रेस का स्थान ले लिया है. अब भाजपा को अलग तरह की या आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी कहना बनावटी बातें हैं. अब यह साफ़ है कि यह एक सत्ताधारी पार्टी है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस थी. भाजपा भी सत्ता में बने रहने के लिए वही हथकंडे अपना रही है, जो कांग्रेस वर्षों से अपनाती आई है. उनमें से कुछ हथकंडे हैं, दल-बदल और सहयोगियों के बीच दूरी पैदा करना. दरअसल, राजनीति में ये सामान्य तौर पर होता है. मैं इसके लिए उनपर आरोप नहीं लगा सकता. लेकिन फिलहाल बिहार में यही हुआ है. उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए लालू भाजपा के सम्पर्क में हैं. नीतीश ने सोचा कि इससे पहले कि लालू ऐसा करें, मैं ही ऐसा क्यों न कर लूं.

बिहार में महागठबंधन की सरकार शुरुआत से ही कई रुकावटों और अड़चनों के साथ चल रही थी. इसका मुख्य कारण था लालू यादव और नीतीश कुमार के दृष्टिकोण में जमीन-आसमान का फर्क. मौजूदा घटनाक्रम में प्रेरक का काम किया उपमुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने. इस घटनाक्रम की लालू की अपनी व्याख्या थी. उन्होंने यह फैसला किया कि उनके पुत्र इस्तीफा नहीं देंगे. स्वाभाविक रूप से भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाया.

भाजपा पूरे देश में अपने क़दम जमाने की कोशिश कर रही है और एक तरह से उसने कांग्रेस का स्थान ले लिया है. अब भाजपा को अलग तरह की या आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी कहना बनावटी बातें हैं. अब यह साफ़ है कि यह एक सत्ताधारी पार्टी है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस थी. भाजपा भी सत्ता में बने रहने के लिए वही हथकंडे अपना रही है, जो कांग्रेस वर्षों से अपनाती आई है. उनमें से कुछ हथकंडे हैं, दल-बदल और सहयोगियों के बीच दूरी पैदा करना. दरअसल, राजनीति में ये सामान्य तौर पर होता है. मैं इसके लिए उनपर आरोप नहीं लगा सकता. लेकिन फिलहाल बिहार में यही हुआ है. उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए लालू भाजपा के सम्पर्क में हैं. नीतीश ने सोचा कि इससे पहले कि लालू ऐसा करें, मैं ही ऐसा क्यों न कर लूं.

चुनाव के बाद अरुण जेटली ने केसी त्यागी से कहा था, 'ठीक है, आप अभी सरकार बना लीजिए. हो सकता है कि भविष्य में हमें साथ काम करना पड़े.' हर व्यक्ति राजनीति का आकलन अपनी तरह से करता है. सभी इस बात से सहमत हैं कि लालू प्रसाद एक ऐसे राजनेता हैं, जो सत्ता में सह-नायक की भूमिका में नहीं रह सकते. आखिरकार यही हुआ. अब जो कुछ हुआ उसपर अच्छे या बुरे की टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है. मैं इस ख्याल का हूं (और यह अल्पसंख्यक ख्याल है) कि कोई भी व्यक्ति इस देश को सामान्य राजनीतिक परिपाटी से अलग नहीं चला सकता है. भारत के संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार आदि में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी सत्ता में आ जाए, वो शासन व्यवस्था में दस प्रतिशत से अधिक बदलाव नहीं ला सकते. कांग्रेस भी ऐसे ही शासन चला रही थी, मोरारजी देसाई सरकार भी ऐसे ही शासन चला रही थी. वी पी सिंह, चन्द्रशेखर, देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें भी ऐसे ही चलीं. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री अपनी कार्य शैली, अपने व्यक्तित्व, अपनी सूझबूझ और समस्याओं को सुलझाने की अपनी कुशलता के कारण पहचान छोड़ जाता है. यह सोचना दूर की कौड़ी है कि आप नौकरशाही और राजनेताओं के चरित्र को बदल देंगे. यह आरएसएस का सपना है और सपना ही रहेगा. आप चाहते हैं कि हिन्दू (हिन्दू बहुमत में हैं और उनमें से एक मैं भी हूं) यह मानें कि गाय की जान इंसान की जान से कीमती है. लेकिन आप कुछ भी कर लें लोग आपकी बात नहीं मानेंगे. एक आम हिन्दू के लिए गाय पूजनीय है, मैं भी इसमें विश्वास करता हूं, लेकिन किसी इंसान की जान की कीमत पर नहीं, बिलकुल नहीं! और यही हिंदुत्व है. हालांकि जाति व्यवस्था हमारी बड़ी असफलता रही है, क्योंकि इसने दलित और पिछड़ी जातियों को पिछड़ा रखा. बहरहाल, उच्च जाति के हिन्दू, समृद्ध हिन्दू, या पढ़े-लिखे समाज के लोग, भले ही अपनी सम्पत्ति दलितों के साथ न बांटें, लेकिन वे उन्हें यातना नहीं देंगे या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. आरएसएस सोचती है कि शाखा लगाने और एक बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ लेने से हिन्दू मिलिटेंट बन जाएंगे. उन्हें समझना चाहिए कि हिन्दू मिलिटेंट नहीं होते, हिन्दू सेक्युलर होते हैं. हलांकि सेक्युलरिज्म आज-कल अच्छा शब्द नहीं माना जाता. हिन्दू बहुसंस्कृतिवाद में विश्वास करते हैं.

हिन्दू कौन हैं? हर वो आदमी हिन्दू है, जो शिव में विश्वास करता है, विष्णु में विश्वास करता है, श्री कृष्ण में, साईं बाबा में या अन्य कई देवी-देवताओं में विश्वास करता है. हिन्दुत्व एक व्यापक प्लेटफॉर्म है, तो फिर यह क्यों नहीं हो सकता है कि देश का हर व्यक्ति जो इस्लाम और ईसाई धर्म मानता है, वो भी हम में से एक है. इससे क्या फर्क पड़ जाएगा. आप भगवान को एक ख़ास नाम से याद कर रहे हैं. हिन्दुत्व में कोई पाबंदी नहीं है. कोई सोमवार को मंदिर जाता है, कोई गणपति मंदिर में मंगल को जाता है, कोई शनिवार को शनि मंदिर में जाता है, हिन्दुत्व की जड़ें बहुत गहरी हैं. इसका अध्ययन इतना गहरा है कि मुझे कहने दीजिए कि आरएसएस इसके नज़दीक नहीं पहुंच सकता. वे सनातनी हिन्दू नहीं हैं, वे राजनैतिक हिन्दू हैं. वे हिन्दुओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. अपने मिलिटेंट दृष्टिकोण के कारण पहले वे 10-20 प्रतिशत हिन्दू वोट हासिल कर लिया करते थे. इस बार उन्हें 30 प्रतिशत वोट मिले. लेकिन वो वोट हिंदुत्व के कारण नहीं मिले, बल्कि नरेंद्र मोदी के एक निर्णायक नेता के रूप में उभरने के कारण मिले. उन्होंने नौकरी, आर्थिक उन्नति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग और कालाधन पर एक विमर्श तैयार किया था, जिसपर लोगों ने विश्वास किया. अगले चुनाव में लोग उन्हें पांच साल के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर वोट देंगे. वे इसलिए उन्हें वोट नहीं देंगे कि वे हिन्दू हैं. मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि मोदी ने संविधान का पालन किया है. उन्होंने कहा था कि गीता पवित्र किताब है, लेकिन भारत की एक मात्र पवित्र किताब संविधान है. उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर लोगों को पीट-पीट कर जान से मारने के कृत्य से वे सहमत नहीं हैं. उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, जिसे साम्प्रदायिक कहा जाए.

आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी. आठ वर्ष बाद यह संगठन सौ साल का हो जाएगा. आरएसएस को कम करके नहीं आंका जा सकता. यदि उनके कार्यों से हिन्दुत्व को बढ़ावा मिलता है, तो मैं उनके साथ हूं. लेकिन किस तरह का हिन्दुत्व? यह वो हिन्दुत्व नहीं होगा, जिसे वे परिभाषित करते हैं. वीर सावरकर उनके सबसे बड़े नायक हैं. उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गाय एक उपयोगी जानवर है. जब तक उपयोगी है तब तक ठीक है, उसके बाद उसे मरना है. उन्होंने गाय के लिए लोगों को मारने की वकालत नहीं की. वे तार्किक व्यक्ति थे. लेकिन कई मामलों में मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता हूं. गांधी की हत्या में उनकी भूमिका संदिग्ध थी, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी किया था और वो मामला समाप्त हो गया था. आज आरएसएस भारत के विमर्श को बदलने की जो कोशिश कर रहा है, वो बहुत कमज़ोर और बेढंगा है. ये कोशिशें तीन साल में नाकाम हो चुकी हैं. मोदी ने कोशिश की (हमें उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए). उन्होंने नोटबंदी की. उन्हें लगा कि इसका प्रभाव वैसे ही होगा, जैसा इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हुआ था. लेकिन इसे नकार दिया गया. नोटबंदी का कोई वैसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

जीएसटी, जिसका श्रेय उन्हें नहीं जाता, इसकी शुरुआत अटल विहारी वाजपेयी के ज़माने में हुई थी. यूपीए के पहले और दूसरे कार्यकाल में इस पर चर्चा जारी रही. अब गलत या सही, यह एक कर प्रणाली है. जो चीज़ पहले से ही मौजूद हो, उसे बनाने या सृजित करने के लिए समय और ऊर्जा व्यर्थ नहीं कर सकते हैं. यह देश इतना प्राचीन है (यह एक सनातनी देश है), आप ऐसी चीज़ कहां से लाएंगे जो बिल्कुल नई हो. बेशक, हम वैज्ञानिक दृष्टि से नई और उन्नत चीज़ों को ला सकते हैं, जैसे राजीव गांधी कंप्यूटर ले कर आए थे. कंप्यूटर की वजह से बैंकों के लेनदेन आसान हो गए. पैसा हस्तांतरित करने की प्रणाली आई, क्रेडिट कार्ड आए. ये सारी चीज़ें स्वागत योग्य हैं, लेकिन आप भारत की बुनियादी सोच को नहीं बदल सकते. गांव में रहने वाला एक इंसान, एक हिन्दू व्यक्ति हमेशा अपनी सीमाओं में ही रहेगा. आप उसे नौकरी का आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो आप पर कब तक विश्वास करेगा.

2019 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. बिहार सरकार को तोड़ कर उसमें शामिल होना उनकी रणनीति का हिस्सा है. लेकिन मुझे यहां साफ़ कर देना चाहिए कि कोई भी 2019 के चुनाव को हल्के में नहीं ले सकता. पिछले चुनावों में भाजपा को अपने दम पर 282 सीटें मिलीं. अब सवाल ये उठता है कि क्या वे इस आंकड़े को पार कर पाएंगे? उनके समर्थक भी मानते हैं कि यह मुमकिन नहीं है. यदि ये संख्या नहीं मिलती तब भी वे सरकार बना सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके सहयोगी होंगे. यदि सभी उनका समर्थन करेंगे, तो यह एक गठबंधन की सरकार होगी और इसमें कोई समस्या भी नहीं है. भारत पर 545 लोकसभा सदस्य शासन करते हैं. जिस गठबंधन के पास अधिक सदस्य होंगे, वो शासन करेगा.

मेरा कहना यह है कि विमर्श बदलने से काम नहीं चलेगा. आप नौकरियों, विकास और उज्ज्वल भविष्य से हमारा ध्यान गाय, शास्त्र और मंदिर के तरफ न ले जाएं. उन्होंने वादा किया था कि वे कश्मीर समस्या का समाधान कर देंगे. कश्मीर अभी कहां खड़ा है? कृपया हमें बताएं. वे हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं देते कि वहां क्या हुआ. कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं. हर सरकार के काम करने के अपने तरीके होते हैं. मौजूदा सरकार ने शासन करने की कला में महारत हासिल कर ली है. वे जान गए हैं कि सीबीआई का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जाए. वे जान गए हैं कि आईबी का उपयोग या दुरुपयोग कैसे किया जाए. हर सरकार ये करती है. उन्हें ये कहना बंद कर देना चाहिए कि वे अलग तरह की पार्टी हैं या चरित्रवान पार्टी हैं और कांग्रेस एक चरित्रहीन पार्टी है. दरअसल, वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और कांग्रेस युक्त भाजपा बना रहे हैं. कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कर सरकार बना रहे हैं. हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

श्रीनगर में ख़त्ताती का जश्न

शुजात बुख़ारी

इस हफ्ते श्रीनगर का जामा मस्जिद का इलाका एक अलग तरह की खबर के कारण सुर्ख़ियों में था. यहां खुश-ख़ती यानी इस्लामी कैलीग्राफी का जश्न मनाया गया. यह इलाका आम तौर पर शटडाउन या फिर पुलिस के साथ झड़प की वजह से सुर्ख़ियों में रहता है. ऐसे में ये बात राहत देने वाली थी. नोहट्टा और आस-पास के इलाके दशकों तक प्रतिरोध और विरोध-प्रदर्शन के केंद्र रहे हैं. जामा मस्जिद का इलाका हाल में इस वजह से सुर्ख़ियों में रहा, क्योंकि यहां भीड़ ने डीएसपी एम अयूब पंडित को शब-ए-क़दर की रात पीट-पीट कर मार दिया था. पिछले दिनों एक कट्टर प्रतिरोधी सजद गिलकर, जो बाद में मिलिटेंट बन गया था, मारा गया, तब उसकी लाश को आईएसआईएस के झंडे में लपेटा गया था. इस बात ने चारों ओर हंगामा खड़ा कर दिया था. सुरक्षा बलों के साथ पत्थरबाज़ी और टकराव की घटनाएं ही राजनीतिक रूप से सजग इस इलाके की पहचान बन गई हैं. यहां राज्य के खिलाफ अक्सर गुस्से का प्रदर्शन होता रहा है.

बहरहाल, पिछले दिनों नोहट्टा चौक पर एक अलग चीज़ देखने को मिली. ये चीज़ थी कश्मीर में इस्लामी खुश-ख़ती का जश्न मनाने की. इंटेक (इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) द्वारा आयोजित खुश-ख़ती के जश्न ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो शायद आम दिनों में यहां आने से परहेज करते. सबसे अधिक उत्साह युवाओं और लड़कियों में था, जिन्होंने खुश-ख़त कार्यशाला में अपना हुनर दिखाने की कोशिश की. उनमें से कुछ ने ख़ूबसूरत लिखाई के ऐसे नमूने पेश किए, जो लंबे अनुभव के बाद ही सीखे जा सकते हैं. इसे देख लोग आश्चर्यचकित रह गए. इससे इस विश्वास को बल मिलता है कि यह कला जीन में ही शामिल होती है.

दरअसल इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण केंद्र 93 वर्षीय मास्टर मेटल कॉलिग्राफर मोहम्मद अमीन कुंडांगर थे, जिन्होंने सोने पर खत्ताकी के अनूठे नमूने पेश किए. कुंडांगर ने ही सप्ताह भर चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. उन्होंने सोचा था कि आधुनिकता के आगमन के साथ कला मर रही है, लेकिन नई पीढ़ी में इस कला के प्रति उत्साह देखकर उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ.

जान मोहम्मद कुदसी द्वारा रचित मशहूर नात 'मरहबा सैयेद-ए-मक्की मदनी अल अरबी' पर आधारित कला ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. ऐसा माना जाता है कि इस नात की पहली दो पंक्तियों के आधार पर पूरी दुनिया में लगभग 5000 नात लिखे गए हैं. यहां तक कि इस नात को फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया है. जामा मस्जिद से सटे ज़दिबल से सम्बन्ध रखने वाले नौजवान कातिब अशफाक अली परे का कहना था कि कुदसी के नात पर मेरा

यह काम शादिपुरा श्राइन के आठ बाई छह फुट कैनवास पर किए गए काम का सिर्फ एक छोटा संस्करण है. उसी तरह फिदा हुसैन राठर, नदिया मुश्ताक मीर, इफ्तिख़ार जाफर और तहा मुगल के कृतियों की भी खूब प्रशंसा हुई.

नोहट्टा चौक में इस तरह का आयोजन बहुत सारे लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था. इस चौक को पिछले 27 वर्षों में कई नामों से संबोधित किया गया, जिनमें से एक है 'कश्मीर की गाजा पट्टी'. डाउनटाउन श्रीनगर को शहर-ए-खास भी कहा जाता है. यह राजनीतिक अधिकारों, भेदभाव और दमन के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे रहा है. यहां राजनीतिक शांति का दौर भी रहा है, जब धार्मिक और राजनैतिक संगठनों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ अल्पावधि के समझौते किए. दरअसल, इस इलाके के लोगों में राजनीतिक अधिकार हनन की भावना काफी गहरी है. लगभग तीन दशकों में श्रीनगर डाउन टाउन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है. इस इलाके को वे लोग भी याद करते हैं, जो इसे छोड़ कर सुरक्षित उपनगरीय इलाकों में चले गए हैं. एक तरह से खुश-ख़ती कार्यक्रम ने इस क्षेत्र की शानदार परंपरा और अतीत एवं कला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान की याद दिला दी.

इस क्षेत्र में खुश-ख़ती या खत्ताती का जन्म तब हुआ, जब कश्मीर के एक महान शासक जैनुल आबेदीन बादशाह (1418-70)ने पीर हाजी मोहम्मद की देखरेख में दारूल तर्जुमा (अनुवाद केंद्र) स्थापित किया. पीर हाजी मोहम्मद ने इस केंद्र के लिए खत्तातों को भी नियुक्त किया था और उसे एक स्कूल बना दिया था. यहां से कई लोगों ने इस कला को सीखा. शुरू में बादशाह ने मध्य एशिया से कुछ खत्ताती के शिक्षकों को बुलाया था. जहां वो केंद्र था, आज भी उस जगह को हाजी मोहम्मद मोहल्ला के नाम से जाना जाता है. यहां के छात्र कुरान और फारसी पुस्तकों की किताबत करते थे. गौरतलब है कि बादशाह ने फारसी भाषा को अपनाया था. नतीजतन, पुस्तकें तैयार होने लगीं और जिल्दसाजी का काम होने लगा. इसके कारण एक करीबी मोहल्ले का नाम जिल्दगर (जिल्द बांधने वाले) मोहल्ला के नाम से जाना जाने लगा. जल्द ही कागज़ बनाने का काम शुरू हो गया, जिसकी वजह से कागजीगारी मोहल्ला वजूद में आया. दरअसल, यहां का उत्पाद इतना मशहूर था कि सम्मानित विद्वान संत शेख याकूब सरफी (जन्म 1521) ने लाहौर के अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा था कि उन्होंने कश्मीरी कागज की गुणवत्ता की तारीफ़ करते हुए इसे हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी. (सम्राट जहांगीर ने कश्मीर को इतना पसंद किया कि वह गर्मियां बिताने यहीं आता था.)

सुलेख कला की कश्मीरी परंपरा इस्लाम के प्रमुख धर्म बनने से पहले की है. इतिहासकारों का मानना है कि यह कला 15 वीं सदी से सुल्तान सिकंदर के शासनकाल से यहां अस्तित्व में आई थी. मुगलकाल के दौरान कई वंशों ने इसे अपनाकर विकसित किया. यह वासिफी, अंद्राबी, मख्दूमी और खानाबर के मीर के बीच एक व्यवसाय बन गया था. एक हस्तलिखित पवित्र कुरान अब भी जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज के पास संरक्षित है, जिसे 1237 ईस्वी में एक फतउल्ला काश्मीरी ने तैयार किया था. दरअसल, खत्ताती कश्मीर में इस्लामी वास्तुकला की सजावट का माध्यम रहा है, जो आज भी लोगों को अपनी सुंदरता के लिए लोगों को आकर्षित करता है.

कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक, मध्ययुगीन काल के दौरान कश्मीर ने कई खत्तातों को जन्म दिया, जिनमें कई मुगल दरबार में उच्च पद पर स्थापित हुए थे. मुहम्मद हुसैन ज़रीन कलम, मुहम्मद मुराद शीरीं कलम कुछ ऐसे नाम हैं, जिनकी कृतियां पूरे विश्व के प्रमुख संग्रहालयों में मिल सकती हैं. खुश-ख़ती के आयोजक और इनटेक संयोजक सलीम बेग ने कहा कि खुशनवीसी की कला आधुनिकता के आगमन तक जारी रही है, और कश्मीर में कई प्रसिद्ध खुशनवीस पैदा हुए.

कश्मीर में उर्दू अख़बारों के अस्तित्व का एकमात्र स्रोत ख़त्ताती रही है. कंप्यूटर के आने से पहले उर्दू प्रेस का अस्तित्व इसलिए बना रहा, क्योंकि यहां कई ऐसे कातिब थे जो अख़बारों का एक-एक शब्द सावधानी से इस्तेमाल करते थे. यह अकादमी अब भी एक स्कूल चलाती है, जो युवाओं को इस कला की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है. अकादमी के सचिव अजीज हजनी ने कहा, यह समाप्त होती कला नहीं है, लेकिन तकनीकी प्रगति की वजह से कॉलिग्राफर के लिए जीवनयापन करना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है. यही कारण है कि खुश-ख़ती कार्यशाला में बहुत संभावनाएं हैं. यह न केवल लोगों को यह एहसास दिलाता है कि इस क्षेत्र का एक इतिहास रहा है, जो इस क्षेत्र के सुर्ख़ियों में रहने से बिलकुल अलग है, बल्कि यह एक उज्जवल भविष्य की संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है. श्रीनगर डाउन टाउन के इतिहासकार इस क्षेत्र के साथ नाइंसाफी करेंगे, यदि वे सिर्फ यहां के एक ही पहलू को उजागर करते हैं. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

देशद्रोहियों की पहचान ज़रूरी है

नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे. नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएं, लालू यादव के साथ रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है. देश को जिन चीजों से फर्क पड़ता है, उसकी चिंता देश के लोगों को नहीं है. हम अब भी यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर मनमोहन सिंह के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 में तीन साल शासन करने के बाद भी देश के पास गोला-बारूद क्यों नहीं है. ये कौन लोग हैं? जो भी हैं, देशद्रोही हैं. टेलीविजन वाले इनकी पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएजी रिपोर्ट क्यों संसद में नहीं उठ रही है?

क भी कभी खीज होने लगती है. वर्तमान सीएजी शशिकांत शर्मा जब रक्षा सचिव थे, तब के सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि हमारे रक्षा बलों की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि इनके पास सात दिन से ज्यादा का युद्ध लड़ने लायक गोला-बारूद नहीं है. उस समय थल सेनाध्यक्ष की बड़ी आलोचना हुई थी. कांग्रेस के सांसद रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हों, उन्होंने आरोप लगाया कि थल सेनाध्यक्ष देश की गलत स्थिति दुनिया के सामने रख रहे हैं. लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब के थल सेनाध्यक्ष को उन खतों का कोई उत्तर नहीं दिया. तत्कालीन रक्षा सचिव इस स्थिति को जानते थे. वही रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा इस समय देश के सीएजी हैं. अब उनकी एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट पर न कांग्रेस के लोगों का ध्यान है न भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान है. उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश के पास सिर्फ 10 दिन युद्ध करने लायक गोला-बारूद है.

2014 के बजट में, 2015 के बजट में, 2016 के बजट में और अब 2017 के बजट में, सेनाओं के ऊपर खर्च होने वाला व्यय बढ़ाया गया है. लाखों करोड़ के हथियारों के सौदे हो गए. लेकिन अगर कल चीन से या पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए, तो हमारे सारे आयुध लोहे का खिलौना साबित होंगे, क्योंकि हमारे पास सीएजी वह रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 10 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है. गोला-बारूद ही हमारे पास नहीं है और हम रोज चीन से दो-दो हाथ करने की धमकी देते हैं. पाकिस्तान को तो नेस्तनाबुद करने की कभी भी कोई भी धमकी दे देता है. क्या ये देश-प्रेम है? मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है. इसमें जितनी पिछली सरकार शामिल थी, उतनी ही ये सरकार शामिल है. ये देशद्रोह का भी मसला है कि देश की सेनाओं के पास किसकी कोताही के चलते सिर्फ 10 दिन का गोला-बारूद बचा हुआ है. इसका खुलासा मनमोहन सिंह सरकार के समय उस समय के थल सेनाध्यक्ष ने किया था. आज भी वही स्थिति है. आखिर ऐसा क्यों है? ये कौन सी ताकतें हैं, जो देश को, देश की रक्षा व्यवस्था को खोखला कर रही हैं. इधर रोज फेसबुक पर भक्तों की पागल टोलियां पाकिस्तान से हुई छोटी सी गोलाबारी को लेकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ललकारना शुरू कर देते हैं. टेलीविजन चैनल के बेवकूफ एंकर, जिन्हें न देश का पता है न रक्षा सेनाओं का पता है, न सीमाओं का पता है, जो कभी सीमा के पास तक नहीं गए, जिन्होंने कभी शहीदों के परिवारों को नहीं देखा, वे भी रोज टेलीविजन चैनल पर बैठकर भारत सरकार को तत्काल युद्ध करने और पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाने का संदेश देने लगते हैं. ये कड़ा सबक क्या हो सकता है? ये कड़ा सबक पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है. देश में युद्ध का वातावरण बनाना और देश में युद्ध लायक क्षमता पैदा करना दो अलग-अलग बातें हैं. लेकिन हमें मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी. जो मोदी सरकार पहले दिन से ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रही है और जिसके समर्थक टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं, वो मोदी सरकार इतनी खोखली है कि देश के पास सिर्फ 10 दिन का गोला-बारूद बचा है. इस बात को सीएजी द्वारा उजागर करने के बाद भी सरकार चैन से सो रही है. किसी को कोई चिंता नहीं है.

देश प्रेम का ये नया उदाहरण मौजूदा सरकार ने दिया है. ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के बारे में आपको जानना चाहिए. हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग तेजी के साथ गांव-गांव तक ये संदेश फैला रहे हैं कि हमें चीन में बनी हुई राखियां नहीं खरीदनी चाहिए. ये कमाल की चीज है कि मोदी सरकार चीन को ठेके देना बंद नहीं कर रही है. जो मोदी सरकार लोगों को राखियां न पहनने का संदेश दे रही है, वही मोदी सरकार पूणे मेट्रो का 851 करोड़ का ठेका चीन की कंपनी को देती है और वो भी सरकारी कंपनी से मिलकर. ये नाइंसाफी इस देश की जनता के साथ कोई और नहीं कर रहा है, सरकार और सरकार के समर्थक कर रहे हैं. 851 करोड़ का ठेका चीन की कंपनी को अभी एक महीना पहले दिया गया, जब चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी हंसकर हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचा रहे थे. अब प्रश्न है कि हम किसे सलाह दे रहे हैं, हम किसे मूर्ख बना रहे हैं? हम ही मूर्ख बन रहे हैं.

जीएसटी के लिए हमने इतना हो-हल्ला मचाया. एक देश-एक टैक्स का नारा दिया, लेकिन क्या एक देश-एक टैक्स का मतलब यही होता है. तो फिर इसके अलावा इनकम टैक्स क्या है, रोड टैक्स क्या है, टोल टैक्स क्या है, प्रोफेशनल टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, निर्यात कर क्या है, नगरपालिका का हाउस टैक्स क्या है, वाटर टैक्स क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? ऐसी कई चीजें और हैं, जो अभी याद नहीं हैं. लेकिन कोई सरकार से नहीं पूछता है, एक देश-एक टैक्स का अर्थ तो कम से कम बताएं. श्री अरुण जेटली से लेकर सभी मंत्री जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं. सारे व्यापारी नाराज हैं. सूरत में तो तीन-तीन लाख लोगों की रैली होती है, पटना, अहमदाबाद, कानपुर जैसे कई जगहों पर रैलियां हो रही हैं. लेकिन इसे लेकर अखबारों में एक लाइन न छपे इसके लिए सरकार सजग है. टेलीविजन पर एक इंच का फुटेज न दिखाई दे, इसके लिए सरकार पूर्णतया सचेत है. व्यापारी रो रहे हैं, देश परेशान है. किसी को नहीं पता कि जीएसटी में किससे टैक्स लेना है. सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है. लेकिन हम जीएसटी को लेकर ताली बजा जा रहे हैं. हम हर चीज पर ताली बजा रहे हैं. हमें कोई चिंता नहीं हो रही है कि हमारा देश युद्ध लड़ने लायक गोला-बारूद भी नहीं रखता और हमें यह कारण समझ में नहीं आता है कि हम क्यों किसी के आगे नाक रगड़ते हैं और पाकिस्तान के आगे सिर्फ एक ऐसा गुस्सा दिखाते हैं, जिसे नपुंसक गुस्सा कह सकते हैं. कौन सोचेगा इसके बारे में.

नीतीश कुमार आएंगे नीतीश कुमार जाएंगे. नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएं, लालू यादव के साथ रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है. देश को जिन चीजों से फर्क पड़ता है, उसकी चिंता देश के लोगों को नहीं है. हम अब भी यह सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर मनमोहन सिंह के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 में तीन साल शासन करने के बाद भी देश के पास गोला-बारूद क्यों नहीं है. ये कौन लोग हैं? जो भी हैं, देशद्रोही हैं. टेलीविजन वाले इनकी पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएजी रिपोर्ट क्यों संसद में नहीं उठ रही है? सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर टेलीविजन चैनलों में बहस क्यों नहीं हो रही है और यह क्यों अखबारों में नहीं जा रहा है? जो ये सब नहीं कर रहे हैं, वही देशद्रोही हैं.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गया है?

2014 में उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता के मामले को एनजीटी को सौंप दिया. 13 जुलाई को एनजीटी ने कहा कि गंगा सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ. इसने अपने अहम फैसले में यह भी कहा कि गंगा के दोनों किनारों पर 100 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा और 500 मीटर के दायरे में कोई कचरा नहीं फेंका जा सकेगा.

जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को लागू करने की राह में मुश्किलें पैदा करने वाले संस्थानों पर हमले कर रही है, उसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर भी हमले हों तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. 2010 में एक कानून के जरिए इस प्राधिकरण का गठन हुआ था. पर्यावरण से सम्बन्धित सभी मसलों की सुनवाई का काम एनजीटी के पास है. इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि पर्यावरण से सम्बन्धित मसलों की सुनवाई जल्दी से और विशेषज्ञता के साथ हो. सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही इसके निर्णयों को बदल सकता है. ऐसे में अपने विकास मॉडल को लागू करने को उतावली सरकार के लिए इस स्वतंत्र अभिकरण की मौजूदगी खटकने वाली है.

मई, 2014 में इस सरकार के सत्ता में आने के कुछ समय बाद ही सत्ता के गलियारों में यह

चर्चा शुरू हुई कि एनजीटी के अधिकार कम किए जा सकते हैं. जिस कानून के जरिए इसका गठन हुआ है, उसमें किसी संशोधन की कोई प्रत्यक्ष कोशिश नहीं हुई. लेकिन वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए यह काम हुआ. इसमें ऐसे प्रावधान किए गए जो एनजीटी समेत सभी अभिकरणों पर लागू होंगे. इसके जरिए ट्राइब्यूनलों में नियुक्तियों के लिए अर्हता और सेवा शर्तें तय करने की बात की गई है. मौजूदा नियमों के तहत सर्वोच्च न्यायालय का कोई मौजूदा या सेवानिवृत्त जज या फिर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश एनजीटी का प्रमुख हो सकता है. लेकिन अब इसे बदलकर यह किया जा रहा है कि जिसकी पात्रता उच्चतम न्यायालय का जज बनने की होगी, उसे एनजीटी का प्रमुख बनाया जा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि जिस वकील के पास किसी उच्च न्यायालय में काम करने का 10 साल का अनुभव होगा, वह भी एनजीटी का प्रमुख बन सकता है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यही पात्रता है. अभी यह व्यवस्था है कि एनजीटी के सदस्यों का चयन उच्चतम न्यायालय के जज की अध्यक्षता वाली समिति करती है. नए नियमों के मुताबिक, यह काम सरकार करेगी. इसका दीर्घकालिक असर एनजीटी के निर्णयों पर दिखेगा, क्योंकि न्यायिक पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों की संख्या घट जाएगी. साथ ही इसकी स्वतंत्रता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

यह दुखद है. एनजीटी की स्वतंत्रता कम करने की कोशिश ऐसे वक्त में हो रही है, जब इसने यह साबित किया है कि नरेंद्र मोदी के पसंद की एक परियोजना में इसकी अहम भूमिका हो सकती है. पर्यावरण कार्यकर्ता एमसी मेहता द्वारा 1985 में दायर एक जनहित याचिका के बाद 1986 गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था. इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 25 शहरों को शामिल किया गया था. 1993 में इसका दूसरा चरण शुरू हुआ और गंगा की सहयोगी नदियों यमुना, दामोदर और महानदी को इसमें शामिल किया गया. इस बीच मेहता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती रही. 2015 में मोदी सरकार ने इसे नमामि गंगे कार्यक्रम नाम दे दिया. 2015 से 2020 के बीच 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनी. 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कोई सुधार दिख नहीं रहा.

2014 में उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता के मामले को एनजीटी को सौंप दिया. 13 जुलाई को एनजीटी ने कहा कि गंगा सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ. इसने अपने अहम फैसले में यह भी कहा कि गंगा के दोनों किनारों पर 100 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा और 500 मीटर के दायरे में कोई कचरा नहीं फेंका जा सकेगा. साथ ही कानपुर में गंगा में गंदगी डालने वाले चमड़ा कारखानों को दो हफ्ते के अंदर किसी और जगह पर जाना होगा. हालांकि, अभी यह फैसला नदी के एक खास हिस्से के लिए है, लेकिन एनजीटी आने वाले दिनों में दूसरे हिस्सों से जुड़े मसले को भी देखेगी.

इस न्यायिक हस्तक्षेप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने की बात की गई है. पहले की तरह ये जिम्मेदारी राज्यों को नहीं दी गई है, क्योंकि राज्य ऐसा कर नहीं पा रहे थे. एनजीटी की यह पहल प्रभावी परिणाम दे सकती है. लेकिन इस संस्था की स्वतंत्रता का बने रहना न सिर्फ इस मामले के लिए जरूरी है बल्कि अन्य पर्यावरणीय मसलों के लिए भी इसकी आवश्यकता है. इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि इस फैसले के बाद क्या मोदी सरकार एनजीटी की स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत को समझेगी.■

साभार: इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

feedback@chauthiduniya.com

यूपी की स्कूली शिक्षा में कहीं सैकड़ों करोड़ का टेंडर घोटाला तो कहीं ड्रेस घोटाला

पढ़ाई में घोटाला

लूफी यायावर

यूपी बेसिक एजुकेशनल प्रिंटर्स एसोसिएशन के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण और आपूर्ति के लिए होने वाले टेंडर में 300 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है. प्राइमरी स्कूलों की किताबों को लेकर होने वाले विलंब के पीछे बड़ा घपला है. यूपी बेसिक एजुकेशनल प्रिंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र जैन और उपाध्यक्ष विवेक बंसल का कहना है कि शिक्षा सत्र 2017-18 में पिछले 15 वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को भंग करते हुए शासन की चहेती कम्पनी को कॉपी किताबों की आपूर्ति का ठेका दिया जा रहा है. नोएडा स्थित बुर्दा ड्रक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को शिक्षा विभाग ने ठेका दिलाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे आजमाए हैं.

सरकार ने पुरानी व्यवस्था को तोड़ते हुए सिक्योरिटी मनी को 15 लाख रुपए से बढ़ा कर ढाई करोड़ कर दिया है. निविदा की अनुचित शर्त डाल कर एवं कार्टेल बना कर बुर्दा कम्पनी को काम दिए जाने का षडयंत्र रचा गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वादा करते हैं कि वे प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त करके रहेंगे, लेकिन पुस्तकों की खरीद के लिए ई-टेंडर से सरकार कन्नी काट रही है. शिक्षा विभाग में पिछले 15 वर्षों से 35-40 मुद्रक काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मात्र 13 मुद्रकों का सिंडिकेट बना कर क्यों काम किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है. इसमें भी 80 प्रतिशत काम बुर्दा कम्पनी को दिया जा रहा है. जब पिछले वर्ष 23 मुद्रक जुलाई की आपूर्ति को जनवरी तक पूरी नहीं कर पाए, तो इस बार मात्र 13 मुद्रक इस कार्य को कैसे पूरा कर पाएंगे? जबकि तथ्य यह है कि इन 13 मुद्रकों में 12 फर्में फर्जी हैं और ये बुर्दा कम्पनी की छद्म-नामी संस्था हैं.

बुर्दा कम्पनी शिक्षा सत्र 2016-17 में जनवरी तक किताबों की आपूर्ति नहीं कर पाई. इसके बावजूद तत्कालीन सचिव अजय सिंह यादव ने इलाहाबाद के जिलाधिकारी के मना करने के बावजूद बुर्दा को अतिरिक्त समय दिया और उसे ब्लैक-लिस्टेड भी नहीं किया. इस बार लगभग तीन सौ करोड़ रुपए का काम बुर्दा कम्पनी को दिया जा रहा है. जबकि यह काम 35-40 मुद्रकों को बांट कर दिया जाता, तो काम समय से होता और प्रदेश को 100 करोड़ रुपए की बचत भी हो जाती. जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग की इस बड़ी धांधली को लेकर एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या से मुलाकात की और जांच की मांग की. जांच का आश्वासन भी मिला, लेकिन यह केवल आश्वासन ही रह गया.

उल्लेखनीय है कि बुर्दा कम्पनी पिछले साल समय पर किताबों की सप्लाई नहीं कर पाई थी और देर से दी गई किताबें भी घटिया कागज पर छापी गई थीं. यह आधिकारिक तथ्य है, लेकिन इस पर शासन का ध्यान नहीं जाता. बीते 9 मई 2017 को बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बुर्दा कंपनी को टेंडर नहीं देने की सिफारिश शासन से की थी. लेकिन शासन की प्राथमिकताएं कुछ और हैं. एसोसिएशन का कहना है कि टेंडर में बुर्दा कम्पनी का रेट भी काफी अधिक है, इसके बावजूद उसे मंजूरी दी गई, जिससे विभाग को लगभग 55 करोड़ रुपए का नुकसान होगा. बेसिक शिक्षा निदेशक ने यह भी कहा था कि इस साल मात्र 13 कंपनियां हैं और इतने कम समय में वे किताबें नहीं दे पाएंगी, इसलिए फिर से टेंडर कराया जाए. लेकिन शासन ने दबाव देकर उनका प्रस्ताव बदलवा दिया और उसी कंपनी को टेंडर थमा दिया, जिसका शासन पर उपकार था. बुर्दा ड्रक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब 15 करोड़ का जुर्माना लगाया था. जानकारों का कहना है कि घटिया कागज पर किताबों के छपने, अशुद्धियां रहने और प्रिंटिंग की त्रुटियां रहने के बावजूद इस बार फिर बुर्दा कंपनी को दंडित नहीं किए जाने की अभी से योजना तैयार हो गई है. बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से किताबें छपने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है. इसके बाद ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि सितम्बर, अक्टूबर से पहले बच्चों को किताबें नहीं मिल सकतीं. कैग की रिपोर्ट में भी यह बात आई है कि पिछले सत्र में 97 लाख बच्चों को किताबें नही मिलीं. उस समय टेंडर का 90 प्रतिशत काम इसी बुर्दा ड्रक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास था. यह भी सवाल उठता है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने किताबों का जब पूरा पेमेंट किया था, तो फिर आधी से अधिक किताबों की सप्लाई क्यों नहीं हुई? इन किताबों के नाम पर 125 करोड़ से अधिक राशि किन-किन लोगों की जेब में गई? यह सवाल सामने है.

सरकारी किताबों की छपाई का टेंडर देने में की गई मनमानी के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंच चुकी है. विश्व हिंदू महासंघ के नेता दिग्विजय सिंह राणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बेसिक शिक्षा के विभाग के प्रमुख सचिव के इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहने की शिकायत की है. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि प्राइमरी बच्चों को दी जाने वाली फ्री किताबों में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि नोएडा की फर्म मेसर्स बुर्दा ड्रक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को खासतौर पर फायदा पहुंचाने के लिए प्रमुख सचिव ने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए. वर्ष 2000 से 2016 तक यूपी सरकार प्रदेश में किताबों का टेंडर 40 फर्मों को देती थी, जिसके लिए बाकायदा सिक्योरिटी मनी जमा कराकर टेंडर निकाला जाता था. लेकिन 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अजय सिंह ने इस शासनादेश को बदल दिया. उन्होंने 40 के बजाय सिर्फ एक फर्म को ठेका देने का निर्णय लिया. इतना ही नहीं, कागज मिलों से यह भी पत्र लिखवाकर मंगाया गया कि वे बुर्दा ड्रक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही अपना माल सप्लाई करेंगे.

आरोप है कि मिलीभगत के तहत प्रमुख सचिव ने प्रदेश में किताबों की सप्लाई के लिए 158 करोड़ का ठेका बिना तकनीकी क्षमता की जांच किए कंपनी को दे दिया. जबकि कई अन्य फर्में कम (शेष पृष्ठ 11 पर)

सीतापुर के निजी स्कूल में बिक रही हैं सरकारी स्कूल की किताबें

संजीव गुप्ता

बेसिक शिक्षा तंत्र के सारे यंत्र बेकार हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसे जाने की बात तो कही, लेकिन सरकारी तंत्र और उसके यंत्र को खरीदने का मंत्र जानने वाले निजी स्कूलों ने योगी सरकार के इस बयान को धराशाई कर डाला है. सीतापुर के महोली विधानसभा में महोली कस्बे का एक निजी स्कूल इसका जीता-जागता उदाहरण है. सरकारी मानकों की धज्जियां उड़ाने वाले इस विद्यालय में सरकारी विद्यालयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें निजी स्कूल की मुहर लगाकर महंगी कीमत पर खुलेआम बेची गईं. यह जानते हुए भी विभागीय अधिकारी खामोश रहे. खास बात यह है कि विद्यालय का प्रबंधक खुद अर्धसरकारी विद्यालय का अध्यापक है. सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में रहने वाले प्रबंधक के विरुद्ध प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है. एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की बात तो दूर रही.

महोली कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मूसाराम पेट्रोल पम्प के निकट मास्टर राम प्रताप बाल विद्या मंदिर नामक एक निजी स्कूल है. इस स्कूल में एक से आठ तक की कक्षाएं बेरोजगारों द्वारा संचालित की जा रही हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विद्यालय की स्थायी मान्यता के लिए आवश्यक सरकारी मानकों एवं

शर्तों को धता बताने वाले इस निजी स्कूल में सरकारी विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकें स्कूल की मुहर लगाकर मोटी कीमत पर अभिभावकों को बेची जा रही थीं. इसके बावजूद प्रशासन विद्यालय प्रबंधन के कारनामों से अंजान बना रहा. एक अभिभावक ने वीडियो बना कर स्कूल प्रबंधन की हरकतों की पोल खोल दी. स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के परिजनों ने बताया कि कक्षा एक के बच्चों को 181 रुपए में, कक्षा चार के बच्चों को 546 रुपए में और कक्षा सात के बच्चों को 410 रुपए में किताबें बेची गईं. जबकि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने का कानून है. भोले-भाले अभिभावकों के साथ फरेब करने के लिए प्रबन्धक के इशारे पर प्रधानाध्यापिका अनामिका गुप्ता उर्फ पूजा उन किताबों को खरीदने के बदले पाठ्यक्रम शुल्क के नाम से रसीदें भी दे रहीं थीं. अभिभावकों ने जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पन्नालाल को इसकी जानकारी दी, तो अगले दिन सुबह स्कूल में छापामारी हुई. छापेमारी के दौरान स्कूल के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के बस्तों से सरकारी किताबें बरामद हुईं. इस दौरान बीएसए ने प्रधानाध्यापिका पूजा गुप्ता की टेबल से 16 सरकारी कार्य-पुस्तिकाएं एवं इस विद्यालय की मुहर लगी विभिन्न कक्षाओं की सरकारी पुस्तकें भी बरामद की. बीएसए की छापेमारी से स्कूल में हड़कम्प मच गया. बीएसए ने पहले प्रथम तल पर कक्षा एक से पांच तक के 140 बच्चों के स्कूली बैग चेक किए और उनसे पूछताछ भी की. बच्चों ने किताबें खरीदे जाने की बात कही. (शेष पृष्ठ 11 पर)

घूस पर तय होता है किताबों की छपाई का ठेका, रिश्वत पर तो सबकुछ चलता है

घोटाले की पढ़ाई

पृष्ठ 10 का शेष

रेट पर सप्लाई देने के लिए लाईन में थीं. लेकिन प्रमुख सचिव ने नियमों में बदलाव कर बुर्दा कंपनी को बिना कोई सिक्योरिटी-मनी जमा कराए ही ठेका दे दिया. यह सख्त नियम रहा है कि अगर कोई कंपनी समय से किताबों की सप्लाई नहीं दे पाती, तो उस पर जुर्माना लगता है. लेकिन किताबों की सप्लाई में महीनों देर करने के बावजूद फर्म पर जुर्माना नहीं लगाया गया और न उस पर कोई कार्रवाई की गई. जबकि इलाहाबाद के जिलाधिकारी संजय कुमार ने लिखित तौर पर कहा था कि उक्त फर्म पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना और उसे ब्लैक-लिस्ट करने की कार्रवाई करनी चाहिए. लेकिन शासन ने उसे दरकिनार कर दिया. पूरे प्रदेश में यह सवाल उठते रहे कि ऐसे दागी फर्म को दोबारा ठेका क्यों दिया जा रहा है? फर्म पर लगाई गई पेनाल्टी की कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी? उसे काली सूची में क्यों नहीं डाला गया? लेकिन इन सवालों के जवाब में यह परिणाम सामने आया कि दिसम्बर तक प्राईमरी स्कूलों में किताबें नहीं बंटीं और जो बंटीं वह भीषण अशुद्धियों के साथ. लेकिन विभाग आंख और कान दोनों में तेल डाले चुप बैठा रहा. अशुद्धियों का चरम यह रहा कि कक्षा सात और आठ की पुस्तकों का सिलेबस ही बदल दिया गया. इस अक्षम्य-चूक पर प्रदेश के पाठ्य पुस्तक अधिकारी ने भी उक्त फर्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा, लेकिन वह नक्कारखाने में तूती की आवाज ही साबित हुई. विडंबना यह है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने भी इस प्रकरण पर शासन को कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

पुस्तक प्रकाशन और खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा हर साल होता रहता है, लेकिन सरकार इस तरफ जानबूझ कर आंख मूंदे रहती है. यूपी में गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के दावे वाला सर्व शिक्षा अभियान अब मृतप्राय ही है. इसमें भी किताबों का प्रकाशन पूरा का पूरा घोटाला ही है. प्रदेश के एक लाख से अधिक प्राइमरी और 35 हजार से ज्यादा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के नष्ट होते भविष्य को बचाने में सरकार की कोई रुचि नहीं. किताबों के अभाव में ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाई ठप्प पड़ी है. राजधानी लखनऊ के कुछ स्कूलों में पुरानी किताबों के सहारे पढ़ाई कराई जा रही है.

यूपी के बेसिक स्कूलों में सत्र शुरू हुए करीब-करीब तीन महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी स्कूलों तक नई किताबें नहीं पहुंच पाई हैं. कई सरकारी स्कूलों में स्थिति यह है कि एक ही किताब से दो या तीन बच्चे पढ़कर काम चला रहे हैं. कई स्कूलों में किताबों के पुराने सेट से ही पूरी क्लास पढ़ रही है. यह पहली बार नहीं है. पिछले साल अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं तक 50 प्रतिशत किताबें ही स्कूलों में उपलब्ध हो पाई थीं. इस बार भी साढ़े बारह करोड़ पुस्तकों की छपाई के लिए 31 दिसंबर 2016 को टेंडर आमंत्रित किया गया था. टेंडर की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2017 थी. करीब दो दर्जन से अधिक फर्मों ने आवेदन किया था. सात मार्च को टेक्निकल-बिड खोली गई, जिसमें 13 लोगों को योग्य (अर्ह) पाया गया था. लेकिन तीन मई तक फाइनेंशियल-बिड नहीं खोली गई. घोटाले की बिसात बिछाई जा रही थी. छपाई का ठेका आवंटित करने में तगड़ा कमीशन चलता है. पिछले साल 13 करोड़ 21 लाख 86 हजार 5 सौ किताबों की छपाई के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी. निजी पब्लिशर को फायदा पहुंचाने की नीयत से एक बार टेंडर आमंत्रित करने के बाद उसमें दो बार संशोधन किया गया. इस काम की लागत 450 करोड़ थी, जिसमें 250 करोड़ रुपए किताबों की छपाई पर और 200 करोड़ रुपए वाटरमार्क पेपर पर खर्च किए जाने थे. पिछले साल 1 रुपए 38 पैसे की दर से छपाई होनी थी. इसमें एक ऐसी कंपनी से कागज लिया गया, जो घाटे के चलते हड़ताल झेल रही थी और वाटरमार्क पेपर उत्पादन की क्षमता की शर्त को पूरा भी नहीं कर रही थी. जिस कंपनी को कागज सप्लाई करना था, उसकी प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता न्यूनत 200 मीट्रिक टन दिखाई गई, जबकि उस कंपनी की प्रतिदिन की वाटरमार्क पेपर की वास्तविक उत्पादन क्षमता मात्र 60 मीट्रिक टन ही थी.

किताबों के साथ-साथ ड्रेस घोटाला, अब तो आ गया नया लूट-कोड

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षक आपस में साठगांठ करके बच्चों की किताबें तो 'खा' ही रहे हैं, उनके ड्रेस भी हजम कर जा रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें शासन तक पहुंच रही हैं, लेकिन शासन उसे रद्दी के टोकरे में डाल देता है. ड्रेस घोटाले का ही एक रोचक वाकया बदायूं जिले का सामने आया, जहां बच्चों की ड्रेस बनाने के लिए आए साढ़े सात करोड़ रुपए सबने मिल कर 'खा' लिए. इस घोर घोटाले पर शासन की घनघोर चुप्पी है. बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार बच्चों को दो जोड़ी ड्रेस देती है, जिसकी कीमत करीब चार सौ रुपए है. बदायूं जिले को इसके लिए साढ़े सात करोड़ रुपए मिले, लेकिन वह हजम कर लिया गया. प्रावधान यह है कि प्रधान, प्रधानाचार्य और एनपीआरसी की देख-रेख में प्रत्येक स्कूल में जाकर दर्जी को प्रत्येक बच्चे का नाप लेना चाहिए और मानक के अनुरूप खरीदे गए कपड़े से बच्चों की ड्रेस बननी चाहिए. लेकिन बदायूं के पनबड़िया चौराहे पर स्थित एक घटिया दुकान से कुछ ड्रेस खरीद कर कुछ बच्चों को दे दिए गए और बाकी कागज पर ड्रेस-वितरण दिखा दिया गया. चार सौ रुपए की ड्रेस महज 60-70 रुपए में तैयार कराई गई, जिसे पहन कर कुछ बच्चे हीनता में और धंसते हैं, जबकि साहब लोग घोटाला करके भी नहीं फंसते हैं. घोटाले में जिला समन्वयक पीसी श्रीवास्तव और बीएसए प्रेमचंद यादव की भागीदारी की पूरे जिले में चर्चा है, लेकिन शासन इस चर्चा से बेखबर है.

पुस्तक प्रकाशन और खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा हर साल होता रहता है, लेकिन सरकार इस तरफ जानबूझ कर आंख मूंदे रहती है. यूपी में गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने के दावे वाला सर्व शिक्षा अभियान अब मृतप्राय ही है. इसमें भी किताबों का प्रकाशन पूरा का पूरा घोटाला ही है. प्रदेश के एक लाख से अधिक प्राइमरी और 35 हजार से ज्यादा उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के नष्ट होते भविष्य को बचाने में सरकार की कोई रुचि नहीं.

ड्रेस घोटाले में लिप्त जिलों में बुंदेलखंड के सभी जिले, बुलंदशहर, कौशांबी, इलाहाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, मधोही, अंबेडकरनगर जैसे तमाम जिलों के नाम शामिल हैं. एक अधिकारी ने कहा कि यूपी के सारे जिलों को इसमें शुमार कर लीजिए, इस घोटाले से कोई जिला अछूता नहीं है, इसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है. अब तो योगी सरकार ने नया ड्रेस कोड भी जारी कर दिया है. भ्रष्ट अधिकारी और माफिया खुश हैं. उनके लिए यह है नया लूट-कोड.

लाइब्रेरियों में किताबें ख़रीदने के नाम पर भीषण घोटाला

उत्तर प्रदेश की विभिन्न लाइब्रेरियों और स्कूलों-कॉलेजों के पुस्तकालयों में किताबों की खरीद में शासन के अधिकारियों और सम्बन्धित स्कूल-कॉलेजों के प्रबंधन की मिलीभगत से भारी घोटाले हो रहे हैं, लेकिन इस पर कोई रोकथाम नहीं है. कमीशनखोरी के तहत घटिया किताबें सरकारी खरीद के लिए चयनित हो रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की पुस्तक खरीद नीति नहीं, सरकारी धन की लूट-नीति है. उत्तर प्रदेश सरकार की पुस्तक खरीद नीति के जरिए हो रही लूट का खामियाजा आम पाठकों के साथ-साथ बड़ी तादाद में छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. पचास-पचास प्रतिशत की छूट पर मिलने वाली किताबें स्कूल के पुस्तकालयों में ऊंची-ऊंची कीमतों पर खरीदी जा रही हैं. प्रदेश के करीब 16 सौ सरकारी स्कूलों को वार्षिक विद्यालय अनुदान के रूप में प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए केवल किताब खरीदने के लिए मिले. लाइब्रेरी के लिए जिन किताबों की खरीद के आदेश दिए गए वह राजधानी के खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है. कई राजकीय स्कूलों के प्रिंसिपल ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र भी लिखा. लेकिन पता चला कि 80 प्रकाशकों की किताबें नोएडा के एक खास वितरक की ओर से मुहैया कराई गईं. वितरक ने 10 प्रतिशत की छूट देकर सरकारी स्कूलों को किताबों की सप्लाई की. जिन किताबों को सरकारी स्कूलों को 10 प्रतिशत की छूट पर बेचा गया, उन्हीं किताबों को निजी स्कूल संचालकों को 25 प्रतिशत की छूट पर दिया गया. दूसरे एक प्रकाशक ने 35 से 40 प्रतिशत की छूट पर निजी स्कूलों को किताबें दीं.

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें खरीदने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है. लेकिन सरकार की पुस्तक-खरीद योजना पर भ्रष्ट नेता, नौकरशाह, प्रकाशन-माफिया और दलाल काबिज हैं. पठनीय पुस्तकें खरीदी नहीं जा रहीं, क्योंकि उसके लेखक या प्रकाशक भ्रष्ट-तंत्र को घूस नहीं चढ़ाते, लिहाजा लाइब्रेरियों में घटिया पुस्तकें खरीद-खरीद कर रखी जा रही हैं. इस वजह से जागरूक पाठकों और पढ़ाकू छात्रों की आमद लाइब्रेरियों में कम होती जा रही है. अच्छी पुस्तकें और अच्छे लेखक हाशिए पर हैं. प्रकाशकों की तमाम जाली फर्में हैं, जो पुस्तकों की खरीद के गोरखधंधे में संलग्न हैं. शिक्षा माफिया सरकार पर हावी हैं. ■

सीतापुर के निजी स्कूल में बिक रही हैं सरकारी स्कूल की किताबें

पृष्ठ 10 का शेष

इन बच्चों की बैग से कलरव, गिनतारा, परख, हमारा परिवेश और रेनबो वर्कबुक नाम की वर्ष 2016-17 की सरकारी पुस्तकें बरामद हुईं. द्वितीय तल पर कक्षा छह, सात और आठ के बच्चों के बैग से मंजरी, गृहशिल्प, महान व्यक्तित्व, वर्तिका नाम की सरकारी पुस्तकें बरामद हुईं. पूछताछ के दौरान बच्चों ने बताया कि उनके अभिभावकों ने स्कूल से पुस्तकें खरीदी हैं. बीएसए ने बच्चों के बयान रिकॉर्ड कराए और उनके बस्तों से बरामद सरकारी किताबों की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई. इस दौरान स्कूल प्रबंधन बीएसए को यह कहकर बरगलाने का प्रयास करता रहा कि ये किताबें बच्चे कहीं अन्यत्र से लेकर आए हैं. लेकिन उन किताबों पर स्कूल की मुहर लगाकर काटी गई रसीदें भी बरामद हुईं, जो स्कूल प्रबंधन का पोल खोल रही हैं. बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में लम्बे समय से सरकारी किताबें मुहर लगाकर छात्रों को कोर्स बताकर बेची जा रही थीं. बीएसए की जांच में वर्ष 2014-15 में भी ऐसी ही किताबें छात्रों के झोले से मिली थीं. छापेमारी के दौरान बीएसए पन्नालाल ने खंड शिक्षा अधिकारी को इसके लिए दोषी माना. छापेमारी के अगले दिन स्कूल के सभी बच्चों से उन्हें बेची गई सारी पुस्तकें वापस ले ली गईं और अभिभावकों को यह बताया गया कि उनसे ली गई धनराशि स्कूल की फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी. अब बच्चे किन किताबों से पढ़ेंगे, इसका निर्धारण बाद में होगा.

कहां से आईं सरकारी पुस्तकें!

निजी स्कूल की मुहर लगाकर मोटी कीमत पर बेची जाने वाली सरकारी किताबें किस ब्लॉक से या किस विद्यालय से आईं? विभागीय अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं. ये किताबें वर्ष 2016-2017 की हैं. गिनत-ारा नामक कक्षा चार की कार्य-पुस्तिका के पहले पृष्ठ पर प्राथमिक विद्यालय बड़ागांव की तस्वीर भी छपी हुई है. किसानों के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर वित्तीय वर्ष 2016-17 की सरकारी पुस्तकों का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है. महोली के बीईओ वाईके मिश्रा ने भी महोली ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संकुल प्रभारियों की मीटिंग बुलाकर सरकारी किताबों की बिक्री और उपलब्धता का पता लगाने का कोरम पूरा किया था.

बीएसए को एफआईआर पर नहीं नोटिस पर भरोसा

बीएसए बेसिक शिक्षा के जनपद के सबसे बड़े अधिकारी हैं. उनकी छापामारी में न सिर्फ प्रधानाध्यापिका की टेबल पर 16 सरकारी किताबें बिक्री के लिए रखी हुई थीं बल्कि स्कूली बच्चों ने भी प्रधानाध्यापिका द्वारा अलग-अलग कक्षाओं की पुस्तकों को अलग-अलग मूल्य पर बेचा जाने की बात कही थी. फिर भी बीएसए ने तत्काल स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की जरूरत नहीं समझी. उन्होंने विद्यालय के प्रबंधक को नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा. मौका मिलने पर प्रबंधक ने नोटिस का जवाब ना दे कर सियासी नेताओं की सिफारिश पर ज्यादा भरोसा किया. सपा से लेकर भाजपा के नेताओं तक की पैरवी की गई. तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए गए. आखिरकार बीएसए पन्नालाल को कार्यालय, शिक्षा निदेशालय लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया और महोली के बीईओ रहे वाईके मिश्रा को बीएसए का प्रभार दे दिए गया. मलाईदार कुर्सी जाती देख बीएसए ने स्कूल प्रबंधक उमेश चंद्र मिश्रा के विरुद्ध सुसंगत धार-ाओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश महोली के खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिया. चालाक बीईओ ने स्कूल प्रबंधक उमेश चंद्र मिश्रा को अभय दान देते हुए बीएसए के आदेश को महोली के खण्ड शिक्षा अधिकारी ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया. बीएसए के आदेश के 96 घंटे बाद भी स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि छापामारी के दौरान बीएसए पन्नाराम ने जिस बीईओ को प्रथम दृष्टया दोषी माना था, उसी बीईओ को प्रभारी बीएसए बनाया गया है.

प्रबंधक ने अपने बचाव में शुरू कर दी सियासत

महोली विधानसभा के ब्लाक पिसावां के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में तैनात उमेश चन्द्र मिश्रा ने खुद को बचाने के लिए सितापुर के जिलाधिकारी डॉ.सारिका मोहन को प्रार्थना पत्र देते हुए बीएसए पर ही पक्षपात का आरोप मढ़ दिया. पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ साबित करने का प्रयास करने वाला प्रबंधक प्रधानाध्यापिका को बलि का बकरा बनाने में लगा है.

स्कूल में सरकारी शर्तों का उल्लंघन

मोटी कीमत पर सरकारी पुस्तकें बेचने वाले मास्टर रामप्रताप बाल विद्या मंदिर स्कूल में जूनियर हाई स्कूल स्तर की मान्यता हेतु सरकारी नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है. यह न तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है और न ही उक्त स्कूल पुस्तकालय, साज-सज्जा एवं उपकरण, विज्ञान सामग्री, शिक्षक-शिक्षण जैसी अन्य शर्तें ही पूरी कर रहा है. मान्यता के लिए प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए. नर्सरी से कक्षा आठ तक कक्षाएं संचालित करने के लिए स्कूल के पास मानक के अनुरूप हवा और पर्याप्त रौशनी वाले कमरे हैं. नियमानुसार मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाना चाहिए. लेकिन जेबें भरने की लालसा में यहां मेरठ के साहित्य भंडार नामक प्रकाशक से प्रकाशित बालकीर्ति नाम की पुस्तक चलाई जा रही है. स्कूल में किताबें बेचे जाने की घटना के संदर्भ में जब महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी मंच से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. त्रिवेदी ने कहा कि शासन ने स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराया, तो उसे मैं दर्ज कराऊंगा. ■

वक्फ़ अधिकारी और माफ़िया की मिलीभगत से बेची जा रही ज़मीन!

वाल्मीकि कुमार

मुजफ्फरपुर में चंदवारा के कमरा मोहल्ला में पिछले दिनों हुई घटना ने जिला प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है. स्थानीय निवासी अब दो खेमों में बंट चुके हैं. एक पक्ष जहां मौलाना सैयद काजिम शबीब के समर्थन में है, वहीं दूसरा पक्ष उन पर दबंगई का आरोप लगा रहा है. ऐसे में यह सवाल अपनी जगह मौजूं है कि वक्फ की साढ़े सात बीघा जमीन आखिर गई कहां?

साल 2009 में मोतवल्ली असगर हुसैन ने मौलाना काजिम शबीब को उनके पद से हटाने की घोषणा की थी, तभी से वक्फ संपत्ति पर कब्जे की बात उठने लगी थी. जनवरी 2016 में इस मामले को विधायक रूदल राय ने भी विधानसभा में उठाया था. मौलाना ने अपने कार्यकाल से ही तकी खां वक्फ बोर्ड की जमीन को खोजना शुरू कर दिया था. इसी बीच शिया वक्फ बोर्ड के निर्देश पर मोतवल्ली असगर हुसैन ने मौलाना को उनके पद से हटाने की घोषणा कर दी. इसके बाद भी मौलाना स्वघोषित रूप से अपने पद पर बने रहे, साथ ही वक्फ की संपत्ति को खोजने का सिलसिला भी जारी रखा. वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर शिया वक्फ बोर्ड उन पर प्राथमिकी भी दर्ज करा चुका है. मौलवी पर कई प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी पुलिस उन पर हाथ डालने से हिचकती रही. वक्फ बोर्ड ने भी कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिखकर ठोस कार्रवाई करने को कहा था. अंतिम बार प्रशासन को भेजे पत्र में वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी थी. लोग बताते हैं कि प्रशासन समय रहते सतर्क होता, तो इस मामले को टाला जा सकता था.

आइए जानते हैं आखिर यह मामला है क्या? मुजफ्फरपुर के चंदवारा के कमरा मोहल्ला स्थित मो. तकी खां वक्फ व बनारस बैंक चौक के पास सोगरा बेगम वक्फ स्टेट की जमीन बेचने को लेकर 5 -6 साल से विवाद चल रहा है. कमरा मोहल्ला के शिया मस्जिद के इमाम सैयद मो. काजिम शबीब इसके खिलाफ अपने समर्थकों के साथ लगातार आंदोलन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि वक्फ अधिकारियों व भू माफिया की मिलीभगत से वक्फ की जमीन बेची जा रही है. बची जमीन पर बनी दुकानों व मकानों से किराया वसूल कर वक्फ अधिकारी अपनी जेब भर रहे हैं. इसे लेकर पिछले सप्ताह सोगरा वक्फ की जमीन पर बनी दुकानों व मकानों में तालाबंदी की घोषणा की गई थी. हालांकि तब प्रशासन के आश्वासन के बाद वे मान गए थे. इसके बाद मौलाना ने 21 जुलाई को वक्फ कमेटी से जुड़े लोगों के घरों का घेराव व तालाबंदी की घोषणा की. मौलाना की मांग थी कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी यहां आकर लोगों के सवालों का जवाब दें अथवा डीएम स्तर से विभिन्न वक्फ की लोकल कमिटी बनाकर देख-रेख करें. बताया जाता है कि कमरा मोहल्ला विवाद पर तत्कालीन मुसहरी सीओ नवीन भूषण व डीसीएलआर पूर्वी मो. शाहजहां ने सालभर पहले ही जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी थी. पर लंबे समय तक यह फाइल धूल फांकती रही. दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रिपोर्ट में बताया था कि जमीन की जांच के लिए विभाग के पास पुराना सर्वे उपलब्ध नहीं है. नए सर्वे में वक्फ की जमीन 4 बीघा घट गई है, जो विवाद का मुख्य कारण है. पुराने सर्वे में वक्फ की कुल जमीन 7 बीघा 9 कट्ठा थी. 17 जनवरी 1981 को प्रकाशित नए सर्वे में तकी खां वक्फ बोर्ड की जमीन मात्र 3 बीघा 10 कट्ठा रह गई है. दोनों सर्वे में तकी खां वक्फ बोर्ड की जमीन के रकबे में 4 बीघे का अंतर आ गया है. मौलाना काजिम शबीब इस चार बीघा जमीन की अवैध बिक्री व कब्जा का आरोप लगा रहे हैं. दोनों अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि वर्ष 1988 से 1991 के बीच वक्फ की अनुमति से मुतवल्ली ने ढाई कट्ठा जमीन बेची है. मौलाना वक्फ की अनुमति से हुई इस बिक्री को भी अवैध बता रहे हैं.

कहा जा रहा है कि इमामबाड़ा में रहने वाले किरायेदारों से किराया वसूली भी विवाद का एक कारण है. 20 जुलाई को जिला प्रशासन को स्थिति की गंभीरता का आभास हो गया था. 21 जुलाई को 9 स्थानों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी. मौलाना ने अपने समर्थकों के साथ जुमे की नमाज के बाद कर्नल हुसैन के आवास, नवाब तकी खां इमामबाड़ा के मोतवल्ली सैयद आबिद असगर व सोगरा वक्फ के मोतवल्ली सैयद इलरार हुसैन के घर पर ताला लगा दिया. मौलाना ने नमाज के बाद प्रशासन को वार्ता के लिए 10 मिनट का समय दिया. कहा कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ व इंस्पेक्टर आरिफ रजा जनता के सामने आकर वक्फ जायदाद का हिसाब दें. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ऐसा करता है, तो तालाबंदी रोक दी जाएगी. प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने पर मौलाना ने तालाबंदी कर दी. इस क्रम में मौलाना ने सोगरा वक्फ के दुकानदारों की ओर रुख नहीं किया. उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई वक्फ जायदाद बेचने वालों के खिलाफ है. वक्फ विवाद में मौलाना सैयद काजिम शबीब व उनके समर्थकों द्वारा तालाबंदी के बाद शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई की. इस पर पुलिस व मौलाना समर्थकों में जमकर बवाल हुआ. देखते-देखते चंदवारा स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया. मौलाना के आवासीय परिसर व अन्य जगहों से पुलिस पर रोड़ेबाजी की गई. इस दौरान भीड़ ने फायरिंग भी की. भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे व लाठी चार्ज किया. इसमें मौलाना समेत दर्जनों समर्थक घायल हो गए, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं. वहीं भीड़ ने पुलिस पर रोड़ा बरसाने के साथ ही लाल मिर्च पाउडर भी फेंका. भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि उसने पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के एक गोले को उठाकर पुलिस की ओर फेंक दिया. तब पुलिस गेट तोड़कर मौलाना के आवासीय परिसर में घुसी, जहां भीड़ व पुलिस में जमकर भिड़ंत हुई. रोड़ेबाजी में एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार व नगर डीएसपी आशीष आनंद समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. इससे पूर्व इमाम का काफिला पक्की सराय रोड स्थित बीबी सोगरा वक्फ स्टेट के मोतवल्ली मो. इसरार हुसैन के घर पहुंचा और तालाबंदी कर दी. तब वक्फ की जमीन पर बसे दुकानदारों के अलावा मुहल्ले के अन्य लोग भी आक्रोशित हो गए. लोगों ने बनारस बैंक चौक पर टायर जलाकर जाम लगा दिया और सड़क पर धरना देने लगे. वरीय पदाधिकारियों से वार्ता के बाद एसडीओ पूर्वी व नगर डीएसपी मौलाना को गिरफ्तार करने पहुंचे. इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने मौलाना समेत 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

मौलाना समर्थकों को ले जाती पुलिस

भिड़ंत के दौरान घायल लोग

कमरा मोहल्ला बवाल के संदर्भ में मुसहरी सीओ नागेंद्र कुमार और नगर थानेदार केपी सिंह ने एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपी. इसमें कहा गया कि अगर मौलाना सैयद काजिम शबीब को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो बिरादरी के लोगों के बीच खून-खराबा हो जाता. उस दौरान मौलाना 500 से अधिक समर्थकों के साथ घर पर मौजूद थे. रिपोर्ट के आधार पर नगर थाना में केस दर्ज किया हुआ, जिसमें मौलाना समेत 31 को नामजद व 500 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया. इस घटना में चार अलग-अलग प्राथमिकी अन्य थानों में भी दर्ज की गई.

घटनास्थल का मुआयना करते डीएम व एसपी

मो. तकी खां वक्फ स्टेट कमरा मोहल्ला की रिपोर्ट जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी है. इसमें मौलाना काजिम शबीब एवं अन्य द्वारा नाजायज ढंग से मकान एवं दुकान पर कब्जा करने व अशांति फैलाने की बात कही गई है. इस उपद्रव के लिए प्रशासन ने मौलाना एवं उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है. बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड द्वारा उनको पद से हटाए जाने के बाद उन पर समर्थकों के साथ बवाल करने की भी जानकारी इसमें दी गई है. इस दौरान मौलाना पर लगातार कानून को अपने हाथ में लेने तथा बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड का आदेश नहीं मानने के आरोप भी लगे हैं. मौलाना ने 21 जुलाई को भी कमरा मोहल्ला के कर्नल हुसैन, मोतवल्ली इफ्तेयार उद्दीन हैदर एवं इसराज हुसैन के घरों में तालाबंदी का ऐलान किया था. इसे देखते हुए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया था. इसके बाद भी मौलाना ने अपने समर्थकों के साथ घरों में तालाबंदी करने गए दंडाधिकारी व पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया. इधर मुजफ्फरपुर के एसएसपी विवेक कुमार ने एडीजी मुख्यालय और स्पेशल ब्रांच के एडीजी समेत अन्य को भेजी रिपोर्ट में पुलिस पर रोड़ेबाजी व मिर्च पाउडर फेंकने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किए जाने की बात कही है. उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस की तैनाती की गई थी. रिपोर्ट में मौलाना पर नगर, ब्रह्मपुरा समेत अन्य थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज होने की बात कही गई है. कहा गया है कि मौलाना द्वारा तालाबंदी करने की जानकारी पुलिस को पहले से थी. ऐहतियातन दंडाधिकारी व पुलिस बल की तैनाती की गई थी. इसके बावजूद मौलाना व उनके समर्थकों द्वारा जबरन माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया. वहीं, इस मामले को लेकर लखनऊ में भी चिंगारी सुलगने लगी है. मजलिसे उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कलवेजवाद नकवी की ओर से जारी प्रेस नोट व वीडियो भी मुजफ्फरपुर में वायरल होने की चर्चा है. इसमें मौलाना पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मजलिसे उलेमा हिंद की वार्ता का जिक्र है. गृहमंत्री से मौलाना व उनके समर्थकों की रिहाई व वक्फ संपत्ति को बेच रहे भू माफिया पर कार्रवाई की मांग की गई है. वायरल बयान में नकवी ने कहा है कि वे जुमे की नमाज के बाद पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. उसी दौरान पुलिस प्रशासन ने नमाजियों पर लाठीचार्ज कर दिया और घर की औरतों को बेरहमी से पीटा. मौलाना व उनके साथियों को रिहा नहीं करने पर उलेमा हिंद ने बिहार भवन पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है. प्रेस वार्ता में मौलाना रजा हुसैन, मौलाना हबीब हैदर, मौलाना नेसार अहमद के अलावा मौलाना फिरोज हुसैन भी मौजूद थे. वहीं हसन चक बंगरा के पेश इमाम मौलाना सैयद शम्सी रजवी व मौलाना सैयद अली इमाम ने भी निर्दोष महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों पर लाठीचार्ज की निंदा की है. उन्होंने कहा कि यदि मौलाना को मुक्त नहीं किया गया तो बिहार के तमाम उलेमा मुजफ्फरपुर में विरोध-प्रदर्शन करेंगे. लोग अपने शरीर पर तलवार व ब्लेड से वार कर खुद को लहूलुहान कर लेंगे. इस दौरान किसी प्रकार के हादसे के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा. इधर माले व इंसाफ मंच की टीम ने मौलाना समेत अन्य लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की है. भाकपा माले के जिला सचिव कृष्णमोहन ने पुलिस द्वारा मौलाना समेत अन्य की पिटाई कर भू माफिया को वक्फ की जमीन बेचने की खुली छूट देने का आरोप लगाया है.

अब विभिन्न वक्फ स्टेट की संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. वक्फ स्टेट की संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद मो. तकी खां वक्फ स्टेट, सोगरा बेगम शिया वक्फ स्टेट व इमामवाड़ी वक्फ स्टेट का ही है. इन तीनों वक्फ स्टेट की संपत्ति को लेकर मौलाना काजिम शबीब पहले से ही मुखर रहे हैं. उनका आरोप है कि वक्फ स्टेट के अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफिया स्टेट की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड उनका ढाल बना है. इसके अलावा मुजफ्फरपुर के छाता बाजार स्थित सुन्नी वक्फ स्टेट संख्या - 1170 पर भी हाल में विवाद खड़ा हो गया था. इसकी 2 एकड़ जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर सड़क निर्माण भी शुरू करा दिया था. माफिया के बढ़ते दवाब के बाद वक्फ स्टेट के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कमिटी भंग करते हुए एसडीओ सुनील कुमार को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया. रामबाग स्थित हाजीपुरा वक्फ स्टेट संख्या -1190 की संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है. लोगों ने अल्पसंख्यक कल्याण समिति से शिकायत की है कि इस स्टेट की जमीन पर 250 लोगों ने मकान बना लिए हैं. इतना ही नहीं, 35 -40 लोगों से जमीन का एग्रीमेंट कर उन्हें कब्जा भी दिलाया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वस्थ हुआ बीमार बोधिवृक्ष

> मिलबग रोग से था ग्रस्त

> 137 साल पुराना है बोधिवृक्ष

> सात वर्षों से चल रहा था इलाज

सुनील सौरभ

दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के आस्था का केन्द्र महाबोधि मंदिर परिसर स्थित बोधिवृक्ष अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है. इसी बोधिवृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तभी से वे बुद्ध कहलाने लगे. लेकिन इस पवित्र और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण बोधिवृक्ष एक दशक से मिलबग रोग से ग्रसित था. पवित्र बोधिवृक्ष के रोगग्रस्त होने पर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी चिंतित थे. इसे देखते हुए महाबोधि मंदिर की देख-रेख करने वाली बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति ने बोधिवृक्ष के इलाज कराने का निर्णय लिया. इसका जिम्मा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को सौंपा गया. संस्थान के दो वैज्ञानिकों की देखरेख में बोधिवृक्ष का इलाज शुरू किया गया. वैज्ञानिकों ने इसकी जांच गहनता से की. महाबोधि वृक्ष के तनों पर रासायनिक लेप भी लगाया गया. पेड़ की झुकी हुई डालियों को सहारा देने के लिए सपोर्ट सिस्टम लगाया गया.

इस पवित्र वृक्ष की सूखी टहनियों और कीड़े लगे डालियों को भी कटवा दिया गया, ताकि अन्य डालियां सुरक्षित रह सकें. वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के दो

इस बोधिवृक्ष का उपचार कर रहे वैज्ञानिकों की सलाह पर इसके स्पर्श करने व पत्तों के तोड़े जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया. बोधिवृक्ष की सुरक्षा बीएमपी के जवान और बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों द्वारा की जाती है. इसके अलावा मंदिर परिसर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. पहले अतिविशिष्ट अतिथि रेलिंग से घिरे बोधिवृक्ष की जड़ का स्पर्श कर लेते थे, लेकिन अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सभी लोग रेलिंग के बाहर से ही बोधिवृक्ष का नमन कर पुष्प अर्पित करते हैं. पत्तों के तोड़े जाने की मनाही के बाद अब श्रद्धालु एक पत्ता पाने के लिए घंटों बोधिवृक्ष की छांव में बैठे रहते हैं.

वैज्ञानिकों डॉ. एसएसके हर्ष तथा डॉ. सुभाष नोटियाल ने अपने सहयोगियों के साथ लगातार सात वर्षों तक बोधिवृक्ष पर रासायनिक द्रव्य का छिड़काव किया. उसके तनों पर रसायन का लेप कर कीट से बचाव के प्रयास किए गए. बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य डॉ. अरविन्द कुमार सिंह ने बताया कि शुरू में समिति ने वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को बुलाकर इलाज शुरू किया, लेकिन यह काफी महंगा था. इसके बाद 2015 में बोधिवृक्ष की देख-रेख का जिम्मा दस वर्षों के लिए वन अनुसंधान संस्थान को दे दिया गया. इलाज पर आनेवाले खर्च को वहन का जिम्मा जापान के श्रद्धालुओं ने उठाने का फैसला किया. यही बौद्ध श्रद्धालु वन अनुसंधान संस्थान को बोधिवृक्ष की देखरेख व इलाज की राशि देते हैं. वन अनुसंधान संस्थान ने बोधिवृक्ष का उपचार कर मिलबग रोग से पूरी तरह से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र बोधगया मंदिर प्रबंध समिति को सौंप दिया. कांट्रैक्ट के अनुसार, वन अनुसंधान संस्थान को 2025 तक बोधिवृक्ष का संरक्षण व देखभाल का जिम्मा मिला है. वर्तमान बोधिवृक्ष करीब 137 साल पुराना है. इसे 1880 में लॉर्ड कनिंधम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाकर यहां लगाया था. बताया जाता है कि कलिंगा युद्ध के बाद सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति रुझान देख उनकी पत्नी तिस्सरक्षिता ने राजकुमार सिद्धार्थ के दिव्यज्ञान के साक्षी रहे प्रथम बोधिवृक्ष को कटवा दिया था. यह घटना 272-262 ईसा पूर्व की है. तब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र व पुत्री संघमित्रा द्वारा उसी बोधिवृक्ष की शाखा को श्रीलंका के अनुराधपुरम भेज दिया था. लेकिन उसी बोधिवृक्ष की जड़ से निकले दूसरे वृक्ष को बंगाल के तत्कालीन शासक शशांक ने 601-620 ईस्वी में बौद्ध धर्म के अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से कटवा दिया. इसके बाद इसी पेड़ की जड़ से तीसरी शाखा निकली, जो 1876 में लॉर्ड कनिंधम द्वारा खुदाई के दौरान प्राकृतिक आपदा की शिकार हो गई. इसके बाद ही कनिंधम ने श्रीलंका से बोधिवृक्ष की शाखा को लाकर यहां लगाया था, जो वर्तमान में महाबोधि मंदिर परिसर में मौजूद है.

इस बोधिवृक्ष का उपचार कर रहे वैज्ञानिकों की सलाह पर इसके स्पर्श करने व पत्तों के तोड़े जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया. बोधिवृक्ष की सुरक्षा बीएमपी के जवान और बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों द्वारा की जाती है. इसके अलावा मंदिर परिसर में हर तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. पहले अतिविशिष्ट अतिथि रेलिंग से घिरे बोधिवृक्ष की जड़ का स्पर्श कर लेते थे, लेकिन अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. सभी लोग रेलिंग के बाहर से ही बोधिवृक्ष का नमन कर पुष्प अर्पित करते हैं. पत्तों के तोड़े जाने की मनाही के बाद अब श्रद्धालु एक पत्ता पाने के लिए घंटों बोधिवृक्ष की छांव में बैठे रहते हैं. अगर किसी विदेशी बौद्ध श्रद्धालु को एक पत्ता भी मिल गया, तो वे अपनी बोधगया यात्रा को सफल मानते हैं. ज्ञात हो कि 2006 में बोधिवृक्ष की टहनी को चुराकर काटने और इसकी तस्करी करने का मामला सामने आया था. उस दौरान बोधगया मंदिर प्रबंध समिति के सचिव समेत कई कर्मचारी भी इस तस्करी की जद में आए थे. हालांकि जांच के बाद तत्कालीन गृह सचिव ने इस प्रकरण का पूरा ठीकरा मीडिया के माथे पर फोड़ दिया था. लेकिन तभी से बोधिवृक्ष की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार व स्थानीय प्रशासन ने तमाम सुरक्षा प्रबंध किए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कुपोषित होने से बच्चों को बचायें
ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

सुविधा हॉस्पीटल प्रभाकर रोड, कम्पनी सराय रौजा रोड नं.-1 सासाराम
डॉ. अनु कुमारी, एमबीबीएस
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सासाराम
डॉ सासाराम के सुविधा हॉस्पीटल से डॉ. अनु कुमारी से हुई बातचीत के क्रम में बच्चों में बढ़ते कुपोषण पर चिंता जाहीर करते हुए डॉ. अनु ने बताया कि यदि जच्चा और बच्चा दोनों का ख्याल नहीं रखा गया तो यह समस्या सामने आती है। इसलिए नवदंपत्ति जो बच्चे की चाहत रखते हैं वह गर्भधारण के वक्त ही बच्चे की मां का ख्याल रखना आरम्भ कर दें और हृष्ट पुष्ट बच्चे के लिए अपने नजदीकी कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ के सम्पर्क में रहें। मां के खाने का ख्याल रखें डॉक्टरों द्वारा दिया गया सलाह खाने और विटामीन्स के बारे में अवश्य फौलो करें। इसके अलावा डॉ अनु ने बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण बच्चों में उचित पोषक तत्वों को न मिल पाना होता है। क्योंकि, शरीर को पर्याप्त पोषण ना मिल पाने के कारण शरीर के जरूरी अंग ठीक तरीके से काम नहीं करते और बच्चें को बीमारियां होने लगती है।अगर देखा जाए कुपोषण कोई बीमारी नहीं, लेकिन कुपोषण के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वे बहुत सी बिमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और ऐसे बच्चों में एकाग्रता की भी कमी होती है। ऐसे में उन बच्चों की बात की जा रही है, जिनमें सबसे अधिक कुपोषण का खतरा रहता है, जिनमें निम्न शामिल हैं- बच्चों में पोषक तत्वों की कमी बच्चों के खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटस, विटामिन्स, मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होना भी बहुत ज-री है। क्योंकि इन पोषक तत्वों की कमी से ही कुपोषण होता है। इसलिए बच्चें को कुपोषण के बचाने के लिए अनाज, दालें, हरी सब्जीयां, सलाद, दूध और मौसमी फल जरूर दे। पेरेंट्स में जानकारी का अभाव कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जिन्हें इस बात का पता नहीं होता है कि बच्चों के समुचित विकास के लिए उनके आहार में किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि, जानकारी के अभाव में वह अपने बच्चों को ऐसी चीजें खाने के लिए देती हैं जिसका प्रोटीन और विटामिन से कोई सरोकार नहीं होता है। इसलिए बच्चों के प्रति सजग रहना है जरूरी ■ भारती
Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

करोड़ों की योजनाओं के बाद भी शहर पानी-पानी

वाल्मीकि कुमार

विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की लागत से शहर में विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. योजनाकारों की अदूरदर्शिता के कारण लोगों को घरेलू पानी की निकासी से निजात नहीं मिल रहा है. सीतामढ़ी शहर से बरसात की पानी के निकासी को लेकर आजादी पूर्व से ही वृहद नासी नाला मौजूद है. इसके जरिए ही शहर के नालियों की निकासी लखनदेई नदी में होती थी. परंतु हाल के कुछ वर्षों में कई स्थानों पर जल निकासी के मार्ग बंद कर दिए गए, जिससे मामूली बारिश में ही शहर के अधिकतर वार्डों में पानी भर जाता है. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लेकर गोदामों में भी पानी घुस जाने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं. इसके बावजूद जिला प्रशासन उस रिपोर्ट पर विचार नहीं कर रहा, जो नगर परिषद ने चार साल पूर्व अंचल अधिकारी को सौंपा था. रिपोर्ट में नक्शा के साथ नासी नाला के अतिक्रमणकारियों की सूची भी भेजी गई थी. जिला प्रशासन अगर नासी नाले से अतिक्रमित जमीनों को मुक्त कराकर नाले की उड़ाही करा दे, तो लोगों को राहत मिल सकती है. नगर परिषद व जिला प्रशासन के अधिकारी रसूखदार अतिक्रमणकारियों की सूची वाली फाइल को दबाकर बैठे हैं, वहीं सांसद व विधायक भी चुप्पी साधे हैं. बिहार विधान परिषद में सीतामढ़ी नासी नाला के अतिक्रमण का मामला तत्कालीन विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद ने उठाया था. इसके बाद नगर परिषद ने जमीनों की मापी कराकर सूची सीओ कार्यालय को भेजी थी. लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं की गई.

सीतामढ़ी

शहर के मुख्य पथ पर कॉलेज रोड के पास सामान्य बारिश में ही एक फीट तक पानी जमा हो जाता है. वही सीतामढ़ी-डुमरा पथ पर जर्जर हो चुकी सड़क के कारण आवागमन बाधित हो जाता है. जल संक्रमण से कई संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बनी रहती है. हद तो यह है कि शहर स्थित ऐतिहासिक जानकी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जाना मुश्किल साबित हो रहा है. शहरी क्षेत्र का दायरा भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. शहर के पश्चिमी भाग में जहां सीतामढ़ी शहर के अधिकतर वार्ड हैं, वहीं पूर्वी भाग में कुछ वार्डों के अलावा ग्राम पंचायतों का क्षेत्र है. पश्चिमी भाग से शहर के नाले के पानी की निकासी जहां नदी में की जा रही है, वहीं पूर्वी भाग के कुछ ही हिस्सों के नाले का पानी नदी तक पहुंच रहा है. लोगों का कहना है कि पूर्वी भाग के आधे हिस्से के नाले के पानी की निकासी के लिए नदी और आधे की निकासी के लिए शांति नगर नहर का उपयोग किया जाए, तो जल जमाव की समस्या से निजात मिल सकता है. अगर समय रहते जल जमाव की गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो कुछ वर्षों में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी
Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

बेजा विवाद, बेवजह बखेड़ा

अनंत विजय

इस वक्त हमारे देश में भाषा को लेकर एक बार फिर से सियासी सेनाएं सजाई जा रही हैं. अलग-अलग पक्ष के लोग सरकार से मिलकर अपनी मांगें रख रहे हैं. तर्क पुराने हैं कि हिन्दी के बढ़ने से अन्य भारतीय भाषाएं दब जाएंगी. यह तर्क वर्षों से दिया जा रहा है और जब भी हिंदी को मजबूत करने की कोशिश होती है, तो इस तर्क को झाड़-पोंछकर फिर से निकाल लिया जाता है. इस झाड़-पोंछ में अंग्रेजी के लोग अन्य भारतीय भाषाओं के मददगार के तौर पर खड़े दिखने की कोशिश करते हैं, कम से कम हिंदी के खिलाफ खड़े तो दिखते ही हैं. जब उन्होंने देखा कि हिंदी के विरोध में अन्य भारतीय भाषाएं खड़ी नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी का गुणगान शुरू कर दिया और उसको रोजगार की भाषा आदि कह कर प्रचारित करना शुरू कर दिया था. अब एक नया औजार ढूंढा गया है, जो भाषा के नाम पर एक बेहद खतरनाक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है. वह है हिंदी को उसकी बोलियों से अलग करने की कोशिश. इन दिनों एक बार फिर से भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मुहिम जोर पकड़ने लगी है. भोजपुरी को लेकर काफी पहले से बातें हो रही थीं, लेकिन अब जिस तरह से हिंदी के बढ़ने को इस मांग की वजह बनाया जा रहा है, वह बिल्कुल ही एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है. हिंदी तो हमेशा से अपनी बोलियों का एक समुच्चय रही है. उसकी बोलियां उसकी प्राण रही हैं. हिंदी को उसकी बोलियों से अलग करने का प्रयत्न शरीर से प्राण को अलग करने जैसा कृत्य है.

भोजपुरी और राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में डालने की मांग करने के पहले इन दोनों बोलियों के लिए काम करने की जरूरत है. किसी भी भाषा का आधार उसका व्याकरण, उसकी लिपि होती है. क्या भोजपुरी और राजस्थानी का कोई मानक व्याकरण है? क्या इनकी कोई अलग लिपि है? संभवत: नहीं, क्योंकि जितनी भी रचनाएं भोजपुरी और राजस्थानी में सामने आती हैं, वो सभी देवनागरी लिपि में और हिंदी के व्याकरण का अनुकरण करती हुई लिखी जाती रही हैं. भाषा के इन आधारभूत संकल्पों को पूरा किए बगैर भाषा मान लेने का आग्रह करना व्यर्थ है. इसके अलावा एक और बात जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए, वो ये कि क्या किसी भी बोली या भाषा का विकास उसको संविधान की आठवीं अनुसूची में डाल देने से संभव है? क्या सिर्फ सरकारी आशीर्वाद मिल जाने से कोई फलने-फूलने लग जाता है? यहां यह सवाल उठाना उचित है कि जो लोग आज भोजपुरी और राजस्थानी की पैरोकारी कर रहे हैं, उनमें से कितने लेखक इसको अपने लेखन में अपनाते हैं? ऐसे कितने पाठक हैं, जो इनको पढ़ने के लिए उत्सुक ना भी हों कम से कम संस्कारित तो हों? इससे भी आगे जाकर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इन भाषाओं में कितने प्रकाशक पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए आतुर हैं या फिर इन भाषाओं में पुस्तकें छापकर वो व्यावसायिक रूप से अपना कारोबार सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं?

अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, तो हिन्दी का बेहतरीन साहित्य उसकी उपभाषाओं में ही है, चाहे वो अवधी में हो, चाहे ब्रज भाषा में. इन उपभाषाओं का हिन्दी के साथ एक रागात्मक संबंध रहा है और कभी भी दोनों में टकराहट देखने को नहीं मिली है. विश्व के भाषाई इतिहास पर अगर हम नजर डालें, तो यह एक अद्भुत सामंजस्य है. इस सामंजस्य को तोड़ने से किसको लाभ होगा, यह साफ है. बल्कि होना तो यह चाहिए कि हिंदी में इन तमाम बोलियों और उपभाषाओं में प्रयोग किए जानेवाले मुहावरों, कहावतों और शब्दों के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए. इसका एक लाभ यह होगा कि जो नई हिंदी बनेगी या हिंदी को जो दायरा बनेगा, उससे यह लोगों के और नजदीक पहुंचेगी. भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि के शब्दों को हिंदी में मिलाकर उसके उपयोग को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए. साहित्यकारों और लेखकों पर भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के शब्दों को अपनी रचनाओं में लेकर आएं. रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि – 'चौदहवीं शताब्दी में कवि विद्यापति ने अपनी पदावली में जिस भाषा का प्रयोग किया वह उत्तर में सर्वत्र समझी जाती थी और उसी भाषा के अनुकरण से ब्रजबुलि (ब्रजबोली) का जन्म हुआ, जिसके कवि बंगाल, असम और ओड़ीसा में उत्पन्न हुए. बल्कि कहना यह चाहिए कि ब्रजबुलि का जन्म ब्रजभाषा और मैथिली के मिश्रण से हुआ था. अतएव, ब्रजबुलि को लेकर एक समय शूरसेन से लेकर असम तक की भक्ति कविता की भाषा प्राय: एक ही थी.' यह इस वक्त समय की मांग है कि इस तरह की रचनाएं रची जाएं, जिससे भाषा और उसकी उपभाषा के बीच संबंध और प्रगाढ़ हों और हिंदी की उपभाषा को हिंदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ सके.

दरअसल, अगर हम देखें तो भाषा के मामले में भी ऐतिहासिक भूलें हुई हैं. संविधान सभा में तय किया गया था और जिसे भारतीय संविधान में रखा भी गया था कि संविधान के लागू होने के अगले पंद्रह वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी. अगर 15 वर्ष के बाद भी संसद की यह राय हो कि विशिष्ट विषयों के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, तो संसद में कानून बनाकर उन विषयों के लिए अंग्रेजी को जारी रखा जा सकता है. बाद में हिंदी के प्रचार, विकास और ठोस जमीन तैयार करने में सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति ने बालाजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की स्थापना की, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. उसके आधार पर राष्ट्रपति ने कई आदेश जारी किए थे, जिसमें एक था वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन. समय बीतता जा रहा था, लेकिन हिंदी को लेकर ठोस काम नहीं हो पा रहा था. गैर हिंदी प्रांतों से हिंदी विरोध की जैसी आवाजें उठ रही थीं, उससे 1963 तक यह साफ हो गया था दो साल बाद यानि 1965 में अंग्रजी को हटाकर हिंदी को शासन का माध्यम बनाना मुमकिन नहीं है. ऐसे माहौल में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में यह ऐलान कर दिया कि जबतक अहिंदी भाषी भारतीय अंग्रेजी को चलाना चाहेंगे, तबतक केंद्र में भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी चलती रहेगी. गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई. संविधान में यह तय किया गया था कि इसके लागू होने के पंद्रह साल के बाद अंग्रेजी विशिष्ट कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन जो भाषा अधिनियम बना वो संविधान की उस मूल आशय के विरुद्ध था. 1965 के जनवरी महीने में जब मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो लालबहादुर शास्त्री ने ऐलान कर दिया कि नेहरू की भावनाओं का सम्मान होगा और वही हुआ. 1967 में कानून पास हो गया. गांधी भी शासन की भाषा के तौर पर अंग्रेजी को हटाना चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं हो सका. उस वक्त जिस तरह से अन्य भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच माहौल बना, उसमें अंग्रेजी को अपने लिए संभावनाएं दिखीं और उस भाषा के पैरोकारों ने वो तमाम कार्य किए, जिससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहें.

इस युक्ति से लगभग चार दशक निकल गए. पिछले एक दशक में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं बेहद करीब आने लगीं, तो अंग्रेजी के लोगों ने एक नया रास्ता तलाशा कि हिंदी और उसकी उपभाषा या बोलियों को एक दूसरे से लड़ाया जाए. इस युक्ति के तहत ही भोजपुरी और राजस्थानी आदि स्वतंत्र भाषा के तौर पर मान्यता की मांग करने लगे. अब इस बात की कल्पना करिए कि अगर भोजपुरी के साथ साथ अंगिका, वज्जिका, मैथिली, मगही आदि को भी हिंदी से अलग करने की मांग उठने लगे, तो फिर हिंदी का क्या होगा. हिंदी के कुछ लोगों ने उस स्थिति की कल्पना करते हुए अब सरकार से ये मांग करनी शुरू कर दी है कि भोजपुरी और राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाए. एक तरह से देखें, तो टकराहट की स्थिति दिखाई दे रही है. होना यह चाहिए कि हिंदी और उसकी बोलियों के लोगों को साथ बिठाकर बातचीत होनी चाहिए और उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए. उनको यह बताया जाना चाहिए कि हिंदी कहीं से भी भोजपुरी या राजस्थानी का हक नहीं मार रही है. राजस्थानी और भोजपुरी को समृद्ध करने की भी तमाम कोशिशें होनी चाहिए. हिंदी और उसकी उपभाषाओं के लेखकों को साथ बैठकर इन सवालों पर विचार करना होगा. इससे सबका भला होगा. अंग्रेजी के बिछाए जाल में फंसने से बेहतर है कि हिंदी को मजबूत किया जाए ताकि उनकी उपभाषाएं या बोलियां भी मजबूत हों. ■

भोजपुरी और राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में डालने की मांग करने के पहले इन दोनों बोलियों के लिए काम करने की जरूरत है. किसी भी भाषा का आधार उसका व्याकरण, उसकी लिपि होती है. क्या भोजपुरी और राजस्थानी का कोई मानक व्याकरण है? क्या इनकी कोई अलग लिपि है? संभवत: नहीं, क्योंकि जितनी भी रचनाएं भोजपुरी और राजस्थानी में सामने आती हैं, वो सभी देवनागरी लिपि में और हिंदी के व्याकरण का अनुकरण करती हुई लिखी जाती रही हैं. भाषा के इन आधारभूत संकल्पों को पूरा किए बगैर भाषा मान लेने का आग्रह करना व्यर्थ है. इसके अलावा एक और बात जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए, वो ये कि क्या किसी भी बोली या भाषा का विकास उसको संविधान की आठवीं अनुसूची में डाल देने से संभव है? क्या सिर्फ सरकारी आशीर्वाद मिल जाने से कोई फलने-फूलने लग जाता है? यहां यह सवाल उठाना उचित है कि जो लोग आज भोजपुरी और राजस्थानी की पैरोकारी कर रहे हैं, उनमें से कितने लेखक इसको अपने लेखन में अपनाते हैं? ऐसे कितने पाठक हैं, जो इनको पढ़ने के लिए उत्सुक ना भी हों कम से कम संस्कारित तो हों?

anant.ibn@gmail.com

सूचना का अधिकार क़ानून: संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है

चौथी दुनिया ब्यूरो

आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वालों के लिए तकनीकी शब्दों और इनके उपयोग की सही जानकारी होनी ज़रूरी है. इस अंक में हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में. कैसे और कब फंसता है, संसदीय विशेषाधिकार का पेंच. सबसे पहले एक उदाहरण से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं. अमेरिका से एटमी डील के दौरान यूपीए सरकार को जब सदन में विश्वास मत हासिल करना था, उसके कुछ घंटे पहले सदन में भारत के संसदीय इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना घटित हुई. भाजपा के तीन सांसदों ने सदन में नोटों की गड्डियां लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि ये नोट उन्हें विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए घूस के रूप में मिले हैं. इसे एक मीडिया चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अपने कैमरे में कैद कर लिया था और उसे लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सौंप दिया था. बाद में कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों और लोगों ने जब सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करके उक्त वीडियो टेप को सार्वजनिक करने की मांग की, तो लोकसभा ने उसे सार्वजनिक करने से मना कर दिया. लोकसभा ने बताया कि वीडियो टेप अभी संसदीय समिति के पास हैं और जांच की प्रक्रिया चल रही है. जांच पूरी होने से पहले, इसके बारे में कोई भी सूचना दिए जाने से धारा 8 (1)(सी) का उल्लंघन होगा. इस धारा में कहा गया है कि ऐसी सूचना, जिसके सार्वजनिक किए जाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, उसे सूचना के अधिकार के तहत दिए जाने से रोका जा सकता है.

ऐसा ही एक और मामला है, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता और केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके शैलेष गांधी ने महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग से मुख्यमंत्री राहत कोष में मुंबई ट्रेन धमाकों के बाद प्राप्त अनुदानों के खर्चों का ब्योरा मांगा था. लेकिन यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष एक निजी ट्रस्ट है और यह सूचना क़ानून के दायरे में नहीं आता. जबकि शैलेष का मानना था कि राहत कोष एक पब्लिक बॉडी है और वह आयकर छूट का लाभ उठाता है. मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है, इसलिए यह सूचना दिए जाने से विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हनन नहीं होता है.

ऐसा ही एक और मामला था. दरअसल, एक पेट्रोल पंप को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बंद कर दिया गया था. इस पेट्रोल पंप को दोबारा खुलवाने के लिए तीन सांसदों ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा था. राहुल विभूषण ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और तीन सांसदों के बीच हुए पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि मांगी थी. लेकिन यह कहकर उन्हें उस पत्र की प्रतिलिपि देने से मना कर दिया गया कि इसे दिए जाने से संसद के विशेषाधिकारों का हनन होता है. आयोग में सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त ने माना कि सांसद द्वारा लिखे गए पत्र का संसद या संसदीय कार्रवाई से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और इस सूचना के सार्वजनिक किए जाने से संसद के किसी विशेषाधिकार का कोई हनन नहीं होता. आयुक्त ने मांगी गई सूचना को 15 दिनों के भीतर आवेदक को सौंपे जाने का आदेश दिया. कुल मिलाकर देखें, तो ज़्यादातर मामलों में लोक सूचना अधिकारी संसदीय विशेषाधिकार की आड़ में सूचना देने से मना कर देते हैं, जबकि वास्तव में वह मामला संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा नहीं होता है.

आरटीआई आवेदन का प्रारूप

राशन का विवरण
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,
मैं.....निवासी हूं. मेरा.....कार्ड नं.....है. यह कार्ड राशन दुकान संख्या ..... और किरासन तेल डिपो संख्या ..... में रजिस्टर है.

1. विभाग/कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे राशन कार्ड पर प्रत्येक माह में जारी किए गए राशन एवं किरासन तेल का ब्यौरा निम्नलिखित तथ्यों के साथ दें:
   क. महीना
   ख. जारी राशन एवं किरासन तेल की मात्रा
   ग. राशन एवं किरासन तेल दिए जाने की तिथि
   घ. प्रत्येक के लिए भुगतान की गई राशि
   ड. भुगतान रसीद की छायाप्रति

2. उपरोक्त राशन की दुकान और किरासन तेल डिपो के पिछले छ: माह के निम्नलिखित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं :
   क. मास्टर कार्ड रजिस्टर
   ख. दैनिक बिक्री रजिस्टर
   ग. दैनिक स्टॉक रजिस्टर
   घ. मासिक स्टॉक रजिस्टर
   ड. निरीक्षण पुस्तिका
   च. कैश मेमो

3. उपरोक्त राशन दुकान व किरासन तेल डिपो के खिलाफ पिछले पांच सालों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? सभी शिकायतों की सूची निम्नलिखित विवरण के साथ दें:
   क. शिकायत करने वाले का नाम
   ख. शिकायत का संक्षिप्त विवरण
   ग. शिकायत की तारीख
   घ. शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
   ड. शिकायत पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद व पता

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

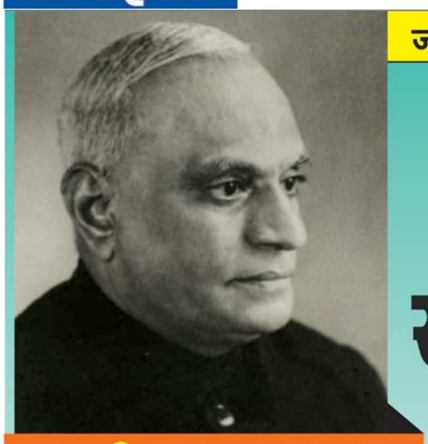

जयंती विशेष

वराह गिरि वेंकट गिरि

एक श्रमिक नेता से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र

जन्मदिन- 10 अगस्त 1894
पुण्यतिथि-23 जून 1980

भारतीय उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की बढ़ी हुई ताकत का श्रेय वीवी गिरि को ही जाता है. उनके श्रमिक नेतृत्व ने श्रम-शक्ति को एक नई दिशा और ताकत दी. आयरलैंड के आंदोलन में श्रमिकों की एकजुटता ने कानून विशेषज्ञ बनने के वीवी गिरि के सपने को पीछे छोड़ दिया और वे भारत में श्रम-शक्ति को संगठित करने के काम में जुट गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक श्रमिक नेता से श्रम मंत्री और फिर तीन राज्यों के राज्यपाल बनने के बाद उपराष्ट्रपति बनते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की वराह गिरि वेंकट गिरि की कहानी बहुत दिलचस्प है. भारतीय उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की बढ़ी हुई ताकत का श्रेय वीवी गिरि को ही जाता है. उनके श्रमिक नेतृत्व ने श्रम-शक्ति को एक नई दिशा और ताकत दी. आयरलैंड के आंदोलन में श्रमिकों की एकजुटता ने कानून विशेषज्ञ बनने के वीवी गिरि के सपने को पीछे छोड़ दिया और वे भारत में श्रम-शक्ति को संगठित करने के काम में जुट गए. उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत के श्रमिकों को एकजुट किया जाय, तो न केवल उनके हालत में सुधार किया जा सकता है बल्कि वे ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में काम आ सकते हैं.

वी.वी.गिरि का जन्म 10 अगस्त, 1894 को ओड़ीशा के बेहरामपुर में एक तेलुगू भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनके पिता वराह गिरि वेंकट जोगैया पांटुलु उस समय के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध वकील थे. वी.वी. गिरि ने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गृहनगर में ही पूरी की. अल्पायु में ही उनका विवाह सरस्वती बाई से हो गया. कानून की शिक्षा के लिए वे विदेश गए और 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. वहां पर उसी वर्ष उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई. वीवी गिरि गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हुए. वे जब डबलिन में अपनी कानूनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय आयरलैंड की आजादी और श्रमिकों का आंदोलन 'सिन्न फ़ाईन आंदोलन' चरम पर था. वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्काषित कर दिया गया, जिसके कारण वे अपनी कानून की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हो

गए. इस आंदोलन के पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग थे, जैसे- डी. वालेरा, कोलिन्स, पेअरी, डेसमंड फिजराल्ड, मेकनेल और कोनोली का हाथ था. वीवी गिरि इनके विचारों और इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए. वे भारत में भी ऐसे आंदोलन की जरूरत महसूस करने लगे और भारत लौट आए. इसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से श्रमिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया. श्रमिक आंदोलनों के दौरान ही वे श्रमिकों के हित में काम करने वाले एन.एम. जोशी के सम्पर्क में आए और उनके सान्निध्य में काम करने लगे. एन.एम. जोशी के के समर्थन से उन्होंने मजदूर वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रहे संगठनों के साथ खुद को जोड़ा. ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण वे आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए. वर्ष 1926 और 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया. वर्ष 1931-1932 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया. उसके बाद 1934 में वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए. 1936 में ब्रिटिश काल में हुए आम चुनाव में वे कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बने. इसके साथ ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ. उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की और अगले वर्ष ही उन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी में श्रम और उद्योग मंत्री का पद मिला. 1942 में जब कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तो वीवी गिरि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए श्रमिक आंदोलन में लौट आए. उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसके बाद वर्ष 1946 के आम चुनाव के बाद वे श्रम मंत्री बनाए गए.

अजादी के बाद वीवी गिरि को सीलोन (श्रीलंका) में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया. वहां से कार्यकाल पूरा करके लौटने के बाद वे 1952 का लोकसभा चुनाव लड़े और विजयी हुए. श्रम मंत्री के रूप में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. वे 1952 से 1954 तक इस पद पर बने रहे. उनके प्रयासों से ही 1957 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई. 1957 में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया. इस पद पर वे 1960 तक बने रहे. इसके बाद 1960 से 1965 तक केरल और फिर 1965-1967 तक उन्होंने मैसूर के राज्यपाल के रूप कार्य किया. 1967 में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया. दो वर्ष बाद ही 1969 में जब तत्कालिन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया, तो वीवी गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया. उसके बाद वे ही भारत के चौथे राष्ट्रपति बने और वर्ष 1974 तक इस पद पर बने रहे. श्रमिकों के हित के लिए वीवी गिरि द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए श्रम से संबंधित मुद्दों पर शोध, प्रशिक्षण आदि के लिए स्थापित संस्था का नाम बदलकर 1995 में वीवी गिरि नेशनल लेबर इंस्टिट्यूट रखा गया. इस संस्थान की स्थापना 1974 में हुई थी. वीवी गिरि अपने भाषण कौशल के लिए भी जाने जाते थे. वे एक अच्छे लेखक भी थे. 'इंडस्ट्रियल रिलेशन' और 'लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री' नाम की उन्होंने दो पुस्तकें लिखीं. वीवी गिरि के योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए 1975 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत-रत्न' देकर सम्मानित किया गया. एक श्रमिक नेता से भारत के महामहिम तक का सफर तय करने वाले वीवी गिरि का 85 वर्ष की अवस्था में 23 जून 1980 को देहावसान हो गया. एक श्रमिक नेता के रूप में श्रमिकों के उत्थान और उनके अधिकारों के संरक्षण तथा एक राजनेता एवं राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बीमारियों से बचकर लें मानसून का मज़ा

चौथी दुनिया ब्यूरो

मानसून का इंतजार सभी लोग बेसब्री से करते हैं. बारिश की बूंदें तो सभी को भाती हैं, लेकिन घर के बाहर पैर रखते ही कीचड़, ट्रैफिक जाम और नालों के जाम होने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं. बारिश का ये मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है. हम आपको बता रहे हैं कि मानसून के इस मौसम में आपको कौन सी बीमारियों से खतरा है और आप किस तरह से उनसे अपना बचाव कर सकते हैं.

मलेरिया

मानसून के मौसम में जिस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, वो है मलेरिया. बारिश की वजह से सड़कों या नालों में जमे हुए पानी में मच्छर पनपते रहते हैं, जिनमें से कुछ मलेरिया के मच्छर भी होते हैं. ऐसे में आपको अपनी पानी की टंकी को साफ करते रहना चाहिए. इतना ही नहीं, आस-पास अगर किसी तरह का पानी इकट्ठा हुआ हो, तो उसे भी फेंक देना चाहिए. बुखार, मांसपेशियों में दर्द और कंपकंपाना मलेरिया के लक्षण होते हैं.

डेंगू और चिकनगुनिया

इस मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया भी आपको अपना शिकार बना सकते हैं. डेंगू का मच्छर नालियों में ही नहीं साफ पानी में भी पैदा होता है. इसलिए पानी को हमेशा ढक कर रखें और आस पास पानी इकट्ठा ना होने दें. डेंगू की

बीमारी का लक्षण है, जोड़ों और शरीर में दर्द. ऐसे में आप पूरे कपड़े पहनकर ही रहें. चिकनगुनिया के मच्छर दिन में ही काटते हैं. ये मच्छर रुके हुए पानी में प्रजनन करते हैं. चिकनगुनिया में आपको बुखार, जोड़ों में दर्द आदि लक्षण देखने को मिलते हैं. इसमें आप इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

पीलिया

पीलिया दूषित पानी और भोजन के कारण होता हैं. ऐसे में आप उबला पानी पीएं और बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दें. पीलिया के लक्षण हैं, पीला मूत्र, उल्टी, कमजोरी आदि.

टायफाइड

मानसून के दौरान होने वाली बीमारियों में टायफाइड भी प्रमुख हैं. ये बिमारी दूषित पानी और खाने से फैलती है. इस बीमारी के लक्षण हैं, सर्दी, गले में खराश, बुखार आदि. टायफाइड साल्मोहनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो केवल मनुष्यों में पाया जाता है. जिन व्यक्तियों को टायफाइड का बुखार होता है, उनके आंत्रीय मार्ग और रक्त में बैक्टीरिया होता है. टायफाइड एक संक्रमित रोग है. कोई भी व्यक्ति अगर टायफाइड से संक्रमित आदमी के साथ खाना खा लेता है, अथवा पानी पी लेता है, तो उसे भी टायफाइड हो सकता है. साथ ही यदि एस. टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित सीवेज का पानी पेयजल अथवा खाद्य पदार्थ धोने के पानी में मिल जाता है, तो उसका उपयोग करने वाले लोग टायफाइड के शिकार हो जाते हैं.

टायफाइड से बचाव के उपाय...

- जोखिमपूर्ण खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से परहेज करें.
- टायफाइड के बुखार से बचने के लिए टीका लगवाएं.
- बोतलबंद पानी खरीदें अथवा पीने से पहले पानी को उबालें.
- यदि बर्फ बोतलबंद पानी अथवा उबले हुए पानी से न बनी हो, तो बिना बर्फ के पेय पदार्थ मांगें.
- ऐसी कच्ची सब्जियां और फल न खाएं, जिन्हें छीला नहीं जा सकता हो. लेट्यूस जैसी सब्जियां सरलता से संक्रमित हो जाती हैं और इन्हें अच्छी तरह से धोना काफी कठिन है.
- सड़क किनारे खोमचे वालों से खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए.

यदि टायफाइड की संभावना हो...

यदि टायफाइड की संभावना हो, तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सामान्यतया तीन में से एक एन्टीबायोटिक दी जाती है. ये हैं एम्पीकसिलीन, ट्रायमेथोप्रिम-सल्फातमी थोक्सीजोल और सिप्रोफ्लोक्सेसिन. मरीज को अक्सर एन्टीबायोटिक से 2-3 दिन में राहत महसूस होने लगती है. लेकिन जो व्यक्ति उपचार नहीं करते, उन्हें कई सप्ताह अथवा महीनों तक बुखार रहता है और लगभग 20 प्रतिशत लोगों की संक्रमण की जटिलता के कारण मृत्यु होती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चाचू के साथ शूटिंग करते समय अर्जुन कपूर की हंसी छूट जाती थी

अर्जुन कपूर को भले ही आज बोनी कपूर का बेटा होने से नई पहचान मिल गई हो, लेकिन फिल्म मुबारकां में चाचा अनिल कपूर के साथ बेहतरीन अभिनय कर उन्होंने दर्शकों की वाहवाही लूटी है. फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं, जो बेहद मजेदार हैं. वे बताते हैं, फिल्म में अनिल चाचू ने एक अलग तरह का ब्रिटिश एक्सेंट पकड़ा था. अब आप घर में उनसे बात कर रहे हैं, तो वे नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और अब जब फिल्म कर रहे हैं तो अचानक उनका एक्सेंट बदल गया है. वे कहते हैं कि मेरी तो सीन के बीच में ही हंसी छूट जाती थी. लेकिन उनके साथ काम करने के बाद समझ आया कि वे कमाल के एक्टर हैं. अर्जुन ने आगे कहा कि *मिस्टर इंडिया* बच्चों के लिए बनाई गई सबसे बेहतरीन फिल्म है, तो ऐसी फिल्मों को छूने के पहले भी थोड़ा सोचना चाहिए. उस फिल्म ने हम सब पर एक छाप छोड़ी है, लेकिन यह निर्देशक पर भी निर्भर करता है.■

07 अगस्त- 13 अगस्त 2017
चौथी दुनिया

बॉलीवुड पर हावी हॉलीवुड

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड की हर साल सैकड़ों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देती हैं, जिनमें बहुत कम फिल्में ही दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ पाती हैं. अगर बात बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की करें तो यह साफ हो जाता है कि इन स्टार्स के अलावा दूसरे अभिनेताओं की फिल्मों को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. आमिर, सलमान, शाहरूख, अजय, अक्षय और ऋतिक रोशन बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं, जिनके नाम पर बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई होती है. दर्शकों को इनकी फिल्मों का इंतजार बेसब्री से रहता है. बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में सिर्फ इनके नाम से ही चल पड़ती हैं, लेकिन कभी-कभी बड़े स्टार्स की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धरी की धरी रह जाती हैं. इसका अच्छा खासा उदाहरण शाहरूख की पिछली फिल्में फैन और दिलवाले, अजय की शिवाय, ऋतिक की मोहनजोदाड़ो और सलमान खान की ट्यूबलाईट रही हैं. इनके अलावा बॉलीवुड में नए अभिनेताओं की फिल्में कब आती हैं, कब जाती हैं, दर्शकों को पता भी नहीं चलता है. उनकी फिल्में अपना बजट निकाल लें, वही बहुत है. इसके अलावा जो छोटी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती हैं, दर्शक उनकी ओर आकर्षित तो होते हैं, लेकिन फिल्म में बड़े स्टार न होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है.

दर्शक भी अब बॉलीवुड की ज्यादातर घिसी-पिटी फिल्मों से बोर हो चुके हैं. बॉलीवुड में अब ज्यादातर फिल्में दक्षिण भारतीय और हॉलीवुड फिल्मों का ही रिमीक बन रही हैं, जो दर्शक पहले ही देख चुके होते हैं. इसलिए अब दर्शक कुछ हट कर देखना चाहते हैं, जो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही नई नकनीकों के साथ देखने को मिलता है. हॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वह फिल्म की स्टोरी पर पकड़े बनाए रखते हैं. उनके एक्शन, विजुअल इफेक्ट इतने शानदार होते हैं कि दर्शक भी सिनेमा हॉल तक खिंचे चले आते हैं.

अगर हम पिछले 1-2 साल की बात करें तो हॉलीवुड की फिल्में भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाती जा रही हैं. बच्चे हों या फिर नौजवान, सभी वर्ग के लोग हॉलीवुड की इन फिल्मों को ख़ूब पसंद कर रहे हैं. भारत में हॉलीवुड की ओर से टाइटैनिक, अवतार, जुरासिक पार्क सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज, स्पाइडर मैन सीरीज, आइरन मैन, एवेंजर्स, एक्स-मैन, सुपरमैन, बैटमैन, फ्यूरियस सीरीज, कैप्टन अमेरिका और ट्रांसफॉमर्स ऐसी फिल्में हैं, जिन्हें भारतीय दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते आए हैं. इन फिल्मों की सीरिज जब भी भारत में रिलीज होती हैं, तो बॉलीवुड फिल्मों के लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है.

साल 2015 में आई हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस-7 ने भारतीय बॉक्स आफिस पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि लोग दंग रह गए. फिल्म तो सुपरहिट हुई लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फास्ट एंड फ्यूरियस-7 ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था. फिल्म में पॉल वॉकर, विन डीजल, ड्वायन जॉनसन, मिशेल रोड्रिग्ज, जैसन स्टेथम, जॉरडाना बरूस्टर, क्रिस ब्रिजेस और लुकास ब्लैक ने शानदार अभिनय किया था. इसके बाद तो मानो हॉलीवुड फिल्मों की भारत में रिलीज होने की होड़ सी लग गई.

2016 में हॉलीवुड की ओर से भारत में 4 ऐसी फिल्मों ने तहलका मचाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. इन फिल्मों में से एक थी जंगल बुक. जी हां, फिल्म जंगल बुक तो फ्यूरियस-7 से भी कहीं आगे निकली गई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के लिए मुश्किल है. इस फिल्म को सभी वर्गों के लोगों ने ख़ूब पसंद किया. ख़ासतौर पर बच्चों ने तो इसे ख़ूब इंजॉय किया. जंगल बुक की कहानी भारत में बच्चों और बड़ों के बीच पहले से ही काफी फेमस है. शायद इसी का फायदा फिल्म को मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 190 करोड़ का कारोबार किया और सुपरहिट रही. फिल्म का निर्देशन जॉन फेवरोड ने किया था और बिल मूरे, बेन किंगले और निल सेथी ने शानदार अभिनय किया. फिल्म की सबसे बड़ी ख़ासियत यह थी कि हिंदी वर्जन में फिल्म को बॉलीवुड कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी. इनमें प्रियंका चोपड़ा, ओम पुरी, नान पाटेकर और इरफान खान आदि शामिल थे.

जंगल बुक के बाद इसी साल हॉलीवुड की तीन फिल्में कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर, एक्स-मैन: एपोकैलिप्स और हॉरर मूवी दि कंजूरिंग-2 ने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया. इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और सभी फिल्में सफल रहीं. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कैप्टन अमेरिका: सिविल वार ने लगभग 60 करोड़, एक्स-मैन: एपोकैलिप्स ने लगभग 27 करोड़ और दि कंजूरिंग-2 ने 63 करोड़ का कारोबार कर यह बता दिया कि भारत में अब हॉलीवुड फिल्में बॉलीवुड फिल्मों पर भारी पड़ती जा रही हैं.

इस साल यानि 2017 में भी हॉलीवुड फिल्मों का जलवा बरकरार है. जनवरी में आई फिल्म ट्रिपल एक्स: दि रिटर्न ऑफ जेंडर केज ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा. फिल्म को लेकर दर्शकों में बहुत क्रेज था, क्योंकि इस फिल्म से बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल के साथ हॉलीवुड में कदम रख रही थी. भारत में तो फिल्म औसत रही, लेकिन विदेशों में हिट रही. फिल्म ने भारत में 30 करोड़ का कारोबार किया.

> **श्रीदेवी की फिल्म मॉम को वैसे तो सभी लोगों ने पसंद किया, लेकिन फिल्म औसत दर्जे की रही. वहीं गेस्ट इन लंदन फ्लॉप रही. इन दोनों फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर अगर कमाई की है तो वह स्पाईडर-मैन: होमकमिंग ने. इस साल फिल्म फ्यूरियस-8 के बाद स्पाइडर-मैन: होमकमिंग दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड की फिल्म बन चुकी है.**

अप्रैल महीने में आई विन डीजल की फिल्म दि फेट ऑफ फ्यूरिस ने इस साल भी कमाल कर दिया और बता दिया कि भारत में इस फिल्म की सीरीज को क्यों लोग इतना पसंद करते हैं. फिल्म बहुत शानदार थी. हर बार कि तरह इस बार भी फिल्म में एक्शन का तगड़ा डोज देखने को मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80 करोड़ का कारोबार किया और फिल्म हिट रही. जबकि इसी के साथ विद्या बालन की फिल्म बेग़म जान भी रिलीज हुई. नतीजा यह हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी. अगर यह फिल्म एक सप्ताह आगे या पीछे रिलीज होती तो शायद नतीजा कुछ और होता. वहीं ईद के मौके पर देशवासियों को सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट से काफी उम्मीदें थी. दर्शक सोच रहे थे कि सलमान की यह फिल्म भी उनकी दूसरी फिल्मों की तरह कई रिकॉर्ड तोड़ेगी. लेकिन हुआ सब उल्टा. सलमान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे औंधे मुंह गिरी कि सलमान खान भी सकते में आ गए. फिल्म ने एक सप्ताह में ही बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया. इसके अगले सप्ताह ही हॉलीवुड की ट्रांसफॉमर्स: दि लास्ट नाइट ने बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा. फिल्म को ट्यूबलाइट की वजह से बेहद कम स्क्रिन मिली थी. ट्यूबलाइट का दो सप्ताह तक ज्यादातर सिनेमा हॉल से एग्रीमेंट था, ऐसे में दूसरी फिल्मों को कम ही स्क्रिन मिलनी थी. लेकिन ट्रांसफॉमर्स: दि लास्ट नाइट ने बेहद कम स्क्रिन मिलने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ट्यूबलाइट को जोरदार टक्कर दी और 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया. इस फिल्म ने दर्शकों का ख़ूब मनोरंजन किया.

इस बार 7 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्में आईं, जिनमें दो बॉलीवुड की फिल्म मॉम और गेस्ट इन लंदन दूसरी ओर हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर-मैन: होमकमिंग थी. लेकिन इस बार भी बाज़ी हॉलीवुड ने मारी. श्रीदेवी की फिल्म मॉम को वैसे तो सभी लोगों ने पसंद किया लेकिन फिल्म औसत ही रही और लगभग 40 करोड़ तक का कारोबार किया. वहीं दूसरी ओर गेस्ट इन लंदन लगभग 10 करोड़ के साथ फ्लॉप रही. इन दोनों फिल्मों की कमाई स्पाइडर-मैन: होमकमिंग की वजह से ही कम हुई है. जी हां, बॉक्स ऑफिस पर अगर कमाई की है तो वह स्पाइडर-मैन: होमकमिंग ने. दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि वह इसे बिना देखे नहीं रह सके. बताया तो यहां तक जा रहा था कि स्पाइडर-मैन: होमकमिंग अपनी पिछली सभी स्पाइडरमैन सीरीज से बेहतर थी. इस साल फिल्म फ्यूरियस-8 के बाद स्पाइडर-मैन: होमकमिंग दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 55 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. फिल्म को हिट करार दिया जा चुका है. इनके अलावा हॉलीवुड फिल्म डंकर्क, कोंग स्कल: आइलैंड, लोगन, वंडर-वूमैन, ब्यूटी एंड दि बीस्ट, गार्डियंस ऑफ दि ग्लैक्सी और वार फॉर दि प्लैनट्स ऑफ दि एप्स जैसी फिल्मों ने भारतीय दर्शकों का ख़ूब मनोरंजन किया है और आने वाले समय में कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कदम रखने वाली हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. भारत में इन सभी हॉलीवुड फिल्मों की सफलता से यह साफ़ हो गया है कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड फिल्मों की डिमांड बढ़ती जा रही है जो काफी हद तक बॉलीवुड फिल्मों पर भारी भी पड़ रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com